राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का ३३वां दिवस [संख्या १६

मंगलवार, दिनांक २५ नवम्बर, १६५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १३ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री लक्ष्मीचन्द।

गांव रानीवाड़ा में एक ही खसरा नम्बर का दो व्यक्तियों के नाम अलॉटमेंट

७६०. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है कि जिला जालौर के जसवन्तपुरा तहसील के गांव रानीवाड़ा कलां में एक खसरा नम्बर की इजाजत तहसीलदार ने दी और उसी खसरा नम्बर की नायब तहसीलदार ने दूसरे काश्तकार को इजाजत काश्त करने की दे दी और उस कारण दोनों पार्टीज़ में फौजदारी मुकद्दमात सब-डिवीज़नल ऑफिसर, भीनमाल की कोर्ट में दर्ज हुए हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार की गैरकानूनी कार्यवाही के कारण दोनों पार्टीज़ के दर्म्यान मुकदमेबाजी हुई है जिसका दोषी कौन है और ऐसे कितने शख्स हैं जिनको इस प्रकार की इजाजत दी गई है, जिसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : जी हां, ग्राम रानीवाड़ा कलां के खसरा न० २४२ की भूमि काश्त की इजाजत तहसीलदार ने श्री रामजी काश्तकार व नायब तहसीलदार ने सर्व श्री कान्हा आदि काश्तकारान को दे दी थी और इस कारण उनमें आपस में झगड़ा हुआ, किन्तु अब राजीनामा हो गया है। इस प्रकार की गैर कानूनी कार्यवाही सरकार के ध्यान में पहले से ही है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जा रही है। इस मामले के अतिरिक्त और कोई ऐसा मामला सरकार के ध्यान में नहीं है। अत: सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लक्ष्मीचन्द : इसके लिये अलॉटमेंट कमेटी बुलाई गई थी या नहीं ?

श्री सम्पतराम : जी नहीं।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्यों नहीं बुलाई गई?

श्री सम्पतराम : यह अलोटमेंट नियम बनने से पूर्व की है।

श्री लक्ष्मीचन्द : अलॉटमेंट रूल्स नहीं बने थे उससे पहले भी तहसीलदार अकेला

Page No.2

(श्री लक्ष्मीचन्द)

अलॉट नहीं कर सकता था। पंच या एम. एल. ए. आदि हुआ करते थे?

श्री सम्पतराम : वैसे भी हो सकता था। उसमें कोई बात नहीं थी। रूल्स बाद में हुए, इसलिये यह हो सकता था।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह अलॉटमेंट कब हुआ है।

श्री सम्पतराम : मैं तारीख नहीं बता सकता। I am not definitely sure about it. But the land was allotted previous to the publication of the rules.

श्री लक्ष्मीचन्द : कितने बीघा अलॉट किया गया।

श्री सम्पतराम: एक को ६ बीघा और दूसरे को ३४ बीघा २६ बिस्वा।

श्री भीमसेन : पहले भी रूल्स सन् ५३ के थे और उसके पहले भी अलॉटमेंट कमेटी थी।

श्री सम्पतराम : जब जानकारी करते हैं तो जानकारी की जावेगी।

श्री लक्ष्मीचन्द : कार्यवाही किसके खिलाफ हो रही है?

श्री सम्पतराम : नायब तहसीलदार के खिलाफ।

श्री लक्ष्मीचन्द : जब तहसीलदार ने अलॉट कर दी थी तो तहसीलदार के खिलाफ क्यों नहीं इन्क्वायरी की जा रही है?

श्री सम्पतराम : क्योंकि नायब तहसीलदार...

श्री लक्ष्मीचन्द : जब उसको ६० बीघा अलॉट करने का अधिकार नहीं था तो उसने कैसे अलॉट की?

श्री सम्पतराम : उन्होंने कलेक्टर से कन्फर्मेशन करा लिया था।

श्री लक्ष्मीचन्द : कलेक्टर से कन्फर्मेशन कब कराया गया?

श्री सम्पतराम : तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सही है कि कलेक्टर से कन्फर्मेशन नहीं कराया गया?

श्री अनूपसिंह : क्या यह कलेक्टर से पूछने पर रूल्स का रिलेक्सेशन हो सकता है?

श्री सम्पतराम : उसने सारी पार्टी को ६५ बीघा दी होगी।

श्री लक्ष्मीचन्द : जिसको पहले अलॉट की गई थी, उसको कलेक्टर से कन्फर्म करके ही कब्जा दिया गया होगा। जब दूसरे को दिया तब झगड़ा हुआ।

श्री सम्पतराम : अब उनमें राजीनामा हो गया है। अब कोई झगड़ा नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्रिमिनल केस का राजीनामा हुआ है। यह जमीन किसके रहेगी उसका राजीनामा कब हुआ?

श्री सम्पतराम : जो राजीनामा हुआ उसमें लिखा है कि हम दोनों पार्टीज का अब कोई तनाजा नहीं रहा, हम दोनों पार्टीज आपस में रजामन्द हो गये हैं, इसलिये अब नुक्सेअमन का कोई अन्देशा नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : दोनों व्यक्तियों को कब्जा दिया गया था, अब कब्जा किसका

Page No.3

(श्री लक्ष्मीचन्द)

रहेगा, इसके बारे में तसफिया नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : आप सारी बातों की जांच करवा लीजिये ।

श्री लक्ष्मीचन्द : खसरा नं०...

प्रश्न संख्या ७६१

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

श्री बी. आर. मित्तल द्वारा बिला इजाजत मध्य भारत यात्रा

७६२. **श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि श्री बी.आर. मित्तल, लेक्चरार जसवन्त कॉलेज बगैर इजाजत तारीख १८ अप्रेल से २६ अप्रेल सन् १९५३ तक अजमेर बोर्ड की तरफ से मध्य भारत में प्रेक्टीकल इम्तिहान लेने के लिए गये थे और उन्होंने वापिस आकर उन्हीं दिनों की रजिस्टर में अपनी हाजिरी दिखा दी ?

(२) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई शिकायत सरकार के पास आई है ?

(३) यदि हां, तो कब और उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) इस प्रकार की शिकायत हुई है ।

(२) जी हां ।

(३) २ मई, ५७ को । यह मामला डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कमिश्नर को जांच के लिये सुपुर्द कर दिया गया था । रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह ३-४ माह से विचाराधीन है ।

श्री भैरोंसिंह : इन्क्वायरी में उन्होंने मंजूर कर लिया कि ३-४ रोज बिना छुट्टी चले गये और बाद में आकर हाजरी कर ली।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: रिपोर्ट के मजमून को इस समय बोलना उचित नहीं होगा ।

प्रश्न संख्या ७६३

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

श्री बी. एन. जोशी ।

सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री को साठ लाख का कर्जा

७६४. **डॉ० बहादुरसिंह (श्री बी० एन० जोशी की अनुपस्थिति में) :** Will the Finance Minister please state :

(a) When the decision to grant a loan of Rupees Sixty Lakhs to the Sawai Madhopur Cement concern taken and by whom ?

(b) Was the Finance Secretary of the State Government consulted in the matter, and if so, what was his opinion regarding the deal ?

Page No.4

(डॉ० बहादुरसिंह)

(c) Is it a fact that a major portion of a previous Government loan of several lakhs advanced by the Government of the Former Jaipur State was also outstanding against this cement concern on the date of the sanctioning and payment of the new loan ?

(d) Is it a fact that the State Public Works Department had been asked to prepare the estimates of the buildings, machines, premises and all other assets of this concern ?

उप-वित्त मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (a) The decision was taken by the Government on 24th October, 1956

(b) Yes, He had opined that the loan may be granted.

(c) No loan was given by the former Jaipur Government.

(d) The Public Works Department, had been asked to prepare an estimate mainly of buildings while for the verification of plant and machinery etc., The Electrical and Mechanical Department was referred to before the loan was actually advanced.

श्री पी० के० चौधरी : What is the assessed valuation made by these two departments ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Assessment of the machinery and the plant you mean ?

श्री पी० के० चौधरी : Both machinery and the plant.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The verification of the plant and the machinery was made by the Mechanical and Electrical Department. Machineries were in order and they were working properly. Particular valuation was in fact not done by them. It was definite that whatever the property which they have mortgaged with us, was previously assessed and that were found in proper order.

श्री पी० के० चौधरी : What was the valuation assessed at ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I have already told that the Mechanical Department did not give the valuation. They simply said that these machineries are there and they are working in proper order. Therefore, a particular valuation has not been given.

श्री पी० के० चौधरी : What was the valuation of the plant ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It was not done, you will find from the Balance sheet, the property mortgaged.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने सरकार को सलाह दी थी कि इसके लिए लॉन एडवाइज़री कमेटी ऑफ इण्डिया से सलाह ली जावे ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी बात नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : एसेसमेन्ट का आधार क्या था ? Whether they were asked to give the valuation.

Page No.5

श्री रिखबचन्द धारीवाल : They were asked to give the valuation. They said it was not possible for them. They said that can only vouch safe whether the machinery or the plant is old or not? They gave a report that in fact the mortgaged property is absolutely in working order.

श्री अध्यक्ष : Was the valuation more than or less than sixty lakhs?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It was more than as the Balance sheet declares. I shall give the particulars of the mortgaged property, if desired.

श्री अध्यक्ष : No. The House would like to know whether the valuation was more than 60 lakhs.

श्री पी० के० चौधरी : The pressing point is......

श्री अध्यक्ष : He is replying.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The valuation of property mortgaged on 31st October, 56 was upto the tune of Rs. 2,28,47,056 and annas ten and the additions upto 31.10 to the tune of 1,95,40, 215-13-4 i. e. 4, 23, 86, 737-2-2. Therefore the particular assets were so much as it would appear merely by looking at it. This question has been asked so many times in this House. I think the Hon'ble members will be satisfied now. The valuation of the property therefore, is more than 60 lakhs and there is nothing whereby our 60 lakhs were ever put in jeopardy in any way.

श्री पी० के० चौधरी : The main point was that whether these people got any valuation? He said, they are not experts then why not an experts' opinion was taken? The Hon'ble Minister has said that the ......

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I know what is your point. At least the Hon'ble member is trying to know about the particular loan which was granted at that time. we have, I think more than seven times worth of property which was mortgaged with us.

श्री पी० के० चौधरी : The whole point is that before advancing the loan the Government did not have any valuation of the property......

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It was so very obvious that the property was of much more valuation.

श्री अध्यक्ष : Order! order please!! Not both at a time. Next.

प्रश्न संख्या ७६५

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीभानसिंह।

क्षेत्र धारण एवं कृषिगणना

७६६. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Revenue please state :

(1) Did ths Goverrment in any year, since the formation of the

(श्री श्रीभानसिंह)

Rajasthan State carry out a census of land holdings and cultivation in the State ?

(2) If yes, what was the questionnaire issued and were the investigations made on the spot in answer to the questionnaire or the questionnaire was filled up from the Land Revenue records ?

(3) What were the results of the census specially in connection with the size of holdings and the number of landless labourers ?

उप-राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) :

(1) Yes, in the year, 1955.

(2) The land Census Form No. 1 on which the necessary date was collected is placed on the table of the House. The Patwaries were required to fill up the forms at the Tehsil Headquarters from the Land Revenue Records.

3. The average size of holding of owned land varied from 3.29 acres in Tehsil Aspur to 25.83 acres in Tehsil Raisinghnagar. The average for the surveyed Tehsils came to 9.57 acres.

The average size of the holdings under personal cultivation varied between 3.14 acres, in Tehsil Aspur to 22.32 acres. in Tehsil Raisinghnager. The average for the surveyed Tehsils was 8.72 acres. The survey was not aimed to ascertain the number of landless labourers.

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : Did the average for the whole State......

श्री उपाध्यक्ष : Shri Shribhan-Singh.

श्री श्रीभानसिंह : Let him ask, Sir.

श्री पी० के० चौधरी : He has given the average in a particular Tehsil.

श्री सम्पतराम : You suggest any particular Tehsil.

श्री पी० के० चौधरी : I wanted the average figure for the whole State

श्री सम्पतराम : I have given the position in brief. The survey was done on the instructions from the Government of India, Ministry of Food in 1955. It was in 22 Tehsils in which the settlement operations were completely done.

श्री श्रीभानसिंह : Did the Government of India send some questionnaire that the survey should be done on these lines ?

श्री सम्पतराम : That much I have replied.

श्री पी० के० चौधरी : The point is that the average figures for the whole State has not been given.

श्री अध्यक्ष : It was 8.72 he has said.

श्री पी० के० चौधरी : But I wanted......

Page No.7

श्री अध्यक्ष : ... whatever information he has got.

Next question please.

श्री सम्पतराम : यह मुझे मालूम नहीं है कि कहां अलॉट की गई है लेकिन मैंने आपको इसका रकबा बता दिया है।

प्रश्न संख्या ७६७

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

जागीरदार सतवाड़ा को खुदकाश्त की भूमि का अलॉटमेन्ट

७६८. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जागीरदार सतवाड़ा, तहसील देवली, डिस्ट्रिक्ट टोंक को भूमिहीन होने से खुदकाश्त के लिए नियमानुसार बहुकम जागीर कमिश्नर द्वारा भूमि अलॉट कर दी गई थी ?

(२) अगर हां, तो कब और कितनी ? क्या वह भूमि उस जागीरदार के कब्जे में है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) मुताबिक मंजूरी डिप्टी कलेक्टर, जागीर ता० १७. १२. ५७ के रकबा ३३५।।।)१ खुदकाश्त के लिए दिया गया था। इस भूमि पर जागीरदार सतवाड़ा का अधिकार नियमानुसार किया गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह भूमि कहां अलॉट की गई है, सतवाड़ा में की गई है या दूसरी जगह ?

प्रश्न संख्या ७६९

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री मनरूपराम परिहार।

तहसील देसूरी से गांवों की तब्दीली

७७०. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि गांव बूसी, पादरलीतुर्का, प्रतापगढ़ व खोड़ को तहसील देसूरी से हटाकर पाली तहसील में बदलने की जनता काफी अर्से से मांग कर रही है ?

(२) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में नियमानुसार सारी कार्यवाही समाप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो जनता की इस मांग को अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया तथा अब कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बूसी ने मुख्य सचिव से एक पत्र में मांग की है कि इस सम्बन्ध में तीन माह के अन्दर निर्णय किया जाय अन्यथा सत्याग्रह आरम्भ किया जावेगा ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) अभी कार्यवाही जांच जारी है। जांच मुकम्मिल हो जाने पर अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

(श्री सम्पतराम)

(३) जी हां।

प्रश्न संख्या ७७१

श्री अध्यक्ष : श्री सज्जनसिंह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ७७२

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री रामचन्द्र।

अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति व पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति

७७३. श्री **रामचंद्र** (डग) : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५७—५८ में राजस्थान के कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और पिछड़ी जाति के छात्रों ने छात्रवृत्तियां प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र भेजे ? इनमें से कितने खारिज किये गये और कितने स्वीकृत हुए ?

(२) आवेदन पत्रों के खारिज किये जाने के क्या कारण थे ?

(३) कुल कितना धन स्वीकृत था और कितना धन बांटा गया और कितना धन बच गया, वह किस काम में खर्च किया गया ?

(४) आवेदन—पत्रों के जांच करने का और खारिज करने का अधिकार किसको दिया गया ?

(५) क्या छात्रवृत्तियाँ दिये जाने के नियम सब जातियों के साथ समान थे ?

उप समाज कल्याण मंत्री (श्री खिव-चन्द धारीवाल) : (१) सन् १९५७-५८ में छात्रवृत्ति के आवेदन पत्रों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(१) ३५,४६४ आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

(२) १८,२९३ आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये।

(३) १७,१७१ आवेदन पत्र खारिज किये गये।

(२) आवेदन पत्र के खारिज किये जाने के कारण निम्नलिखित हैं :

(१) प्रावधान का अभाव होना।

(२) दिनांक १५-९-५८ तक की पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन पत्रों का प्राप्त न होना।

(३) पूर्व परीक्षा की प्राप्तांक की सूची संलग्न न करना एवं प्रधानाध्यपक से प्रमाणित न होना।

(४) फार्म पर पिता के हस्ताक्षर न होना।

(५) अनुसूचित जन जाति व अनुसूचित जाति का अवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख न होना।

(६) जाति के सम्बन्ध का प्रमाण पत्र न होना।

(७) फार्म प्रधानाध्यापक द्वारा न भेजना। (फार्म पर प्रधानाध्यापक का हस्ता-क्षर न होना)

Page No.9

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(८) आवेदन पत्रों में पूर्व वांछित जानकारी न देना।

(९) प्रार्थी का अनुत्तीर्ण होना।

(१०) ऐसे छात्रों के आवेदन-पत्र जिनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था नहीं है।

(नोट: प्रश्न के भाग ३,४ व ५ का उत्तर सदन में नहीं पढ़ा गया।)

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, ३४ हजार आवेदन-पत्र आये, उनमें से १८ हजार मन्जूर हुए और १७ हजार नामन्जूर होते हैं। इसके कारण जो बताये, उनसे ऐसा प्रगट होता है कि या तो आवेदन पत्र जो नियत किये हैं वे कॉम्पलीकेटेड हैं जिनको छात्र भरने में असमर्थ रहते है या उनको समाज कल्याण विभाग से पूरी तरह से सहायता नहीं मिल पाती, उसके कारण से नहीं भर पाते ? या कोई इस प्रकार की कमियां हैं जिनके कारण छात्र उसे भर नहीं पाते, तो क्या उन कमियों को कल्याण विभाग दूर करने का प्रयत्न करेगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यदि कोई इस प्रकार की कमियां बतायी जायंगी, तो उनको दूर करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री गोवर्धनसिंह केन : क्या यह सही है कि भरतपुर के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी गई थी किन्तु वह उनको नहीं मिली ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने जिन कारणों का निवेदन किया, हो सकता है उन्हीं में से कोई कारण उनके लिये भी हो, जिसके कारण उनको छात्र वृत्ति नहीं मिल सकी।

श्री गोवर्धनसिंह केन : मैंने निवेदन किया, छात्रवृत्ति स्वीकृत हो गई, फिर भी उनको नहीं मिली !

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है, जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूं।

श्री लादूराम : आवेदन पत्रों को खारिज करने के लिये किस पदाधिकारी को नियुक्त किया गया ?

श्री अध्यक्ष : जिसके पास मन्जूरी के लिये जाते हैं, उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया होगा।

श्री लादूराम : क्या सरकार इन आवेदन पत्रों की फिर से जांच करने के लिये किसी और कमेटी को नियुक्त करेगी ताकि इसकी सही जांच हो सके कि किसी की गलती के कारण आवेदन-पत्र मन्जूर नहीं हुए ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस बारे में निवेदन है कि जिस पदाधिकारी द्वारा नामन्जूर किये गये, वे किसी न किसी ग्राउन्ड पर नामन्जूर किये गये।

श्री लादूराम : क्या उसकी गलती इसमें हो नहीं सकती ?

श्री अध्यक्ष : गलती तो कमेटी द्वारा भी हो सकती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी जिम्मेदारी सरकार पर डालने के बजाय माननीय सदस्य अपनी जिम्मेवारी भी समझें और लड़कों से फॉर्म ठीक तरह से भरवाकर और समय पर भेजें तो यह सवाल पैदा ही नहीं होगा।

श्री भैरवलाल कालाबादल : क्या यह सही है कि फॉर्म की मियाद खत्म होने की तारीख के एक-दो रोज पहले ही फॉर्म दिये जाते

Page No.10

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

हैं ताकि समय पर फॉर्म नहीं पहुंच पाते। कई बार ऐसा होता है कि समाज कल्याण विभाग की ओर से ३१ तारीख तो अन्तिम फॉर्म भरने की होती हैं और फॉर्म दिये जाते हैं २६ तारीख को ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फॉर्म भरने में क्या मुश्किलातें आती हैं, उन मुश्किलातों को आप समझा सकते हैं ? आप लोगों को प्रचार करके प्रेक्टिकल कार्य करना चाहिये ताकि सही रूप में फॉर्म भर कर आ सकें।

श्री भैरवलाल काला बादल : लेकिन फॉर्म भी तो मियाद के अन्दर नहीं मिल पाते !

श्री नाथूराम मिर्धा : फॉर्म तो स्कूलों के हैडमास्टरों के पास मौजूद रहते हैं, आपको ले लेना चाहिये। यदि कमी हो तो टाइप करके उनकी कॉपियां निकाली जा सकती हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम अमरसर में हरे वृक्षों की कटाई

७७४. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जून, १९५७ से अब तक अमरसर, तहसील बैराठ में हरे वृक्ष काटे गये हैं ?

(२) यदि हां, तो उसमें से कितने वृक्ष किन किन ने पर्मिट लेकर काटे और कितनों ने बिना पर्मिट काटे ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(३) क्या उक्त हरे वृक्षों की कटाई के विषय में हल्का अमरसर के भूतपूर्व पटवारी श्री बाबूलाल ने तहसील बैराठ के तहसीलदार को लिखित या मौखिक रिपोर्ट की ?

(४) क्या यह सच है कि इस विषय की शिकायतें सरकार को भी की गई ?

(५) यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) जिन जिन लोगों को अमरसर में वृक्ष काटने के पर्मिट दिये गये हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। बिना पर्मिट पेड़ काटने का कोई मुकद्दमा ग्राम अमरसर का तहसील में दायर नहीं हुआ है।

(३) बाबूलाल पटवारी की कोई रिपोर्ट हल्का अमरसर में वृक्ष काटने की तहसील में प्राप्त नहीं हुई।

(४) जी हां। इस विषय में एक शिकायत श्री रहमतखां पठान अमरसर ने की थी।

(५) तहसील से बाद तहकीकात कागजात एस०डी०ओ०, कोटपुतली के यहां भेजे जा चुके हैं जहां कि अभी कार्यवाही चल रही है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : आपने प्रश्न के भाग दो के उत्तर में फर्माया कि मुकद्दमा हल्का अमरसर में कोई दायर नहीं हुआ, बाद में पांचवें भाग के जवाब में फर्माया, तहकीकात करके कागजात एस०डी०ओ०, कोटपुतली के यहां भेजे जा चुके हैं, ये दोनों विपरीत जवाब कैसे हैं ?

श्री सम्पतराम : जहां तक इस तहसील का संबन्ध है, इस प्रकार का कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ। एक शिकायत सरकार के सामने आई उसके पत्र आदि एस०डी०ओ०, कोटपुतली के पास भेजे जा चुके हैं।

श्री रामकरणसिंह : जो कागजात एस० डी०ओ० के पास भेजे गये हैं, क्या वे पूरी तहकीकात करके या मुकदमा किस स्टेज पर बनता है, यह बताकर भेजा है ?

श्री सम्पतराम : इस स्टेज पर कुछ नहीं कहा जा सकता और बताना भी उचित नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : तो क्या यह माना जाय कि इस प्रकार की तहकीकात न करके उसमें दफा, कानून लगाकर भेजने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, इसमें दफा लगाने का सवाल नहीं है। वह कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ है, जो शिकायत पेश हुई थी उसके कागजात एस०डी० ओ० के पास भेजे गये हैं, वहां से जांच होकर जब सरकार के पास आयेंगे, तब कहा जा सकता है कि उस पर मुकदमा बनता है या नहीं।

श्री रामकरणसिंह : उसने १०० से ज्यादा हरे पेड़ काट दिये हैं। इसी सदन में एक कानून पास किया गया था कि हरे पेड़ न काटे जायं। एक तरफ तो काश्तकार को मना किया जाता है, दूसरी तरफ लोग इस तरह से हरे पेड़ काटते हैं, उनके लिये कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर। नेक्स्ट,

अम्बर चर्खे के कारण खादी की प्रगति

७७५. श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर): क्या वित्त मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) अम्बर चर्खे के कारण राजस्थान में खादी की प्रगति कितनी हुई है तथा क्या यह सन्तोषजनक है ?

(२) क्या यह सच है कि खादी में मिलों का मोटा सूत चोरी-छिपे काम में लिया जा रहा है ?

(३) खादी में मिलों का सूत काम में लिये जाने के संबंध में करौली तथा वजीरपुर से प्राप्त शिकायतों की जांच की गयी या नहीं ? अगर हां, तो क्या नतीजा निकाला ? अगर नहीं की गई, तो क्यों ?

उप-वित्त मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) राजस्थान में अम्बर चर्खा आने से पूर्व के उत्पादन व उसके बाद के अंकों से खादी की प्रगति से अवगत हो जायेंगे।

खादी उत्पादन अंक

५५–५६.	५६,६१,८६६ रु०
५६–५७.	७५, २१,५१८ रु०
५७–५८.	८६,६१,१०५ रु०

अम्बर का कार्य जुलाई, ५६ से प्रारम्भ हुआ है।

(२) सरकार के पास अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

(३) सरकार के पास अभी तक कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष जानकारी के संबन्ध में प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रीभानसिंह : इसमें खर्चा कितना हुआ, यह आपने नहीं बताया।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सवाल नहीं था, इसलिये नहीं बताया।

श्री श्रीभानसिंह : तब तो मालूम पड़ता है कि प्रोडक्शन बढ़ा है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने सवाल यह पूछा था कि राजस्थान में खादी की प्रगति कितनी हुई, कितने रुपये का कपड़ा बिका और बना, उसके आंकड़े दे दिये गये हैं। कितना खर्चा लगा और कितना उत्पादन हुआ यह सवाल दूसरा है ?

श्री श्रीभानसिंह : क्या प्रगति में खर्चे को आप नहीं गिनते ?

श्री अध्यक्ष : खर्चा ज्यादा होता है वहां प्रगति मान लेते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : फर्स्ट क्वेश्चन

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७७६

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण होरात।

(अनुपस्थित)

जोधपुर में लाइम स्टोन का ठेका

७७७. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या मंत्री, खनिज विभाग निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) श्री जगदीशप्रसाद पुत्र छोटेलाल निवासी जोधपुर को किस समय से लाइम स्टोन का ठेका दिया गया ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति ठिकाने के समय लाइम का काम कर रहा है ?

(३) क्या इस व्यक्ति के नाम ठेका था ?

(४) यदि ठेका था तो कब से कब तक के लिये और कब कब रिन्युअल कराया ?

(५) क्या इस व्यक्ति ने सरकार को रॉयल्टी जमा कराई, यदि हां, तो कब कब और कितनी कितनी ?

(६) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(७) क्या यह सही है कि इसकी रिपोर्ट थाने कोटपुतली से लेकर डाइरेक्टर माइनिंग व मंत्री महोदय तक की गई ?

(८) क्या यह भी सही है कि अन्य पार्टी द्वारा इस पर सरकार की चोरी का मुकदमा कोटपुतली थाना और तहसील में दर्ज हुआ ?

(९) यदि हां, तो थाने की क्या रिपोर्ट हुई ? एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(१०) आज तक इतने प्रार्थना पत्र जाने पर भी कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण रहा ?

उप खनिज मंत्री (श्री रिखबचन्द-धारीवाल) : (१) श्री जगदीशप्रसाद पुत्र छोटेलाल, जोधपुर को लाइम स्टोन का एरिया २००' × १००' ग्राम कुंजोता की वार्षिक माइनिंग लीज़ ता० ६-७-५६ से ३१-३-५७ तक दी गई थी।

(२) कार्यालय के रिकॉर्ड से इस समय की तसदीक नहीं की जा सकती, क्योंकि ठिकाने ने खंडवाली ठेकेदारों की कोई सूचना नहीं दी है।

(३) जी हां।

(४) ता० ६-७-५६ से ३१-३-५८ तक ठेका था। खनिज उत्पत्ति तथा विक्रय का हिसाब पेश न होने पर उक्त ठेका कैन्सिल कर दिया गया। रिन्युअल नहीं हुआ।

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(५) पार्टी ने ५०० मन पत्थर का ता० १६-४-५७ को ३१ रु० रॉयल्टी के सरकार में जमा कराये ।

(६) पूरी रॉयल्टी जमा नहीं कराई ।

(७) जी हां, सही है ।

(८) जी हां, यह सही है ।

(९) इस संबन्ध की थाने की रिपोर्ट इस कार्यालय में नहीं है ।

(१०) प्रार्थना पत्र आने पर पुलिस विभाग को उचित कार्यवाही के लिए लिखा गया तथा अदालती कार्यवाही भी जारी है ।

श्री रामकरणसिंह : आपने प्रश्न के भाग (७) और (८) के लिये कहा कि यह सही है, तो उसके लिये सरकार क्या कदम उठायगी ?

मैंने निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही जारी है जिस नाम पर यह बताया गई उसमें कई हजार रुपयों का गबन है और वे १०-१५ साल से कर रहे हैं । इस प्रकार की सूचना डिपार्टमेन्ट को दी गई फिर भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : श्री जगदीशप्रसाद की शिकायत पर उसके हिसाबात मांगे गये हैं और उनको नोटिस भी दिया गया कि क्यों न आपका ठेका कैन्सिल किया जाए । इसके लिये एस० डी० और कलेक्टर को कानूनी कार्यवाही करने के लिये लिख दिया गया. और असिस्टेंट सेक्रेटरी उद्योग विभाग और श्रम विभाग को आज्ञा दी गई है कि न्याय विभाग की सहमति से इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय ।

ट्रैक्टरों के लिये कर्ज

७३८. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) शाहबाद तहसील के चंडालिया ग्राम की भूमि में काश्त करने वाले किन किन काश्तकारों को ट्रैक्टर के लिये सरकार ने कब और किन किनको कितना कितना कर्जा दिया गया है ? क्या कोई Co-operative Farming Society को भी उक्त कर्जा दिया गया है ?

(ख) जिनको यह कर्जा दिया गया उन व्यक्तियों ने उनके द्वारा काश्त की जाने वाली भूमि पर किस प्रकार से अधिकार प्राप्त किया ?

(ग) क्या यह सही है कि यह कर्जा नियमानुसार नहीं दिया गया तथा इसकी वसूली समय पर नहीं हुई ? यदि नहीं, तो नियमानुसार कितना वसूल हो जाना चाहिये था और वास्तव में कितना वसूल हुआ ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : इसकी सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई, इसलिये इसको आगे के लिये पोस्टपोन कर दिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : Next Week.

श्री भैरोंसिंह : कब तक के लिये ?

श्री अध्यक्ष : Next Week

(विराम)

श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल ।

हाई स्कूल बौंली में ऑप्शनल विषय

७१६. श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजकीय हाई स्कूल बौंली में Mathematics, English, Civics आदि Optional विषय नहीं खोले गये हैं ?

(ख) क्या वहां छात्रों और जनता ने कई दफा उपरोक्त Optional Subjects खोले जाने की मांग की है ?

(ग) यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा अब कब तक उपरोक्त विषय खोल दिये जावेंगे ?

उपमंत्री (श्री सम्पतराम): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पटेलों को सरकारी काम करने का मुआवजा

७८०. डॉ० बहादुरसिंह (श्री पुरुषोत्तमलाल की अनुपस्थिति में) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या अजमेर डिस्ट्रिक्ट की किशनगढ़ व रूपनगढ़ तहसीलों के ग्राम के पटेलों को सरकारी काम करने का मुआवजा नियमानुसार दिया जाता है ?

(२) अगर हां, तो सन् ५७-५८ में किस किस गांव के पटेल को कितना कितना रुपया दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि कमिश्नर अजमेर ने सब डिविजनल ऑफिसर किशनगढ़ को यह आदेश दिया है कि पटेलों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जो नियम प्रकाशित हुए हैं, उन्हें फिलहाल फोर्म में न लाया जाय ? यदि हां, तो क्यों ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) इन गांवों में नियमानुसार पटेलों की नियुक्ति अभी नहीं हुई है। किन्तु, राज्य कार्य की सुविधा के लिए कुछ व्यक्तियों से काम लिया जा रहा है। पारिश्रमिक भी नियमानुसार दे दिया जावेगा।

(२) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(३) राजाज्ञा स्पष्ट न होने से ऐसे अर्थ लगाये गये। अब उसका स्पष्टीकरण निकाल दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : पारिश्रमिक कौन से फंड में से दिये जावेंगे ?

श्री सम्पतराम : यह अभी तय नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के मातहत ऐसे नियम बनाये थे जिनके अन्तर्गत यह वसूली की जाने को है।

श्री सम्पतराम : जी हां। इस वक्त पांच पर्सेंट का प्रोविजन भी है। पर वह अभी विचाराधीन है। वह किसान से लेना है या और किसी फण्ड से देना है यह विचाराधीन है।

डॉ० बहादुरसिंह : उनको पारिश्रमिक देने के लिए सरकार वचनबद्ध है ?

श्री सम्पतराम : जी हां। निर्णय करने के बाद दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो सरकार ने नियम बनाये थे उनका इम्प्ली-मेन्टेशन रोक दिया गया है ?

श्री सम्पतराम : उस एक्सटेन्ट तक।

श्री भैरोंसिंह : किस एक्सटेन्ट तक।

श्री सम्पतराम : यह पांच पर्सेंट लेने का सवाल जहां तक है वहां तक।

श्री भैरोंसिंह : यह पांच रुपया वसूल करने की बात इसलिए पोस्टपोन की गई थी क्योंकि आपको ऐसा अधिकार नहीं था, क्या यह सही नहीं है ?

श्री सम्पतराम : अधिकार तथा अनाधिकार का प्रश्न नहीं है। सारा मामला अभी विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : पांच पर्सेंट तक रोक लिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही नहीं है कि पांच रुपया वसूल करने का अधिकार नहीं था और केवल इस कारण से ऑर्डर को इम्प्ली-मेन्ट करने से रोका था ?

श्री सम्पतराम : वह तो एक कारण था।

श्री नाथूराम मिर्धा : उस डिबेट में जाने से फायदा नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह, नेक्स्ट।

ब्लॉक डेवलपमेन्ट, बिलाड़ा में मनुष्यों तथा पशुओं की संख्या

७८१. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या सामुदायिक विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) (Block Development Bilara) ब्लॉक डेवलपमेन्ट बिलाड़ा द्वारा पीपाड़ सिटी में लगाये गये चार्ट के अनुसार मनुष्य, औरत, बच्चे, मुर्गे, गधे, घोड़े की कितनी कितनी संख्या है ?

(ख) क्या यह सही है कि चार्ट में अंकित संख्या काफी बढ़ा कर लिखी हुई हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

उप विकास मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) विकास खण्ड कार्यालय बिलाड़ा द्वारा कोई चार्ट नहीं लगाया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं, जो चार्ट लगाया गया है, उसकी फोटो लाया हूँ और अगर आपकी इजाज़त हो तो जैसा मन्त्री जी ने कहा है उसे या तो फिर दुरुस्त कर लें, या फिर मैं जो फोटो यहां पेश करूं उसे स्वीकार कर लें।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषी मंत्री) : चार्ट लगाया उससे नुकसान क्या हो गया ?

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह है कि चार्ट लगाया गया या नहीं ? उस चार्ट में जरूरी फिगर्स लगाये गये थे। मैंने उसकी फोटो, स्टेट कॉपी भी ले ली कि ब्लॉक डेवलपमेन्ट में किस तरह से काम होता है और कितने एग्ज़ाज़रेटेड फिगर्स वे जनता के सामने रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके देखने के बाद ही गायब हो गया वहां से ?

श्री सम्पतराम : मेरे ख्याल से आपने चार्ट को देखा नहीं होगा। चश्मा नहीं होगा, या और कोई गलती हुई होगी। वह चार्ट पंचायत ने लगाया है। ब्लॉक डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट ने नहीं लगाया।

Page No.16

श्री भैरोंसिह : वह तो कल पेश कर दूंगा। मुझे अनुमति दी जावे। मंत्रीजी फिर कहें।

श्री अध्यक्ष : आपत्तिजनक बात थी क्या उसमें ?

श्री भैरोंसिह : उस चार्ट में घोड़ों की संख्या बताई गई १०८, जब कि सारे पीपाड़ नगर में ही घोड़े होंगे कुल दस या बारह।

(हंसी)

मुर्गों की संख्या दो हज़ार बताई और मैंने खास तौर से सभी मुर्गा पालने वालों से पूछा कि यह संख्या दो हजार है या नहीं, तो यह मालूम हुआ कि यहाँ ही मुर्गा पालने वाले हैं नहीं मुसलमान आबादी में मुश्किल से डेढ़-दो सौ मुर्गे मिल सकते हैं। मुसलमान आबादी वालों से भी मालूम किया तो उन्होंने भी यही कहा और कहा कि दो हज़ार का तो प्रश्न ही नहीं है तो इस तरह से एग्ज़ाज़रेटेड और झूठे फिगर्स देकर लोगों को मुगालता दिया जाता है।

श्री श्रीभानसिंह : What about the population of asses ?

श्री अध्यक्ष : In the same proportion.

(हंसी)

भूमिहीन हरिजनों को भूमि का अलॉटमेन्ट

७८२. **डॉ० बहादुरसिंह** (श्री प्रभुलाल पुरोहित की अनुपस्थिति में) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला सवाई माधोपुर की खंडार, सपोटरा व सवाई माधोपुर तहसीलों में कितने भूमिहीन हरिजनों ने भूमि की दरख्वास्तें १९५६-५७ में पेश कीं।

(२) उन दरख्वास्तों में से कितनी का निर्णय हुआ और कितनी भूमि इन दो सालों में भूमिहीन हरिजनों को दी गई ?

(३) अब कितनी दरख्वास्तें बाकी हैं और उनका अभी तक निर्णय क्यों नहीं हुआ ?

(४) क्या सरकार ऐसा कोई नियम बना रही है कि भूमिहीनों की दरख्वास्तों का दो महीने में फैसला कर दिया जावे ?

उपराजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) :
(१) खण्डार

सपोटरा १२

सवाई माधोपुर ६७१

(२) खण्डार : प्रश्न नहीं उटता।

सपोटरा : सब का निर्णय हो गया (२६ बीघा ७ बिस्वा भूमि दी गई)

सवाई माधोपुर : ६५६ का निर्णय हुआ। (आबादी व काश्त) में कुल मिलाकर १०९१७) ५ बीघा भूमि दी गई है।

(३) खण्डार : प्रश्न नहीं उठता।

सपोटरा : कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता।

सवाई माधोपुर : १२ शेष हैं। अलॉटमेन्ट कमेटी में दरख्वास्तें अभी मन्जूर नहीं हुई हैं।

(४) ऐसा नियम बनाने का अभी कोई विचार नहीं है।

प्रश्न संख्या ७८३

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

Page No.17

प्रश्न संख्या ७८४

श्री लच्छूराम ।

(अनुपस्थित)

बस्सी तहसील में विकास योजना कार्य

७८५. डॉ० बहादुरसिंह (श्री प्रभुलाल-पुरोहित की अनुपस्थिति में): क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या बस्सी तहसील में विकास योजना का कार्य चालू है ? अगर हां, तो क्या लालसोट तहसील को भी ब्लॉक में शामिल करने का विचार है ? अगर हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उप-विकास मंत्री (श्री सम्पतराम) : इस तहसील में भी सन् १९६३ तक विकास खण्ड खोल दिया जावेगा ।

प्रश्न संख्या ७८६

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम ।

(अनुपस्थित)

करनपुर ब्लॉक में डिग्गियों के लिये सहायता

७८७ श्रीमती सतवन्तकौर (करनपुर): क्या विस्तार सेवा खण्ड मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले तीन वर्षों में करनपुर ब्लॉक से चक ५४ जी.जी. में कितनी डिग्गियां के लिए सहायता दी गई ?

(२) उसमें से कितनी सार्वजनिक हित के लिए हैं और कितनी प्राइवेट हैं ?

(३) जो निजी (प्राइवेट) डिग्गी के लिए सहायता दी गई । क्या वह ब्लॉक अधिकारी क्षेत्र का कार्य था ? यदि नहीं, तो सरकार क्या उस अधिकारी से रकम वापिस करने का प्रबन्ध करेगी ?

उप विकास मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) केवल दो डिग्गियों के लिये ।

(२) दोनों ही डिग्गियां सार्वजनिक हित के लिये हैं ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती सतवन्त कौर : क्या यह सही नहीं है कि इन दो में से एक प्राइवेट व्यक्ति के लिये जिसका उसमें कोई नाम नहीं था, रक्खी गई है ?

श्री सम्पतराम : मेरे पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है । दोनों डिग्गियां सार्वजनिक हित के लिये बनाई गई हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : तो क्या एक रकम सरकार ने सार्वजनिक हित में काम आने के लिये लगाई और दूसरी रकम किसी व्यक्ति के लिये मन्जूर की ?

श्री सम्पतराम : दोनों रकमें सार्वजनिक हित के लिये मन्जूर कीं । शुरू में तीन हजार मन्जूर किया गया था और पन्द्रह सौ दोनों के लिये दिया गया । इनमें से एक तो कम्प्लीट हो गई है और एक थोड़ी बाकी है । इनमें बाकायदा वहां के लोगों द्वारा भी श्रमदान किया गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितना श्रमदान किया गया ?

श्री सम्पतराम : अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, कम्प्लीट होने पर पूरा एस्टीमेट लगाया जा सकेगा ।

तहसील बौंली में चरागाह

७८८. **श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील बौंली के ग्रामों के मवेशियों के लिये पर्याप्त चरागाह हैं ? अगर नहीं है तो सरकार ने चरागाह अलॉट करने का क्या प्रबन्ध किया ?

(२) राजस्थान काश्तकारी कानून, १९५५, के अनुसार कम से कम फी मवेशी १।४ बीघा चरागाह की भूमि नियुक्त करने के सम्बन्ध में सब डिविजनल ऑफिसर ने क्या कार्यवाही की ?

(३) क्या तहसील की सभी पंचायतों व कई ग्रामों ने ऐसे प्रार्थनापत्र पेश किये हैं ? यदि हां, तो कितने तथा उन पर अब तक क्यों कार्यवाही नहीं की गई है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां। दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

(२) सम्बन्धित नियमों में प्रत्येक मवेशी के पीछे १/२ बीघा जमीन छोड़ने का प्रावधान है। तदनुसार कार्यवाही जारी है।

(३) ग्राम मलारना डूंगर बेतड़ रामडी, खिरनी मानोली तथा खोटरी में गोचर भूमि की व्यवस्था के लिये प्रार्थनापत्र तहसील में प्राप्त हुए हैं। जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री पृथ्वीराज : जिस गांव में चरागाह नहीं छोड़ी गई उस गांव के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री सम्पतराम : इस तहसील में करीब ९५ गांव तो खालसा के हैं और ८७ गांव गैर खालसा के हैं। उन खालसा के गांवों में कोई पाश्चर लैण्ड नहीं छोड़ा गया क्योंकि इनका सम्वत् २००४ में बन्दोबस्त हुआ था। बाकी ८७ गांवों में नियमानुसार पाश्चर लैण्ड छोड़ा हुआ है।

लो इन्कम हाउसिंग सकीम के अन्तर्गत हाउस लोन

७८९. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि श्री छीतरमल वैद्य भीलवाड़ा तथा उनकी पत्नी दोनों को ही हाउस लोन लो इन्कम हाउसिंग स्कीम (Low Income Housing Scheme) के अन्तर्गत दिया गया ?

(२) क्या यह सही है दोनों के इस लोन से केवल एक ही मकान बना है ?

(३) क्या यह सही है कि इनके पास एक मकान पहले से ही मौजूद था ?

(४) यह लोन किसकी सिफारिश पर और किसके हुक्म से दिया गया ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) नहीं।

(२) सवाल नहीं उठता।

(३) हां।

(४) बिना किसी सिफारिश के जिलाधीश भीलवाड़ा की आज्ञा से दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : लोन एक के नाम से दिया गया या दोनों के नाम से।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक के नाम से।

श्री भैरोंसिंह : किसके नाम से ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे आदमी हैं।

श्री भैरोंसिंह : नाम ?

श्री नाथूराम मिर्धा : छीतरमलजी।

श्री भैरोंसिंह : उनकी औरत के नाम से भी लोन लिया हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं है जी, मैंने कह दिया न।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उन्होंने जो लोन की दर्ख्वास्त पेश की थी उसमें इस बात का उल्लेख था कि निजी मकान नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं। उन्होंने कहा था कि आधा बना हुआ है मेरे पास मकान।

चरागाह की पचायतों को सुपुर्दगी

७६०. **श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि तहसील बौंली में पंचायतों के बराबर निवेदन करने पर भी तहसील ने चरागाह पंचायत को सुपुर्द नहीं किये हैं, जिससे पंचायतों को काफी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या तहसील बौंली द्वारा चरागाह की आमदनी पंचायतों को शीघ्र दी जाने का प्रबन्ध किया जावेगा ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : इसको भी पोस्टपोन कर दिया जावे।"

दरबार इन्टर कॉलेज, किशनगढ़ में टाइपराइटर

७६१. **डॉ० बहादुरसिंह** (श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा की अनुपस्थिति में) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) दरबार इन्टर कॉलेज, किशनगढ़ में कॉमर्स क्लासेज़ के लिए कितने Typewriters (टाइपराइटर्स) हैं और क्या वे छात्र संख्या के अनुसार पर्याप्त हैं ?

(२) अगर नहीं, तो यह कमी कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त कॉलेज़ में फिजिक्स पढ़ाने वाला लेक्चरार नहीं है ?

(४) अगर हां, तो कब से तथा इसकी नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उप शिक्षा-मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) पांच हिन्दी टाइपराइटर्स हैं जो पर्याप्त नहीं हैं।

(२) धनराशि उपलब्ध होने पर पूरी कर दी जावेगी।

(३) जी हां।

(४) इस सेशन के शुरू से। नियुक्ति पहले की जा चुकी है मगर उस व्यक्ति के हाजिर न होने के कारण अब दूसरी नियुक्ति की जा रही है।

डॉ० बहादुरसिंह : छात्रों की संख्या क्या है और उनका टाइपिंग का नम्बर कितने दिनों बाद पड़ता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : छात्रों की संख्या ३० है।

डॉ० बहादुरसिंह : जब कि टायराइटर्स नम्बर में इतने कम उपलब्ध हैं कि वह अपर्याप्त हैं तो इस प्रकार से जो उनकी ट्रेनिंग है उसमें भारी कमी रहेगी, क्या सरकार इसको महसूस करती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, महसूस करती है लेकिन इसका जवाब दिया जा चुका है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या वहां के प्रिंसिपल का भी ट्रांसफर हो चुका है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके लिए तो आप अलग से प्रश्न पूछें।

डॉ० बहादुरसिंह : दरबार इन्टर कॉलेज, किशनगढ़ के प्रिन्सिपल के ट्रांसफर होते समय वहां के जो माननीय सदस्य हैं उनके घर पर विद्यार्थियों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अगर आप सवाल को पढ़कर पूरक प्रश्न पूछें तो अच्छा रहेगा। यह प्रश्न जो पूछा गया है यह फिजिक्स के लेक्चरार और टाइपराइटर्स के सम्बन्ध में हैं। अब वहां के प्रिन्सिपल के ट्रांसफर के बारे में और प्रदर्शन के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या सरकार ने फिजिक्स के लेक्चरार की नियुक्ति नहीं की है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसका तो उत्तर चौथे भाग में दे दिया है। नियुक्ति एक दो दिन में हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

तहसील आमेर के हैडक्वार्टर का स्थानान्तरण

७६२. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): Will the Revenue Minister be pleased to state :

(a) Is it correct that the Head Quarter of Tehsil Amber is located in Amber town which is situated at one end of the Tehsil area and that people from all parts of the Tehsil have to reach Amber via Jaipur, which puts the peasants into great trouble ?

(b) Is it correct that a few years back it was published in the Rajasthan Gazette that the Tehsil Head Quarter would be shifted to Chomu which is centrally located ?

(c) Is the Government aware that nearly 90% of the population of this Tehsil and also all the 24 Panchayats want the Tehsil Head Quarter to be shifted to Chomu ?

(d) Has the Government tried to ascertain the views of the residents of Tehsil as well as the Panchayats as to the Location of the Head Quarter of the Tehsil ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (a) This is true that the Head Quarter of Tehsil Amber is located in Amber town which is situated at one end of the Tehsil area and that people from all parts of the Tehsil have to reach Amber via Jaipur but there

(श्री सम्पतराम)

is a regular bus service between Amber and Jaipur.

(b) Yes.

(c) Yes. The Government is aware that majority of the population wanted Tehsil Head Quarters at Chomu, but there were certain administrative difficulties which came in way to implement the order.

(d) Already mentioned above.

श्री पी० के० चौधरी : What are the administrative difficulties for the Government ?

श्री सम्पतराम : One of the most important difficulty was the availability of a suitable building for the purpose.

श्री पी० के० चौधरी : Is the Government aware that the building is available now at Chomu ?

श्री सम्पतराम The Government has tried its level best but failed to get it.

श्री पी० के० चौधरी : In which year it was published in the Gazette for the shifting of the building ?

श्री सम्पतराम : That much I have admitted in my reply. It was published in the Gazatte that the Head Quarters will be shifted but it was cancelled.

श्री पी० के० चौधरी : In which year it was published ?

श्री सम्पतराम : It was published on 4-12-54.

ग्राम समदड़ी में उप-तहसील की स्थापना

७६३. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा): क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जिला बाड़मेर में सिवाना तहसील के ग्राम समदड़ी को उप-तहसील बनाने की योजना है ?

(२) क्या उप-तहसील बनाने हेतु वहां की जनता ने कोई मांग की है ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) :
(१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं ।

श्री अनूपसिंह : क्या सरकार ने कभी इस प्रश्न को इस दृष्टिकोण से एग्ज़ामिन कराया है कि अगर ग्राम समदड़ी में उप-तहसील रख दी जाये तो जनता को प्रशासनिक दृष्टि से कुछ सुविधा हो सकती है ?

श्री सम्पतराम : विचार किया या नहीं किया वह तो अलग प्रश्न है लेकिन जो आपने पूछा है उसका जवाब दे दिया है । इस प्रकार के मसले राजस्थान के अन्य स्थानों से भी आये हैं कि उनको उप-तहसील बना दिया जाये लेकिन इस इन्डीविजुअल केस में कोई निर्णय सैप्रेटली नहीं किया जा सकता ।

श्री अनूपसिंह : जो आपने विचार के लिए कमेटी बैठाई है उसके सामने यह प्रश्न आया है कि इस स्थान को उप-तहसील कराया जाये या नहीं ?

Page No.22

श्री सम्पतराम : यह पता नहीं कि उस कमेटी के सामने यह सवाल आया या नहीं, मगर इतना अवश्य है कि वहां उप-तहसील नहीं बनाई जायेगी।

श्री अनूपसिंह : क्या वहां की जनता की ऐसी मांग है कि समदड़ी को उप-तहसील बनाया जाये ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : जनता के तो नुमाइन्दे आप हैं। सब-तहसील का मामला सब-कमेटी देख रही है और आपकी बहस उसके पास चली जायेगी और इस पर वह विचार कर लेगी।

श्री अनूपसिंह : बड़ी मेहरबानी है कि मेरा सुझाव है उस पर कार्यवाही शुरू हो जायेगी। यह तो अच्छी बात है लेकिन मैंने पिछले समर सैशन में भी यही सवाल रखा था और उस सैशन में भी यही उत्तर दिया गया था कि अभी विचार नहीं हुआ है और इस बार भी यही उत्तर मिला है।

श्री अध्यक्ष : अब मौसम काफी ठंडा है।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सवाल कोई सवाल-जवाब से हल नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

ग्राम पींगलोद के किसानों की बेदखली

७६४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसीलदार रूपनगर जिला अजमेर ने ग्राम पींगलोद के किन किन किसानों को अपनी भूमि में से कब्जा छुड़ाने का आदेश दिया है ?

(२) उक्त किसानों में ऐसे कौन कौन हैं जिनका उक्त जमीनों पर कब्जा टिनेन्सी एक्ट लागू होने के पहिले से चला आ रहा है?

(३) उक्त किसानों को भूमि छोड़ने के आदेश क्यों दिये गये ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) तहसीलदार रूपनगर जिला अजमेर ने ग्राम पींगलोद के किसी भी किसान को अपनी भूमि से कब्जा हटाने का आदेश नहीं दिया।

(२) सवाल ही पैदा नहीं होता।

(३) सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या वहां के किसानों ने चरागाह के लिए भूमि सरेण्डर की थी ?

श्री सम्पतराम : यह सवाल अलग है। आपने पूछा है कि क्या तहसीलदार रूपनगर, जिला अजमेर ने ग्राम पींगलोद के किन किन किसानों को अपनी भूमि में से कब्जा छुड़ाने का आदेश दिया है ? मैं उसका उत्तर दे चुका हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

राजस्थान में परिभ्रमण-केन्द्र

७६५. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में परिभ्रमण केन्द्र कहां कहां खोले गये हैं ?

(२) उनमें से प्रत्येक पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है ?

Page No.23

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

(३) उक्त केन्द्रों से सरकार को क्या आय होती है ?

(४) क्या सरकार भरतपुर तथा डीग को भी उक्त प्रकार के केन्द्रों में सम्मिलित करने का विचार रखती है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा, मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) राजस्थान में निम्नलिखित चार स्थानों पर परिभ्रमण-केन्द्र खोले गये हैं :

(क) उदयपुर (ख) बूंदी तथा माउन्ट आबू (ग) चित्तौड़गढ़ (घ) भरतपुर ।

(२) इन परिभ्रमण-केन्द्रों पर सालाना खर्चा निम्नलिखित प्रकार से है :

(क) उदयपुर	७,२८०) रु०
(ख) बूंदी, माउन्ट आबू	३,७२०) रु०
(ग) चित्तौड़गढ़	४,०००) रु०
(घ) भरतपुर	५,०००) रु०
	२०,०००) रु०

(३) सरकार को इन केन्द्रों से कोई आय नहीं होती है ।

(४) भरतपुर में परिभ्रमण-केन्द्र माह अगस्त में खोल दिया गया है । डीग में अभी ऐसा केन्द्र खोलने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : केन्द्रों को क्या क्या सुविधाएँ दी जाती हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : केन्द्रों को सुविधाएँ तो कुछ नहीं, मगर वहां पर कुछ स्टाफ रहता है । एक असिस्टेन्ट रहता है, एक-दो क्लर्क रहते हैं, रसोइया रहता है, और जो जो वहां टूरिस्ट्स आते हैं उनको वह खाना बनाकर खिलाता है और उनकी सेवा करता है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या भरतपुर में ये सुविधाएँ उपलब्ध हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी वहां केन्द्र खुला ही है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह सुविधायें कब तक उपलब्ध हो जायेंगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये सुविधायें तो वहां आज भी मौजूद हैं । वहां पर रसोइया है, अहलकार है और कोई टूरिस्ट आता है तो उसको खाना वगैरह खिलाते हैं और उनको वहां रहने देते हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं आपको बताऊं, वहां न अभी अहलकार है, न रसोइया है और न ऑफिस है । सिर्फ एक आदमी आपका एक प्राइवेट मकान में रहता है ।

श्री अध्यक्ष : एक बोर्ड तो लग रहा है वहां पर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां सैंक्चुरी में टूरिस्ट्स आते हैं और वहां ठहरते हैं, वहां पर रसोइया भी है जो उनको खाना भी खिलाता है ।

श्री श्रीभानसिंह : मगर जो आप कह रहे हैं वह तो फोरेस्ट के मकान हैं या फिर टूरिस्ट डिपार्टमेन्ट ने उनको ले लिए हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो एक ही बात है । भरतपुर में ज्यादा स्थान तो ऐसे देखने के हैं नहीं । भरतपुर में घना सैंक्चुरी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है बर्ड्स की तो सिर्फ उसे ही देखने के लिए चले जाते हैं। इसके सिवाय कोई और दूसरी चीज नहीं है देखने की। बहुत ही कम महल देखने के लिए जाते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उनके पास भरतपुर में देखने के लायक स्थानों की सूची तक नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सूची वगैरह तो सब छपी हुई हैं। डीग वगैरह में भी थोड़े से आदमी जाते हैं। दूसरे भरतपुर का किला देखते हैं। मगर सबसे ज्यादा तो डक्स, चिड़ियां देखने के लिए जाते हैं। इसके अलावा और कोई देखने की चीज नहीं है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : और भी दूसरे स्थान हैं जो आपकी सूची में नहीं हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कोई सुझाव दीजिये तो सूची में जोड़ देंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपके पास कोई ऐसी सूची है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : टूरिस्ट महकमे से मांग लीजिये। आप कहेंगे तो मैं भिजवा दूंगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जी हां, आप भिजवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री धन्नालाल हरित।

छबड़ा कस्बे में चरागाह की भूमि

७९६. **श्री धन्नालाल हरित** (छबड़ा सु०) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) छबड़ा कस्बे में चरागाह के लिये कितनी भूमि है ?

(२) क्या यह सही है कि कस्बे के पास डूंगरी पर जंगलात विभाग द्वारा कब्जा कर लेने एवं लक्खी बीड़ का ठेका राजस्व विभाग द्वारा दिये जाने से पशुओं के चरने को कोई जगह नहीं रही है ?

(३) क्या छबड़ा की जनता ने लक्खी बीड़ को चरागाह में परिवर्तन करने का प्रार्थना पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या हुक्म दिया गया ? अगर नहीं तो अब कब तक दे दिया जावेगा ?

उप-राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) :

(१) कस्बा छबड़ा में चरागाह की भूमि ११७ बीघा १३ बिस्वा है।

(२) कस्बा छबड़ा के मवेशियान के डूंगरी छबड़ा के पास वाली तथा लक्खी बीड़ का ठेका होने के कारण भारी असुविधा थी। मवेशियों के लिए चारा मिलना दुर्लभ हो गया था। खालों में या दूसरे गांवों की हद में ले जाने से गांव वालों में आपस में झगड़ा हुआ करता था।

(३) लक्खी बीड़ के चरागाह में परिवर्तन किये जाने हेतु जनता छबड़ा ने प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर आज्ञा कमिश्नरी कोटा से उक्त ठेका सदैव के लिए तोड़ा जाकर बीड़ जनता के सुपुर्द करने की आज्ञा हो चुकी है।

श्री रामचन्द्र : कोटा डिविज़न में प्रति मवेशी कितनी भूमि रिजर्व रखी गई है ?

श्री सम्पतराम : इसका जवाब देना तो मेरी सामर्थ्य के बाहर है कि पूरे कोटा डिविज़न में कितनी भूमि प्रति मवेशी रखी गई है।

Page No.25

श्री रामचन्द्र : यह तो छबड़ा का ही प्रश्न चल रहा, है वह भी तो कोटा डिविज़न में है, इसलिए पूछा है । छबड़ा कोई कोटा डिविज़न से अलग थोड़े ही है ।

श्री सम्पतराम : छबड़ा का तो स्पेसिफिक जवाब पूछा गया है, इसलिए अर्ज किया था । सारे कोटा डिविज़न के बारे में बताना तो मुश्किल है ।

पेनावड़ा आदिवासी बस्ती

७६७. **श्री भैरोंसिह (श्रीमाधोपुर) :** क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) केलवाड़ा ग्राम पंचायत, जिला कोटा के निकट पेनवाड़ा कॉलोनी में कितने आदिवासियों को बसाया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि इन आदिवासियों को वहां पर पहले से आबाद आदिवासियों की भूमि काश्त के लिए बताई गई ?

(ग) यदि नहीं, तो जो भूमि नये बसने वाले आदिवासियों को दी गई, उस पर उनका अधिकार होने से पूर्व किन किन का अधिकार था ?

उप-समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) केलवाड़ा के निकट पेनावड़ा नामक ग्राम में २० आदिवासियों यानी सहरियों के परिवारों को बसाने की योजना चल रही है । यह योजना अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, अभी कार्य चालू है ।

(ख) जी नहीं । कॉलोनी में सम्मिलित किये गये आदिवासियों को भूमि आवंटन करने से पहले संबन्धित आवंटन भूमि कानूनन किसी भी आदिवासी के अधिकार में नहीं थी।

(ग) इसके पूर्व पड़त भूमि पर कुछ अन्य लोगों ने अवैध अधिकार कर लिया था ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि इस आबादी के अन्दर सहरिया लोगों को आबाद कर दिया गया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सहरिया लोगों को कुछ भूमि दे दी गई है ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि भूमि ही नहीं, जो मकान बनाये गये थे, उनमें भी रख दिया गया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मकान कुछ बन गये हैं और कुछ इन्कम्प्लीट हैं ।

श्री भैरोंसिह : मेरा प्रश्न मकान बनने या न बनने का नहीं है । मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि सहरिया लोगों को उन मकानों में रहने की इजाजत दे दी गई है और वे रहने लगे हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवे-किया है कि कुछ जो बन गये हैं, उनमें रहने लगे हैं और जो इन्कम्प्लीट हैं, उनमें नहीं रहने लगे हैं ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि स्थानीय सहरियों को बेदखल करके उनकी जमीन पर इन सहरियों को आबाद किया गया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया है कि कुछ ग्रामवासियों ने इन सहरियों को भूमि आवंटन होने के पूर्व ही तहसील अलॉटमेंट कमेटी की इजाजत के बिना अनुचित रूप से भूमि पर अधिकार कर लिया था और धोखे से पर्चे बन्दोबस्त से प्राप्त कर

Page No.26

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

लिये थे। जब उन्होंने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था, तो बेदखल करेंगे ही, क्योंकि उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह बेदखली कानूनन नहीं होकर उन्हें यह डरा-धमका कर लिखाया गया है? जमीन छोड़ने के बारे में उनसे कहा गया है कि अगर जमीन नहीं छोड़ी तो तुम अमृतलाल डाकू को सहयोग देते हो, इस इलजाम में गिरफ्तार किये जाओगे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उनको बेदखल किस कानून से कराया गया है जबकि उनको पर्चे मिल गये हैं। उन पर्चों की अपील या रिविज़न न करके सरकार ने उनको किस कानून से बेदखल किया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि जो कुछ लोगों ने उस कॉलोनी के अन्दर तहसील अलॉटमेन्ट कमेटी की बिना आज्ञा कब्जा कर लिया, उनसे कहा गया कि कब्जा क्यों कर लिया? इसके बाद सारी बातें होकर उन्होंने कहा कि वापस जमीन ले लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : अनधिकृत कब्जा करने का प्रश्न नहीं है। जब उनको खातेदारी के पर्चे मिल गये और पर्चे मिलने के बाद उनका कब्जा है और २० वर्षों से वे काबिज हैं, उन लोगों से जमीन छुड़ाकर दूसरे सहरियों को आबाद किया गया और वह जमीन उन लोगों को काश्त के लिए दी गई है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसा होता है तो उन्हें भी कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार था। वह भी कोर्ट में गये होते और कार्यवाही कर सकते थे कि जबर्दस्ती जो वाजिब है वह जमीन उनसे ली जा रही है। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि जिन लोगों को बेदखल किया गया है, उनको टिनेन्सी एक्ट के मातहत खातेदारी के हक नहीं मिल चुके थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बिना अलॉटमेन्ट के कैसे हक मिल गये? धोखे से कराया तो ऐसी शक्ल में कैसे हक हो सकता है ?

श्री पी० के० चौधरी : The question was very simple, Sir. as they were given Khatedari rights, whether they were having khatedari rights or not...

श्री अध्यक्ष : This is a question of legal interpretation. If it is so, they could proceed according to law.

श्री भैरोंसिंह: उनको खातेदारी हक हैं, तो जबर्दस्ती उनसे जमीन छुड़वाई गई है। अगर उन्होंने धोखे से प्राप्त कर ली थी तो सरकार को कोर्ट में जाकर कहना था कि उनके हकूक हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : हक है या नहीं, वह उन्होंने कह दिया है। फ्रॉड की बात कही है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कहा कि उनको पर्चे मिल गये। धोखे से मिले या गलती से मिले उसके बारे में गवर्नमेन्ट को चाहिये था कि गवर्नमेन्ट कोर्ट

(श्री भैरोंसिंह)

में जाकर उनको बाकायदा बेदखल करवाती, लेकिन अपने एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर से उनको बेदखल कर दिया और दूसरे लोगों को जमीन अलॉट कर दी गई।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निवेदन करूं कि अनधिकृत रूप से, जो भूमि अनुचित रूप से कब्जे में कर ली गई है, उसके लिए कार्यवाही जारी है। ऐसी बात नहीं है कि कार्यवाही नहीं हुई हो।

श्री भैरोंसिंह : कार्यवाही जारी है, लेकिन उनको बेदखल तो कर दिया।

श्री अध्यक्ष : उसके बाद कार्यवाही जारी है।

(हंसी)

श्री गिरधारीलाल : बेदखली किस कानून से की गई है ?

प्रश्न संख्या ७६८

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

(अनुपस्थित)

तहसील देवली में सरकारी मकानात

७६६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील देवली, डिस्ट्रिक्ट टौंक में कितने सरकारी मकानात हैं ?

(१) क्या यह सही है कि सरकार तहसीलदार, नायब तहसीलदार और गिरदावरों को नियमानुसार मकान किराया देती है ?

(३) क्या यह सही है कि देवली में सरकार मकानों की कमी महसूस करती है ? अगर हां, तो सरकार देवली को डेवलप करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में): (१) तहसील देवली में कुल ५०सरकारी मकानात हैं, जिनमें से १६ मकानात केन्द्रीय सरकार के कब्जे में हैं और शेष ३४ मकानात राजस्थान सरकार के अधीन हैं। इनमें स्कूल, चौकी व पटवारखानों की इमारतें भी सम्मिलित हैं।

(२) तहसीलदारों, नायब-तहसीलदारों व गिरदावरों को मकान किराया देने का कोई नियम नहीं है।

(३) जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने उस वक्त कहा था कि पटवारियों को ४) रु० दिया जाता है, तो फिर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पटवारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार थोड़े ही हैं। पटवारी अलग हैं और तहसीलदार, नायब तहसीलदार अलग हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : नायब तहसीलदार और तहसीलदार, देवली किस मकान में रहते हैं, किराये के मकान में रहते हैं या सरकारी मकान में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आपने पूछा नहीं था कि नायब तहसीलदार कहां रहते हैं। वर्ना आपको मकान का नम्बर भी बताता कि वहां पर रहते हैं।

Page No.28

तहसील शेरगढ़ में अग्निकाण्ड

८००. श्री सूरजमल (फलोदी सु०) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील शेरगढ़ का ग्राम भालू कल्लो में तारीख २६-१२-५७ को सायं करीब ५ बजे कुछ राजपूतों की ढाणी जली ?

(२) क्या यह सही है कि इस ढाणी के जलते समय उसमें जन, धन पशु आदि की अधिक हानि हुई ? यदि हां, तो कितनी धन-राशि की हानि हुई ?

(३) क्या इस ढाणी के जलने के पश्चात् सरकार ने किसी सरकारी अधिकारी से जांच करवाई ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(४) यह ढाणी किसकी थी और सरकार ने उसको कितनी सहायता दी ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी, हां ।

(२) १,७२०) रु० का नुकसान हुआ था । आदमियों या पशुओं को कोई नुकसान नहीं हुआ ।

(३) तारीख ६-४-५८ को रेवेन्यु इन्स-पेक्टर, बालासर द्वारा जांच कराई गई थी ।

(४) यह ढाणी श्री बाघसिंह पुत्र जगतसिंह राजपूत की थी । सरकार ने सहायता के लिए ६०) रु० मंजूर किये हैं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : चार महीनों के बाद इन्क्वायरी करवाने का क्या कारण था ?

श्री सम्पतराम : हो सकता है सूचना बाद में मिली हो ।

डॉ० बहादुरसिंह : वहां पर अमूमन आग लगती रहती है, उसके लिए फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था की जा रही है क्या ?

श्री सम्पतराम : हो सकता है कि धौलपुर के देहातों में इस प्रकार की व्यवस्था हो, लेकिन जोधपुर के देहातों में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : आग लगने की सूचना आपको कब प्राप्त हुई ?

श्री सम्पतराम : यह तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री सूरजमल : नुकसान कितने का बताया आपने ?

श्री सम्पतराम : १,७२०) रु० का ।

तहसील दीगोद में जमीन की खातेदारी

८०१. श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा सु०) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम डाहरा, तहसील लाडपुरा के मोडू मीना की पोलाई कलां, तहसील दीगोद के माल की जमीन समीर मुहम्मद पटवारी ने अपने पुत्र के नाम खाते बंधवाली है ?

(२) उक्त जमीन की रजिस्ट्री तहसीलदार दीगोद द्वारा कब की गई ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी नहीं ।

(२) रजिस्ट्री होना नहीं पाया जाता है ।

प्रश्न संख्या ७६७

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

Page No.29

प्रश्न संख्या ७६६

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

शिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण

७७१. **श्री सज्जनसिंह** (बूंदी) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) गत बजट अधिवेशन में दिये गये मेरे इस विषय के प्रश्न संख्या ३६३, दिनांक २४ फरवरी, १६५८ के उत्तर की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए क्या वे बतायेंगे कि बूंदी के :

(१) हाडेन्द्र इन्टर कॉलेज,

(२) महारानी गर्ल्स हाई स्कूल,

(३) हाडेन्द्र कॉलेज होस्टल, के भवन निर्माण के लिए इस वर्ष के यानी सन् ५८–५६ के बजट में क्या प्रावधान रखा गया है ?

(२) क्या इस वर्ष बूंदी के हाडेन्द्र इन्टर कॉलेज को डिग्री कॉलेज बनाने की योजना है ?

(३) यदि प्रश्न नं० २ का उत्तर "ना" में हो, तो क्या सरकार उन तथ्यों पर प्रकाश डालेगी जिनके कारण सरकार ऐसा नहीं कर सकी ?

(४) बढ़ती हुई छात्र संख्या को देखते हुए क्या सरकार आगामी वर्ष यानी ५६-६० में बूंदी में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई): (१) आर्थिक कठिनाई के कारण प्रश्नास्पद भवनों के निर्माण हेतु १६५८-५६ के बजट में कोई प्रावधान नहीं किया जा सका ।

(२) जी नहीं ।

(३) इस प्रकार के अन्य मामलों के साथ यह मामला भी सरकार के विचाराधीन है ।

(४) उत्तर मद (३) में दिया जा चुका है ।

गिरदावर-कानूनगो व ऑफिस कानूनगो को अलाउन्स

७७२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि गिरदावर कानूनगो व ऑफिस कानूनगो को २५) व ३०) रु० अलाउन्स मिलते हैं और सहायक कानूनगो को अलाउन्स कुछ नहीं दिया जाता ?

(ख) यदि हां, तो सरकार कब तक सहायक कानूनगो को अलाउन्स दिलाने का विचार रखती है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) गिरदावर कानूनगो को वाहन भत्ता (कन्वेन्स अलाउन्स) के ३०) रु० प्रति माह व ऑफिस कानूनगो को २५) रु० प्रति माह ऑफिस अलाउन्स के दिये जाते हैं । सहायक कानूनगो को कोई अलाउन्स नहीं दिया जाता ।

(ख) सहायक कानूनगो को अलाउन्स देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न संख्या ७७६

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात ।

(अनुपस्थित)

Page No.30

भारत सेवक समाज

७८३- **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) भारत सेवक समाज की राजस्थान शाखा के प्रधान संयोजक इस समय कौन हैं? उनकी प्रान्तीय कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ।

(२) क्या यह सही है कि इनमें से किसी का भी चुनाव नहीं होता ?

(३) क्या यह सही है कि इनमें से अधिकांश सदस्य उदयपुर डिविज़न के हैं ?

(४) क्या यह सही है कि वर्तमान संयोजक के विरुद्ध अनेक शिकायतें भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार के पास आई हैं ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) भारत सेवक समाज की राजस्थान शाखा के प्रदेश संयोजक श्रीयुत माणिक्यलालजी वर्मा, एम. पी. हैं । प्रदेश प्रान्तीय कार्यकारिणी के सदस्यों की नामावली नीचे लिखे अनुसार है :

(१) श्री माणिक्यलालजी वर्मा, भूपालपुरा, उदयपुर ।

(२) श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपमंत्री, शिक्षा ।

(३) श्री भीखाभाई, उपमंत्री, समाज-कल्याण ।

(४) श्री बालकृष्ण गर्ग, भारत सेवक समाज, हाथीभाटा, अजमेर ।

(५) श्री ओमदत्त शास्त्री, हिन्द आयुर्वेदिक फार्मेसी, जौहरी बाजार, जयपुर ।

(६) श्री बद्रीनारायण सोढाणी, राजस्थान जल बोर्ड, गाँधीनगर, जयपुर ।

(७) श्री अमृतलाल गहलोत, भारत सेवक समाज, जोधपुर ।

(८) श्री भंवरलाल बदादा, राजस्थान हरिजन सेवक संघ, भीलवाड़ा ।

(९) श्री कुंवर रघुवीरसिंहजी, राजस्थान भारत सेवक समाज, जयपुर ।

(१०) श्री भैरोंलाल अग्रवाल, खातीपुरा, जयपुर ।

(११) श्री मंडन मिश्र शास्त्री, जयपुर ।

(२) प्रान्तीय कार्यकारिणी की नियुक्ति राजस्थान प्रदेश भारत सेवक समाज का प्रदेश बोर्ड करता है । इस कार्यकारिणी की नियुक्ति समाज के प्रदेश बोर्ड ने १६-७-५८ की बैठक में की ।

(३) जी नहीं ।

(४) इस कार्यालय में प्रदेश संयोजक के विरुद्ध कोई शिकायतें भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई ।

श्री पी० के० चौधरी : Is Mandon Misra a Government employee ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको ऐसी ऐसी जानकारी कहां से हो जाती हैं ? वह गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट कतई नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या वे संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर नहीं हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह अभी हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे १० साल से प्रोफेसर हैं।

श्री अर्जनदास : ऐसी गप क्यों मारी जाती है ?

प्रश्न संख्या ७६८

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

श्रीमती सतवन्त कौर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि कल गुरु नानक का जन्मदिन है, इसलिये कल हाउस की छुट्टी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने सुन लिया है।

१२.११ म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व, मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि श्री भीखाभाई ने दिनांक १७-११-५८ से १०-१२-५८ तक सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है...

श्री अर्जनदास : Any reasons for it, Sir.

श्री अध्यक्ष : He has gone to Japan.

श्री पी० के० चौधरी : For how many days he is gone ?

श्री अध्यक्ष : He wants permission to absent himself from 17-11-58 to 10-12-58.

श्री भैरोंसिंह : क्या उनको सरकार ने जापान भेजा है ?

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

१२.१३ म० प०

घोषणाएं

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि मुरलीधर व्यास के सम्बन्ध में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, बीकानेर का पत्र दिनांक..........आया है, वह इस प्रकार है :

To,

The Speaker,

Rajasthan Legislative Assembly,

Jaipur.

Dear Mr. Speaker,

I have the honour to inform you that Shri Murli Dhar Vyas, M. L. A. who was arrested on the 8th October, 1958, was released on bail pending enquiry on the 21st November, 1958.

श्री पी० के० चौधरी : Was the House informed about the arrest previously or is this the first information ?

श्री अध्यक्ष : You ought to have ascertained it yourself.

Page No.32

१२.१५ म० प०

विधायी कार्य

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५८

(अग्रेतर विचार)

श्री अध्यक्ष : Legislative business; Municipalities Bill, Clause 5.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): I move the amendment in clause 5, sub-clause (1), part (a)-"Delete the words 'or two or more neighbouring towns" and in part (b), "delete the words 'or two or more......suburb's."

"In part (ii) of the proviso to sub-clause (1) substitute the word 'ten' in place of the word 'five'."

These are my amendments.

अध्यक्ष महोदय, जो ओरिजिनल क्लॉज़ है, उसमें यह डिफाइन किया जाता है कि कौन से लोकल एरियाज़ को हम म्युनिसिपल एरिया डिक्लेअर कर सकते हैं । इसके सब-सेक्शन (१), पार्ट (ए) में कहा गया है :

" (1) Any local area which comprises :

(a) a city or a town or two or more neighbouring towns with or without any village, suburb or land adjoining, thereto......"

इसमें मेरा जो अमेन्डमेन्ट है, वह यह है : Delete the words 'or two or more neighbouring towns...' यह अमेन्डमेन्ट इसलिए मूव किया है कि म्युनिसिपल एरिया डिक्लेअर करना है, तो शहर का एक कंटुग्युअस एरिया होता है वही होनी चाहिए, न कि अलग अलग डिटेन्ड शहर या टाउन हो उनको म्युनिसिपल एरिया डिक्लेअर किया जाय, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ भी होती है और बीच में मान लीजिये कोई विलेज आता है तो भी दिक्कत पड़ती है । यह कॉमनसेन्स की बात है कि म्युनिसिपेलिटी किसी एरिया में डिक्लेअर करें तो उसमें ज्योग्रेफिकल कंटिन्युटी रहनी चाहिए, तो इस सिलसिले में मेरा जो अमेन्डमेन्ट है उसके अनुसार ' two or more towns' को डीलीट कर दीजिये ।

मेरा दूसरा अमेन्डमेन्ट्स पार्ट (बी) सब-सेक्शन (१) में है : Delete the words 'or two or more......suburbs' इसमें यह है कि गवर्नमेंट किसी गांव को या टू और मोर विलेजेज़ में म्युनिसिपेलिटी डिक्लेअर कर सकती है । मेरी इसमें राय यह है कि इस क्लॉज़ के मातहत छोटे छोटे गांवों को मिलाकर भी म्युनिसिपेलिटी बना सकते हैं । आगे जाकर हम आबादी निर्धारित कर देंगे कि कम से कम इतनी आबादी वाला म्युनिसिपल एरिया होना चाहिये, लेकिन यह जो पार्ट (बी) है, उसमें टू और मोर विलेजेज़ रहता है, तो छोटे छोटे विलेजेज़ को मिलाकर म्युनिसिपल एरिया डिक्लेअर कर सकते हैं । लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि गांवों को क्यों म्युनिसिपल एरिया डिक्लेअर करना चाहते ? आज हम कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स गांवों में खोलने जा रहे हैं और ग्राम पंचायतों को ज्यादा अधिकार दे रहे हैं । दूसरी तरफ हमने यह देखा है कि जहां पर १० हजार की आबादी वाले टाउन्स में म्युनिसिपेलिटीज़ हैं, वहां भी लोग महसूस करते हैं कि म्युनिसिपल एरिया होने के कारण डेवलपमेन्ट के लिए ग्रान्ट नहीं मिलती है और प्लान्स को

(श्री पी० के० चौधरी)

एग्जीक्यूट करने के लिये जितने अधिकार चाहियें, वे अधिकार म्युनिसिपेलिटीज को नहीं हैं और जितने अधिकार पंचायतों को हैं उतने अधिकार भी म्युनिसिपेलिटीज को नहीं है आगे चलकर हमारी यह नीति है कि पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देंगे और इस तरह से ज्यादा से ज्यादा इन्तजाम उनके हाथ में देने जा रहे हैं और काफी पॉवर्स देने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि डेवलपमेन्ट फंड्स भी अलॉट होते हैं विलेज एरियाज में। सारे एडवान्टेजेज पंचायतों को मिलते हैं। म्युनिसिपल एरिया इसलिए डिक्लेअर करते हैं कि कंजेस्टेड एरिया में जो विलेज पंचायत की डेफिनेशन में नहीं आता है, वहां हम सेल्फ गवर्नमेन्ट के अधिकार म्युनिसिपेलिटी को देते हैं ताकि सही माने में सेल्फ गवर्नमेन्ट न भी हो तो भी लिमिटेड स्कीयर में सेल्फ गवर्नमेन्ट कर सकें या स्वायत्त शासन कर सकें, इसलिये म्युनिसिपेलिटी का प्रावधान रखा है और कोई वजह नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि पंचायतों को सेल्फ गवर्नमेंट के म्युनिसिपेलिटीज से ज्यादा अधिकार मिलते हैं और उनके पास ज्यादा फंडस एवलेबल होते हैं। हर तरह की जो डेवलपमेन्ट स्कीम्स हैं, उनके अंतर्गत ज्यादा फंडस पंचायतों को एडवान्स होते हैं। इसलिए मेरी यह मान्यता है कि जबर्दस्ती किसी विलेज को म्युनिसिपल एरिया डिक्लेअर नहीं करना चाहिये और जब आगे चलकर पोपुलेशन तय करनेवाले हैं, चाहे वह ५ हजार हो या १० हजार हो, एक म्युनिसिपेलिटी की इतनी पोपुलेशन होनी चाहिये। अब पोपुलेशन मुकर्रर करने के बाद यह कर दें कि इतने गांवों को मिला दें, तो उसका मतलब यह होता है कि कम से कम छोटे छोटे विलेजेज़ है, स्मॉलेस्ट म्युनिसिपेलिटी के लिए कितनी आबादी के होने चाहिये, कौन से विलेजेज में जिनकी पोपुलेशन कम से कम इतनी हो जिनमें म्युनिसिपेलिटी कायम करनी चाहिए और इससे कम पोपुलेशन होगी तो उसे म्युनिसिपल एरिया में इन्क्लूड नहीं करेंगे। जो पोपुलेशन मुकर्रर करेंगे, उसका खास मकसद यह है कि we put a limit that if the population of the village is less than this limit, then that village should remain under the Panchayat administration. म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में उसको लेना नहीं चाहिए, लेकिन जैसा पार्ट 'बी' में प्रावधान किया गया है कि आप एक, दो, तीन विलेजेज़ को मिला कर म्युनिसिपल एरिया डिक्लेअर कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि पोपुलेशन की लिमिट का प्रावधान कर रहे हैं, जिसका मकसद यह है कि इससे कम की पोपुलेशन में म्युनिसिपेलिटी नहीं बनानी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से भी जो अमेन्डमेन्ट मैंने रखा है कि टू और मोर विलेजेज़ नहीं होने चाहिए, किसी विलेज़ एरिया को म्युनिसिपल एरिया डिक्लेअर कर सकते हैं। आगे जाकर आपने प्रॉविज़न किया है। इसी क्लॉज़ के पार्ट २ में है : "to constitute an area, of which the population is less than 5,000 to be a municipality.

Provided that except for exceptional reasons, which shall be clearly set forth in the proclamation under section 6 and in the notification issued under section 4, it shall not be lawful...(ii) to constitute any area, of which the population is less than five thousand inhabitants, to be a municipality."

यानी इसके प्रोविज़ं में हमने अनुभव किया है कि पांच हजार से कम की पोपुलेशन के एरिया को म्युनिसिपल एरिया डिक्लेअर

(श्री पी० के० चौधरी)

नहीं करेंगे, यह लॉफुल नहीं होगा । मेरा अमेन्डमेन्ट था कि १० हजार से कम की आबादी में म्युनिसिपल एरिया डिक्लेअर नहीं करना चाहिए । क्योंकि एक तरफ तो प्रॉविज़न रखा है कि पांच हजार या दस हजार से कम की आबादी के एरिया या विलेजेज़ हैं, उनको म्युनिसिपल एरिया डिक्लेअर नहीं करेंगे, दूसरी तरफ यह प्रॉविज़न रखते हैं कि एक, दो, तीन या चार विलेजेज़ को मिलाकर हम म्युनिसिपल एरिया डिक्लेअर कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि यह प्रॉविजन हम रखेंगे, तो इस बिल में जो लिमिट कर रहे हैं, लिमिटेशन का जो पर्पज़ है, वह डिफीट हो जाता है । आज गांवों में यह टेंडेन्सी है, आप गांव में जाकर पूछ सकते हैं, और छोटी म्युनिसिपेलिटीज, जो छः हजार, ७ हजार की आबादी की म्युनिसिपेलिटी है, उनके सदस्यों की राय है कि डेवलपमेंट के लिए उनको फन्ड्स नहीं मिलते हैं । म्युनिसिपेलिटी के पास, सिवाय टैक्सेज के, जो हाउस टैक्स आदि लेवी करती हैं और कोई रेवेन्यु का सोर्स नहीं है । सरकार से उनको मुश्किल से कभी कोई ग्रान्ट मिलती है । जो पैसा वे लेना चाहेंगे वह लोन के रूप में मिलता है जब कि उनके सराउन्डिग एरिया में जो एरिया कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स के अन्डर में है, जो छोटे छोटे विलेजेज़ डेवलपमेंट स्कीम के अन्डर में हैं, उनको फन्ड्स देते हैं, और डे-टू-डे डेवलपमेंट के लिए, पंचायतों की इन्कम बढ़ाने के लिए पंचायतों को रेवेन्यु का पर्टिक्यूलर पोर्शन सरकार देती है । इसलिए यह देखा गया है कि छोटी छोटी म्युनिसिपेलिटीज की जगह पर बड़ी म्युनिसिपेलिटी का रखना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वे ज्यादा एफिसियेन्टली काम चला सकती हैं, इसलिए जो छोटे छोटे गांव हैं, उनको म्युनिसिपल एरिया में न लेकर उन्हें पंचायत एरिया में रहने देना ज्यादा अच्छा है क्योंकि विलेजेज के लोग हैं, उनका भी यही रुख है, उनकी भी म्युनिसिपेलिटीज़ के एरिया में जाने की मन्शा नहीं है । एक जमाना था, जब पंचायतें नहीं थी, कुछ लोग म्युनिसिपेलिटीज़ बनाने की कोशिश करते थे और इसलिए करते थे कि उनको स्वायत्त शासन का अनुभव हो, उनको कुछ अधिकार मिल जायें सेल्फ गवर्नमेंट के, उस समय में कोशिश करते थे म्युनिसिपल एरिया में जाने के लिए । लेकिन आज पंचायतों के जरिये सेल्फ गवर्नमेंट के अधिकार काफी कुछ मिलते हैं बल्कि म्युनिसिपेलिटीज से ज्यादा, कुछ विषयों में पंचायतों के अधिकार ज्यादा हैं । मैंने जो अमेंडमेंट रखा है वह इसलिए रखा है कि म्युनिसिपल एरिया छोटे गांवों में नहीं बनाया जाय और कम से १० हजार की पोपुलेशन के एरिया में म्युनिसिपल एरिया हो । मेरी खुद कॉन्स्टिट्युएन्सी है, उसमें माननीय मंत्रीजी ने १० हजार की आबादी पर एक पंचायत बना दी है । हमने कहा कि कम से कम दो बनाइये, लेकिन वहां एक पंचायत बना दी है । तो जो १० हजार की आबादी पर पंचायत है, उसको आप म्युनिसिपल एरिया कैसे डिक्लेअर करेंगे ? इसलिए मेरी राय है म्युनिसिपल एरिया कम से कम १० हजार की आबादी पर होना चाहिए और इससे छोटे एरिया हैं, कम आबादी के एरिया हैं, उनका पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन में रहना ज्यादा अच्छा है । बस यही मेरा अमेंडमेंट है ।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो पांचवां क्लॉज़ है, इसके

(डॉ० बहादुरसिंह)

पार्ट सेकंड में मेरा जो अमेंडमेंट है, वह इस प्रकार का है कि पांच हजार की आबादी की जगह ११ हजार की आबादी कर दी जाय। जो छोटी छोटी म्युनिसिपेलिटीज हैं, उनके फन्ड्स के लिए हम इनको टैक्स लगाने के लिए कहते हैं किन्तु वे टैक्स से इतना वसूल नहीं कर पाते। दूसरी बात जो आजकल देखी जाती है, वह है ब्लॉक डेवेलपमेंट की। एक नजीर यह है मेरे सामने, मैं अपने सब-डिविजन की बात बताऊं कि राजाखेड़ा की जो म्युनिसिपेलिटी है, उसके चारों तरफ ब्लॉक है। इसकी आबादी बड़ी मुश्किल से खेंचातानी करके, एक-दो गांव मिलाकर प्रोपर राजाखेड़ा की आबादी पांच छ: हजार है। इसलिएवहां की स्थिति कैसी है, वहां की म्युनिसिपेलिटी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। म्युनिसिपेलिटी इस बात के लायक नहीं है कि वहां की सफाई की व्यवस्था कर सके। तो ऐसी हालत में छोटी छोटी म्युनिसिपेलिटी बना कर रखते हैं तो वह उपयुक्त नहीं है। मैं समझता हूं कि यह इसलिए होना चाहिए कि ब्लॉक का प्रोपर फ़ायदा ले सके। दूसरे आजकल जो पंचायत का एडमिनिस्ट्रेशन है, पंचायतों के अधिकार हैं, वे ज्यादा हैं। इसलिए म्युनिसिपल एरिया के निवासी विशेष-कर ग्रामीण होते हैं, वे म्युनिसिपेलिटी चाहते हैं। पंचायतों को भी अधिकार मिलते हैं, इसलिए जो छोटी छोटी म्युनिसिपेलिटीज हैं, उनको बड़ा बनाया जाय। इसलिए जो १० हजार की बात बताई है, उसका ११ हजार कर दिया है। जहां ११ हजार की आबादी हो, वहां म्युनिसिपल कमेटी बनाई जायगी तो अत्युत्तम होगा। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस पर गम्भीरता के साथ सोचेंगे, क्योंकि छोटी छोटी म्युनिसिपेलिटीज भी उनके लिए सरदर्द हैं, वहां से सेक्रेटरी को पे नहीं मिल पाती, मेहतर को पे नहीं मिल पाती, चपरासी को तनख्वाह नहीं दे पाते, गवर्नमेंट की एड पर वे गुजारा करती हैं। ऐसी हालत में छोटी म्युनिसिपेलिटीज का निर्माण करने के बजाय बड़ी म्युनिसिपेलिटीज बनानी चाहिए; इसलिए मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूँ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, अभी इस क्लॉज पर दो संशोधन पेश किये गये है माननीय सदस्यों द्वारा, मैं उनका विरोध करता हूं। क्लॉज पांच के सब क्लॉज दो में माननीय सदस्य ने कहा है कि पांच हजार की बजाय १० हजार, ११ हजार की आबादी पर म्युनिसिपेलिटी बनानी चाहिए ...

श्री अर्जुनदास : क्लॉज दो में नहीं है, भाई।

श्री भीमसेन : उससे नीचे की आबादी में म्युनिसिपल बोर्ड नहीं होने चाहिए। उन्होंने अपनी दलील में यह कहा है कि ब्लॉक एरिया से म्युनिसिपल बोर्ड्स को पैसा नहीं मिल सकता, इसलिए म्युनिसिपेलिटीज छोटी नहीं रहनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक ब्लॉक से पैसा मिलने का सम्बन्ध है, ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी को गवर्नमेंट की ओर से हिदायत है कि जो छोटी म्युनिसिपेलिटीज हैं, उनको ब्लॉक से पैसा देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। ऐसा स्टेंडिंग ऑर्डर नहीं है कि छोटी म्युनिसिपेलिटीज को ब्लॉक का पैसा न दिया जाय।

श्री पी० के० चौधरी : For your information, the municipal area is excluded from the Block.

श्री भीमसेन : Not necessarily.

(श्री भीमसेन)

गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है कि डेवलपमेंट की मद से पैसा बड़ी म्युनिसिपेलिटीज को दे सकती है, छोटी म्युनिसिपेलिटीज को भी दे सकती है। इसलिए यह दलील देना कि ब्लॉक से पैसा नहीं मिलता; इसलिए म्युनिसिपेलिटीज १० हजार की आबादी पर होनी चाहिए, यह मानने के लायक नहीं है........

श्री भैरोंसिंह : क्या आप बतायेंगे कि राजस्थान की किसी म्युनिसिपेलिटी से ब्लॉक या डेवलपमेंट का एक भी पैसा मिला हो ?

श्री भीमसेन : हमारे यहां ही गोला म्युनिसिपेलिटी है, जिसकी आबादी छः हजार की है, इसके अलावा गंगासागर म्युनिसिपल बोर्ड है, जिनको लाइब्रेरी के लिए, स्कूल के लिए पैसा सेंक्शन किया है। इसलिए गवर्नमेंट के स्टेंडिंग ऑर्डर नहीं हैं..........

श्री पी० के० चौधरी : यह पैसा कम्युनिटी प्रोजेक्ट बोर्ड से या कम्युनिटी प्रोजेक्ट कैंसिल से दिया गया है।

श्री भीमसेन : दोनों की ओर से दिया गया है। मैं भी सदस्य हूँ, मुझे पता है।

श्री अर्जुनदास : Have you been able to get it from Development ? will you please go and verify and then tell us if it is not correct.

श्री भीमसेन : (जारी) मैं निवेदन कर रहा था कि यह दलील ठीक नहीं है। दूसरी दलील यह दी गई कि छोटी म्युनिसिपेलिटीज की आर्थिक हालत खराब है, इसलिए बड़ी म्युनिसिपेलिटी बनानी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी म्युनिसिपेलिटीज राजस्थान में जयपुर, जोधपुर व बीकानेर में हैं, इनकी जितनी आर्थिक हालत खराब है, उतनी छोटी म्युनिसिपेलिटीज की आर्थिक हालत खराब नहीं है। इसलिए यह दलील देना कि छोटी म्युनिसिपेलिटीज की आर्थिक हालत खराब होती है, इसलिए छोटी म्युनिसिपेलिटी नहीं होनी चाहिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जयपुर की म्युनिसिपेलिटी पर जितना कर्जा है गवर्नमेंट का, उतना छोटी म्युनिसिपेलिटीज पर नहीं है।

दूसरे, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि म्युनिसिपेलिटी होने से गवर्नमेंट वहां पर केपिटा सब्सिडी देती है, पर इस तरह का प्रोविजन पंचायत एरिया में नहीं है तो यह दलील देना कि पंचायत एरिया में कोई एरिया हो जायगा तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, यह दलील मानने काबिल नहीं है। दूसरे, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ५ हजार से ऊपर जहां पोपुलेशन है, वहां ज्यादातर बिजनेस क्लॉस या नौकरी पेशा लोग रहते हैं, ऐसे लोगों की प्रोब्लेम्स बमुकाबिले एग्रिकल्चरिस्ट्स के बिलकुल डिफरेंट है। तो इस तरह जहां लोकल सेल्फ का सवाल है, वहां म्युनिसिपेलिटी एरिया में और पंचायत एरिया में कोई फर्क नहीं है।

तो इस तरह से मैं निवेदन कर रहा था कि ५ हजार से ऊपर म्युनिसिपल एरिया बनाना चाहिये, यह ठीक रखा है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने मोडल म्युनिसिपेलिटीज़ एरियाज़ के बारे में व्यवस्था की है उसमें ५ हजार से १० हजार के बीच में स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रेशन रखा है कि जहां स्टेट गवर्नमेंट चाहे वहां खोले। यही क्लॉज ५ सब-क्लॉज १ में रखा है कि ५ हजार से नीचे

(श्री भीमसेन)

म्युनिसिपल बोर्ड्स नहीं रहने चाहियें । ५ हजार तक ग्राम पंचायतें रखनी चाहिये; यह ठीक है ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में दो अमेंडमेंट्स और आये हुए हैं, वे दोनों माननीय सदस्य इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, इस कारण मे इस तरह अमेंडमेंट्स केवल रिपीटिशन होने से बचाने के लिये मूव नहीं किये गये । उन अमेंडमेंट्स में से एक अमेंडमेंट है डॉ० चन्द्रकला क और दूसरा है श्रीनारायणसिंह मसूदा का,। उन पर यहां बहस भी होगी । उन दोनों संशोधनों को आप चाहें तो मैं मूव कर दूँ ।

श्री अध्यक्ष : वे दोनों तो मूव हो चुके हैं, डॉ० चन्द्रकला और श्री नारायणसिंह के हैं, वे तो दोनों मूव हो चुके हैं । आप समर्थन में बोलना चाहें तो बोलें ।

श्री भैरोंसिंह : तो ठीक है । मैं इस इम्प्रेशन में था कि मूव नहीं हुए हैं ।

मैं इन दोनों संशोधनों का जो डॉ० चन्द्रकला और श्री नारायणसिंह मसूदा ने पेश किये हैं, उनका समर्थन करता हूँ । माननीय अध्यक्ष, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने पांच हजार की संख्या को बढ़ाकर ८ हजार तक करने की व्यवस्था की है और जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने एक शहर कस्बे और दूसरे कस्बे के बीच में २ मील को घटा कर १ मील करने का संशोधन रखा है, मैं इन दोनों संशोधनों का समर्थन करता हूं ।

हमें इसके पहले राजस्थान की सारी म्युनिसिपेलिटियों का हाल देखना पड़ेगा । डेवलपमेंट का अलग प्रश्न है, पर राजस्थान की नगरपालिकाओं की संख्या हम देखें तो राजस्थान में इस समय १५३ नगरपालिकाएं हैं । ५ हजार से ऊपर की आबादी होने के कारण उनकी संख्या १५३ है । अब वह संख्या बढा कर१० हजार करते हैं, तो राजस्थान में केवल ५६ म्युनिसिपेलिटियां ही रहेंगी। १० हजार से ऊपर की हैं ५६ म्युनिसिपैलिटियां वे रहेंगी बाकी ६४ खत्म हो जायेंगी। अगर ८ हजार रखते हैं तो नगरपालिकाएं ८० बचती हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ५ हजार की संख्या में भी हमने वृद्धि कर दी और एक अच्छी मात्रा में वृद्धि कर दी और उसके बाद भी राजस्थान में जो नगरपालिकाएं रहीं उनकी संख्या ८० रहती हैं । तो मैं समझता हूं, ऐसी नगरपालिकाएं जिन्होंने अपना स्टेटस बना लिया है, उनकी संख्या पर्याप्त है, उनको भंग न होना पड़े, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये । इसके लिये पर्याप्त है कि ८ हजार की संख्या कर दें । इससे हमारे अन्दर भय हो रहा है कि नगरपालिकाओं में डेवलपमेंट का पैसा आता है, वह नहीं आता । अभी जो माननीय सदस्य बीकानेर की तरफ से आने वाले हैं, उन्होंने बताया कि कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ से नगरपालिकाओं को पैसा दिया जाता है, या तो उन्हें भ्रम हो गया होगा या कोई एक ऐसा स्पेशल केस होगा जिसको लेकर सरकार ने दिया हो, पर नगरपालिकाएं, चाहे वह छोटी हैं या बड़ी हैं, किन्हीं को ब्लॉक डेवलपमेंट में शामिल नहीं किया जाता और इस तरह उन छोटे कस्बों को इससे महरूम रहना पड़ता है,क्योंकि ब्लॉक डेवलपमेंट का पैसा मिलता है, वह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी द्वारा मिलता है और उसके लिमिटेड फंड्स होने के कारण उनका डेवलपमेंट नहीं होता ।

(श्री भैरोंसिंह)

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही उसका मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में नगरपालिकाएं नहीं होती थीं तो जनता को ख्वाहिश रहती थी कि हम भी स्वायत्त शासन अधिकार प्राप्त करें, पर आज ऐसी बात नहीं है। पंचायतों के अधिकार नगरपालिकाओं से आज ज्यादा हैं। एग्जीक्युटिव, जुडिशियल और म्युनिसिपैलिटीज के जितने फंक्शन्स है वे सब पंचायतों के द्वारा पूरे किये जाते हैं। तो जैसी प्रवृत्ति लोगों की स्वायत्त शासन प्राप्त करने की पहले थी, वह आज नहीं है। नगरपालिकाओं की यह इच्छा है कि जहां छोटे से छोटे ग्राम की ग्राम पंचायत को म्युनिसिपेलिटीज से ज्यादा अधिकार प्राप्त करते देखती हैं, तो नगरों के लोगों का दृष्टिकोण बनता है कि हमें भी ग्राम पंचायतों की तरह अधिकार मिलने चाहियें, जैसे ग्रामों में किसी विकास के लिए पैसा मिलता है, उसी तरह हमें भी विकास के लिये पैसा मिलना चाहिये।

राजस्थान में इस तरह की भावना फैल रही है और इस ओर पैसा भी खर्च किया जा रहा है। राजस्थान में कॉटेज इन्डस्ट्रिज खोली जायेंगी। तो आज की स्थिति में कॉटेज इन्डस्ट्रिज खोलने की योजना बनाते हैं, कॉटेज इन्डस्ट्रिज के डेवलपमेंट करने की योजना बनाते हैं तो वहां फंड्स की आवश्यकता होती है। तो छोटी छोटी म्युनिसिपेलिटीज में टैक्स इम्पोज करके खोलना चाहें तो वह नहीं हो सकता, जितनी आमदनी होती है, वह केवल इतनी भर होती है कि सफाई और मामूली छोटे-मोटे खर्च भी वह अपने टैक्स से पूरे नहीं कर सकती। कोई एक्स्ट्रा मदद उनको मिलती नहीं। तो वहां आर्थिक संकट आता है और वह इतना भयंकर बन जाता है कि एक्सपेन्डिचर बढ़ता है और इन्कम साइड कम होती है, तो फिर नगरपालिका जनता की इच्छा के विरुद्ध टैक्स इम्पोज करती है, उसका परिणाम यह होता है कि जनता उसका विरोध करती है, हड़तालें होती हैं या दूसरे धंधे होते हैं। सरकार से लोन लिया जाता है सरकार से लोन लेने की, सब्सिडी लेने की पद्धति है वह तो ऐसी है कि राजस्थान की पूरी नगरपालिकाओं का हिसाब उठा कर देखें तो राजस्थान की नगरपालिकाओं में राजस्थान सरकार का लाखों रुपया कर्जे के रूप में बकाया है। इसका कारण यह है कि नगरपालिकाओं के पास फंड्स नही हैं, कुछ नगरपालिकाओं के फंड्स सरकार ने अपने हाथ में ले रखे हैं। इस लिये इन छोटी म्युनिसिपेलिटियों को तो इस पूरे भार से मुक्त करना चाहिये और इन छोटे छोटे कस्बों के लोगों को वहां पंचायतें कायम करके पंचायतों के अधिकार प्राप्त कराना चाहिये जिससे वे लोग अपने यहां का विकास कर सकें, जो सुविधाएं बाकी गांवों को मिलती हैं, वह सुविधाएं इनको भी मिल जायं। दूसरा प्रश्न यह है कि जो एक कस्बे और दूसरे कस्बे के बीच में दो मील का फासला रखने का प्रस्ताव है उसमें दो मील के स्थान पर एक मील कर दिया जावे। अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा प्रश्न है जो दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो राजनैतिक और दूसरा इन्डस्ट्रियल पॉइन्ट ऑफ व्यू से इस पर गौर करना होगा। एक कस्बे और दूसरे कस्बे में अन्तर कम हो और ऐसी स्थिति बनती जा रही हो जिससे विकास की संभावना ज्यादा हो और उसके लिये योजना भी बन गई हो और उसके आधार पर दो कस्बों की आबादी बढ़ते बढ़ते एक होनेवाली हो और इन्डस्ट्रियल एरिया हो, तो उन दोनों को एक मान कर एक कर सकते

Page No.39

(श्री भैरोंसिंह)

हैं। आसपास में कोई छोटी मोटी ढाणियें हों और वहां पर इन्डस्ट्री लागू होने वाली हो जिससे उसका विकास हो जावे उसको भी एक कर सकते हैं। केवल इसी व्यू को दृष्टिकोण में रखते हुए मैंने यह रखा है और यही सरकार का भी दृष्टिकोण होना चाहिये ।

अब तक सरकार ने जहां जहां पर म्युनिसिपेलिटीज बनाई हैं,वहां आस-पास के गांवों में पंचायतें होने की वजह से कई लोग यह पसन्द करने लगे हैं कि म्युनिसिपेलिटी के बजाय उनके यहां पंचायत रहनी चाहिये। और सरकार ने इसमें कोई साधारण नियम मान लिया हो या कोई विशेष पॉलिसी मानी हो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यह कहूंगा कि जो बेसिस सरकार ने माना है,वह बेसिस मेनली पोलिटिकल होगा और उसी बेसिस पर उसको एप्लाइ किया गया है।

एक घटना पीपाड़ सिटी की है । वहां साढ़े-पांच हजार की आबादी है। पीपाड़ के लोगों ने मांग की कि वहां पर नगरपालिका घोषित की जावे। सरकार ने उस एरिया को नगरपालिका घोषित करना स्वीकार कर लिया और उसके लिये गजट में छापा कर दिया और लोगों के ओब्जेक्शन्स इन्वाइट किये । जब लोगों के उस पर कोई ओब्जेक्शन्स नहीं आये, तो उस एरिया को सरकार ने म्युनिसिपल एरिया घोषित कर दिया। उसके बाद चुनाव की तैयारियां होने लगीं, मगर बीच में ही कलेक्टर ने आदेश दे दिये कि पंचायतों का चुनाव होगा। मालूम नहीं कि कलेक्टर किस जोश में था और उसने ऐसी आज्ञा दी। मगर पंचायतों का चुनाव कराया गया और जब पंचायतों का चुनाव हुआ तो लोग हाई कोर्ट में गये और उन पंचायतों के चुनाव को रद्द कराया गया। मैंने आपको एक मिसाल दी है कि लोग म्युनिसिपेलिटीज को पसन्द नहीं करते और पंचायतों को पसन्द करते हैं। पीपाड़ के पास ढाणियां हैं और यह पीपाड़ कस्बे और ढाणियों का प्रश्न है। वह राजनैतिक झगड़ा है। एक तरफ तो पीपाड़ शहर के लोग और दूसरी ओर आसपास कूओं वाले और ढाणियों वाले । अगर ढाणियों और कूए वालों को अलग किया जाता है, तो वह पंचायत का एक पार्ट बन जावेगा और पंचायत वहां पर मुकर्रर कर सकेंगे । ढाणियों के लोगों ने पंचायत के लिये कहा । पीपाड़ की आबादी के लिहाज से म्युनिसिपल एरिया होता है। अगर चाहें तो ढाणियों को पंचायत क्षेत्र में डाल सकते हैं। अगर सरकार पीपाड़ सिटी को म्युनिसिपल एरिया घोषित करती है, तो बाहर ढाणियों के आसपास का पंचायत एरिया होगा, यह भी हो सकता है । लेकिन हुआ यह कि सरकार ने सारे के सारे एरिया को पंचायत एरिया घोषित कर दिया। ढाणियों के लोग हैं वे यह नहीं समझते कि किस प्रकार से पीपाड़ कस्बे का डेवलपमेंट होगा, यह उनके ध्यान में नहीं आता। हो सकता है कि ढाणियों के लोग कम पढ़े लिखे हों, लेकिन जिस समय विकास का प्रश्न आता है,विकास किस काम का किया जावेगा? क्या बाहर गांव के लोगों से यह उम्मीद की जा सकती है कि जयपुर की सफाई के सम्बन्ध में क्या क्या करना होगा, वे समझते हों। हैल्थ पॉइन्ट ऑफ व्यू से कितना काम करना होगा? बाहर के आदमियों के और शहर के आदमियों के सोचने के दृष्टिकोण में अन्तर होगा । मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के सिद्धान्त फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताये कि जो गांव कोन्टीजियस हो, एक दूसरे से जुडे

Page No.40

(श्री भैरोंसिंह)

हुए हों या उनको एक साथ रहवास हो सकता है तो ऐसी स्थिति में हमारी सरकार चाहे तो ऐसे गांवों को उस कस्बे में मिला कर या दो को मिला कर म्युनिसिपेलिटी एरिया घोषित कर दे। दो मील से ज्यादा का एरिया न हो। गांव में जहाँ कस्बे का आखिरी घर है। उस मकान से लेकर दो मील का एरिया हो उसको इस व्यवस्था के अनुसार शामिल कर सकती है। मगर यह एक प्रकार की गलत परम्परा होगी। जहां बाहर का एरिया रखती है, तो मैं समझता हूँ कि एक मील का एरिया रखना चाहिये। तीसरा प्रश्न मैं समझता हूं कि इस पर कोई संशोधन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने सुझाव के रूप में पेश करता हूं। मंडियों की आबादी तो कम होती है, लेकिन माल की आमद और बरामदगी वहां पर इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर ऑक्ट्राय के नाम पर काफी पैसा इक्टा किया जाता है। कई म्युनिसिपेलिटीज ऐसी हैं जहां पर २० हजार, ३० हजार और ५० हजार की आमदनी इससे होती है। अगर उन म्युनिसिपेलिटीज को हम पंचायत आबादी कम होने के नाते घोषित कर दें, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घोषणा करने मात्र से उनके विकास में असुविधा होगी। इसलिये इसमें इस प्रकार का संशोधन रख लें कि जहां मंडियों की आमदनी से टैक्स के रूप में १० हजार से ऊपर आमदनी होती है, उसको पंचायत एरिया घोषित किया जावेगा, चाहे वहां की आबादी कम हो। वह आबादी कम होने से पंचायत एरिया नहीं माना जावेगा वह म्युनिसिपल एरिया होगा। मंडियों का इससे ज्यादा विकास होगा। क्योंकि वहां पर एग्रिकल्चरल सेन्टर है, वहां पर काश्तकार और व्यापारी इकट्ठे होते हैं, इस दृष्टि से या गोदाम वगैरह बना कर, वेअर हाउस आदि बना कर किसानों को बहुत लाभ पहुँचाया जा सकता है और उनका असली ओब्जेक्ट है वह भी एचीव हो सकेगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए १० हजार से आबादी कम होते हुए भी आमदनी ज्यादा हो तो उसको पंचायत क्षेत्र घोषित नहीं करें। इस प्रकार की तीन बातों को रख कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : Mr. Speaker I find that the scheme under this clause is that not only the Government can declare any area with a population of 5,000 as a local area, as a Municipality, but they can even declare two or three villages put together, the population whereof individually may be hardly one thousand or two, but the cumulative population of which my be more than 5,000. That whole area can be declared as a Municipality.

I personally believe that the Hon. Minister could not have had any idea of the effects of this. When he says that more than two or three villages nearby each other, the total population of which may be 5,000 can be declared together as a Municipal area then I think none of us here would be prepared to accept a situation like that. Therefore, I am of the opinion that we might better accept the amendment tabled by Hon. Member Shri P. K. Chaudhri, so that we can achieve two objects; (i) that we do not want to have very small villages, none of which may have a population of more than 1,000 or 2,000, to be

(श्री अर्जनदास)

declared as Municipal area, and (ii) there is another difficulty in joining suburbs into a municipal area. From my practical experience, I can say that whenever suburbs are joined or tagged on with municipal committes, it creates many complications. The suburban people do not like to pay house tax as the people of the city are made to pay, and secondly when the distance between two suburbs is more than one mile—though the distance might look small here, but in practical day-to-day administration it would be difficult to collect the octroi duty and it is difficult to find out whether the goods are being imported from within the municipal area or outside it. The articles which the villagers consume in their villages we do not know whether they brought it from within the municipal area or from outside it and we have no means to collect Octroi on these also.

Therefore, my view is that we should keep suburbs away from cities and towns and should not join them with cities and towns and create complications for nothing.

Then if you look at the other aspect, the question of development of roads, provision of electricity in every village also arises. Every village residing in the suburban area expects that the Municipal committee will provide him with roads, electricity, schools and public hydants, as is being done in the city, but if we try to provide all these facilities it costs lakhs and lakhs of rupees which it is impossible to collect for any city in Rajasthan. As such my view is that we should leave the suburbs and should not take them up in municipal areas.

Ofcourse, I have not tabled any amendment but if the Hon. Minister does not accept the amendment of Hon. Shri P. K. Chaudhri—if he accepts that amendment, then my suggestion does not arise, but in case he does not accept that amendment—then as an alternative I may make a submission to the Hon. Minister that in part (ii) of Proviso to part (b) of sub-clause (1) of clause 5, it should read :

"To constitute any area of which the population in one town atleast is not less than 5,000".

so that कम से कम हर गांव में ५,००० मर्दुमशुमारी होनी चाहिये before you declare it as municipality. Let us have some arrangements here so that it may become clear that atleast one of the villages should have a population of more than 5,000; not that all should have a population of 1,000 or so.

Therefore, I suggest that we should better accept the amendment tabled by Shri P. K. Chaudhri. failing which my little suggestion may be accepted.

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर,) : अध्यक्ष महोदय,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ बिल के क्लॉज ५ में दो संशोधन हैं। एक माननीय श्री नारायणसिंहजी ने रखा है और दूसरा संशोधन जयपुर से आई हुई माननीय सदस्या ने रखा है। मैं इन दोनों संशोधनों का समर्थन करता हूं। जहाँ तक पहले संशोधन का सम्बन्ध है कि नगरपालिकायें ५ हजार से ऊपर की आबादी पर निर्माण की जायं और उस संशोधन के द्वारा यह पांच हजार की सीमा ८ हजार की गई है एवं दूसरे संशोधन के द्वारा नगरपालिकाओं के अन्दर जो कस्बों के साथ ढाणियां या छोटे छोटे कस्बे मिलाये जावेंगे और जिनका अन्तर दो मील का हो सकता है, वह अन्तर दो मील का न होकर एक मील का होना चाहिये। इस प्रकार से यह दूसरा संशोधन है। इन दोनों संशोधनों के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी श्री माधोपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो तर्क उपस्थित किये हैं, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूँ।

जहां तक नगरपालिकाओं के निर्माण का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि ५ हजार की आबादी के अनुसार आज जो नगरपालिकायें बनी हुई हैं, उनकी बहुत ही चिन्ताजनक हालत है और इसलिए, मैं समझता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे हैं कि ५ हजार की आबादी की सीमा को बढ़ा कर १० हजार या ११ हजार कर देनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर नगरपालिकाओं की आबादी की सीमा को ११ हजार कर देते हैं तो उससे नगपालिकाओं की संख्या कम रह जायगी और यदि ५ हजार की रहती है तो आज की हमारी वस्तुस्थिति के विपरीत विचार करना होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जो संशोधन रखा गया है कि ८ हजार से ऊपर जनसंख्या वाले कस्बों में नगरपालिकाओं का निर्माण किया जाय, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कई दृष्टियों से उचित है। जहां छोटी छोटी म्युनिसिपेलिटीज़ राजस्थान में निर्मित हुई हैं उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में हमें भली भाँति ज्ञात है। इसलिए मैं समझता हूं कि यदि इसकी सीमा आठ हजार कर दी गई तो नगरपालिकाओं की संख्या में अवश्य कमी होगी और यदि ११ हजार करते हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है, वे ३० पर्सेन्ट के रेश्यो पर पहुंच जावेंगी। ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो ५ हजार की सीमा कानून के अन्तर्गत रखी गई है और ११ हजार का संशोधन रखा है इन दोनों के बीच में गोल्डन one कर दें, this is a compromise formula in between the two. न ५ हजार की रहे, जो उन्होंने मूल कानून में रखी है और यदि वे संशोधन स्वीकार करने को तैयार हों तो जो ८ हजार की सीमा का संशोधन माननीय सदस्या ने रखा है उसको स्वीकार कर लिया जाय और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय उसको स्वीकार कर लेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि जहां दो मील का अन्तर रखा है तो इसमें कई कस्बे हो सकते हैं। नगर के अन्तर्गत जिन छोटे छोटे कस्बे और ढाणियों को मिलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी दूरी दो मील की रहे तो माननीय अध्यक्ष, यह हो सकता है कि किसी कस्बे के साथ दस ढाणियां भी हो सकती हैं, छोटे छोटे कस्बे भी हो सकते हैं और

Page No.43

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उनकी दो मील की दूरी होगी तो उनको मिटिंग में आने में कई दिक्कतें होंगी, जिससे वे अनुपस्थित भी रह सकते हैं और यदि नगरपालिका की बैठक में सम्मिलित इस प्रकार से न हो सकें तो नगरपालिका की सदस्यता से भी वे वंचित रह सकते हैं। जब हम नगरपालिका का निर्माण करते हैं, ग्राम पंचायतों की बात दूसरी है, उनमें एक प्रकार का भाव पैदा नहीं होता, उनमें नजदीकी नहीं होती। यदि इस संशोधन को स्वीकार न किया तो मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष कि जहां छोटे छोटे कस्बे होंगे, ढाणियां होंगी उनके फायदे में जो चीज़ होगी कि यहां नगरपालिका बन सकती है, वे वहां नहीं बना सकते, क्योंकि ८ हजार की आबादी से कम है। वहां दो दो ढाणियां मिला कर नगरपालिका का निर्माण कर दिया जावेगा। मैं समझता हूं कि कानून का यह मकसद नहीं है।

दो मील का जो अन्तर रखा गया है वह ज्यादा होता है। इसमें कई झगड़े पैदा हो सकते हैं कि यह अन्तर नगरपालिका के दफ्तर से रखा जाय या जो कस्बा है उसके आखिरी घर से रखा जाय। कहीं तो यह होगा कि नगरपालिका के दफ्तर से रखा जायगा और कहीं कस्बे के अन्तिम घर से, जहां उनको फायदा होगा वैसा होगा। कहीं नगरपालिका के दफ्तर कस्बे के अन्तिम छोर पर होंगे; दो मील उसका होगा और तीन मील आने में लगेंगे। छोटी छोटे ढाणियों को, छोटे छोटे कस्बों को नगरपालिकाओं के साथ जोड़ने और उनका तीन तीन मील का अन्तर कार्यालय के साथ रखना, इसका मतलब तो यही होगा कि सदस्य नगरपालिका की बैठक में सम्मिलित न हों और यदि वे इस प्रकार से सम्मिलित होने में असमर्थ होंगे तो चार छः महीनों के बाद जाकर वे सदस्यता से वंचित हो जावेंगे।

१ म० प०

इस प्रकार की अवस्था हमारे यहां पर पैदा न हो, लोगों को दूर दूर से न आना पड़े, क्योंकि उनको सरकारी मोटर तो मिलती नहीं और न उनको अधिकार है कि वह मोटर गैरेज से फोन करके मोटर मंगा सकें। जब उनको नगरपालिका की बैठक में भाग लेने के लिये आना पड़ता है, बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। आज सिविल लाइन्स में रहने वाले लोग यदि शहर से दस मील दूरी पर भी रहने लग जायं तो उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। जहां तक नगरपालिका के सदस्यों का ताल्लुक है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उनकी कठिनाइयों की ओर माननीय मंत्री महोदय अवश्य ध्यान देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि गांव का रहने वाला बीमार भी हो सकता है या उसके फसल का समय हो और उसमें उसके बैल जोतने के काम में लगे हुए हों, वैसी हालत में उसको मोटर तो दूर रही, अपनी बैलगाड़ी भी नसीब नहीं हो सकती। खुदा न खास्ता, किसी मेम्बर को लकवा मार गया तो वह बेचारा किस वाहन पर चढ़कर आ सकता है? मेरा तो निवेदन है कि अन्तर कम से कम रखा जाय। कन्सोलिडेट युनिट हो सकता है तो बहुत अच्छा है। ८ हजार की आबादी वाले कस्बे में, हो सकता है, हजार पांच सौ की संख्या कम हो उसमें नगरपालिका निर्माण करने के लिये तो पांच सौ, हजार की जनसंख्या के लिये छोटी मोटी ढाणियों को मिलाया जा सकता है, इसका प्रावधान हो। अगर इस प्रकार से छोटी छोटी नगरपालिकाओं का निर्माण कर दिया जायगा तो एक प्रकार से

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

छोटे छोटे गांव और ढाणियां जहां ग्राम पंचायतों का निर्माण होता है, जिनको डेवलपमेन्ट का रुपया मिलता हैं वहां ब्लॉक का काम ठप्प हो जायगा। अभी बीकानेर की तरफ से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट किये थे और कहा था कि जहां की आबादी पांच हजार से कम है वहां नगरपालिकाओं को डेवलपमेन्ट विभाग द्वारा रुपया दिया जाता है। मेरी तो कम से कम यह जानकारी में है कि कोई भी नगरपालिका ऐसी नहीं है जिस नगरपालिका के क्षेत्र में कम्युनिटी ब्लॉक्स या डेवलपमेन्ट ब्लॉक्स का रुपया खर्च होता हो। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी किसी नगरपालिका के क्षेत्र में एक पैसा खर्च नहीं करती। वह केवल ग्राम पंचायत क्षेत्र में किया जाता है। छोटी छोटी ढाणियां या गांव जिनमें होंगे उनके लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी निर्माण और विकास कार्य के लिये रुपया दे सकती है। म्युनिसिपल एक्ट में जो प्रावधान करने जा रहे हैं उसके अनुसार तो यह हुआ कि एक मजबूत आदमी की टांग में कमजोर आदमी की टांग बांध दी गई और उस कमजोर आदमी को यह कहा जाय कि तुम इस मजबूत आदमी के साथ चलो। तो आप ही अन्दाज लगाइये उस कमजोर आदमी की क्या हालत होगी ? इसी प्रकार कस्बों के साथ साथ छोटी छोटी ढाणियों को जोड़ दिया गया तो आज के आर्थिक विकास के युग में वे उसके साथ कदम से कदम नहीं मिला सकेंगी और गड़बड़ पैदा होगी। यह बात जरूर है कि हमें गांवों और शहरों के अन्तर को दूर करना है, उनको नजदीक लाना है, लेकिन शहर और गांवों को नजदीक लाने का यह तरीका नहीं है कि उसकी टांग से इसकी टांग बान्ध दी जाय। इसके लिये तो हम एक की बगल में दूसरे को खड़ा कर सकते हैं और कन्धे से कन्धा मिलकार चलने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दे सकते हैं। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे ऐसा प्रावधान न करें जिससे आगे चलकर विपत्ति आ सकती हो। इसलिये मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ८ हजार की आबादी पर नगरपालिका हो और एक मील से ज्यादा अन्तर न हो इन दोनों प्रस्तावों को स्वीकार करेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा ५ में राव नारायणसिंह मसूदा की तरफ से जो संशोधन आया है उसके समर्थन में मैं बोल रहा हूं। नारायणसिंहजी मसूदा ने यह चीज इसलिये रखी कि सरकार ने म्युनिसिपेलिटी को कुछ पॉवर्स दिये नहीं। पंचायत एक्ट में पंचायतों को काफी पॉवर्स दिये हैं इसलिये यह सारा झगड़ा विधान-सभा में उपस्थित हुआ है और यह सोचने लगे कि म्यूनिसिपेलिटी के अन्दर भी अगर फौजदारी और दूसरे पॉवर्स दे दिये जाते तो यह समस्या पैदा नहीं होती। जहां म्यूनिसिपेलिटियों के पास किसी प्रकार की इन्कम नहीं वहां म्यूनिसिपेलिटियों के लिये जरूरी हो जाता है कि गांव के अन्दर जिस तरह से सफाई का काम और भी कई प्रकार की गांवों में दिक्कतें हैं उनको वहां की म्यूनिसिपेलिटियां हल नहीं कर सकती, इसलिए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत जरूरी है ज्यादा आबादी म्यूनिसिपेलिटीज़ की होगी उसके अन्दर जितने कस्बे होंगे उतनी ही ज्यादा उनको इन्कम हो सकती है। इन्कम ज्यादा होने से उन कस्बों में जो जनता के काम हैं वहां की म्यूनिसिपेलिटी पूरा कर सकती है। जिन जगहों में ग्राम पंचायतें काम कर

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

रही हैं, जिस तरह से ग्राम पंचायतों को सरकार धीरे धीरे ज्यादा अधिकार देना चाहती है उसी तरह से म्युनिसिपेलिटियों को भी अधिकार दिये जायं तो म्युनिसिपेलिटियां भी अपने कस्बों के अन्दर ज्यादा अच्छा काम कर सकती हैं। लेकिन म्युनिसिपल एक्ट में इस तरह का प्रोविजन नहीं है। जितना भी ब्लॉक्स के अन्दर रुपया खर्च किया जाता है वह राजस्थान के अन्दर या राजस्थान के बाहर सभी जगह ग्राम पंचायतों के आधार पर खर्च किया जाता है। कुछ दिनों बाद जैसा कि माननीय सदस्यों का कहना है, रेवेन्यु के अधिकार भी ग्राम पंचायतों को दिये जाने वाले हैं और इस तरह से प्रशासनिक अधिकार भी धीरे धीरे ग्राम पंचायतों को दिये जायेंगे। जितने अधिकार ज्यादा देते जायेंगे उतना ही ज्यादा जनता का अच्छा काम हो सकता है। चुनाव का तरीका बदलने पर मेरे ख्याल से ग्राम पंचायतों के चुनाव में काफी लोगों ने दिलचस्पी ली है। वोटिंग का सिस्टम बदल दिया है। इसलिये अब सब लोग सोचने लग गये हैं कि अगर म्युनिसिपेलिटियां न रहकर ग्राम पंचायतें ही रहें तो वे ग्राम पंचायतें अच्छी तरह से काम करके जनता की की सेवा कर सकती हैं।

दूसरे संशोधन में यह बताया गया है कि एक मील की दूरी होनी चाहिये। ऐसा है कि जितने भी म्युनिसिपेलिटी के अन्दर लोग रहते हैं दो मील की दूरी पर वे ही लोग रहते हैं जो लोग ज्यादातर किसान और गरीब हैं। किसान और गरीब जो लोग हैं दूर दूर जाकर अपने झोंपड़े बनाकर रहते हैं। कस्बे होंगे जिनकी आबादी होगी उस कस्बे के अन्दर अच्छे लोग रहते हैं वे ही म्युनिसिपेलिटी को टैक्स दे सकते हैं न कि गरीब आदमी दे सकते हैं। ऐसी हालत में एक मील का और आठ हजार की आबादी का जो संशोधन है उसको माननीय मंत्री महोदय को मान लेना चाहिये। मेरा तो ऐसा मानना है कि हर कस्बे का जो एरिया है उस एरिया को मानकर ही म्युनिसिपेलिटी बनानी चाहिये। इस पर भी ऐसे कस्बों में म्युनिसिपेलिटियां कायम होंगी जहां पर आठ हजार से ज्यादा पोपुलेशन होगी उन्हीं में म्युनिसिपेलिटी काम कर सकेगी।

इसलिए माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि वे इस प्रस्ताव को, इस संशोधन को अवश्य मानें और इसमें अगर कोई डिफिकल्टी हो तो जैसे पहले म्युनिसिपल बिल पास करते समय माननीय मंत्रीजी ने सबसे मिल-जुल कर तय किया था उसी तरह इसको भी सबसे मिलजुल कर तय कर लें। इसलिये इस धारा को अब डिफर कर दें और बाद में मिलजुल कर इस बात को तय कर लें तो भी कोई बात नहीं है।

(हंसी)

पर इस बात को तय अवश्य करें।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : अध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपेलिटीज के क्लॉज़ ५ में पेश किये गये तीनों संशोधनों का विरोध करता हूँ और मूल क्लॉज ५ जो म्युनिसिपलिज बिल में है उसका मैं समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज पंचायतों को जो म्युनिसिपेलिटी से अधिक अधिकार दिये हुए हैं वे केवल जूडीशियल अधिकार हैं। सौ रुपये तक के दावे सुनना और पचास रुपये तक जुर्माना करना पंचायत के अधिकार क्षेत्र में दिया गया है। अब मूल झगड़ा इसी बात पर है कि ये अधिकार मौजूदा म्युनिसिपेलिटीज एरिया की जनता भी चाहती है

(श्री सम्पतराज जैन)

इसलिए, अधिक आबादी पर नगरपालिकाएं बनाने की मांग जाती है। मेरा मानना है कि अगर ये तीनों संशोधन या तीनों में से एक भी संशोधन पास हो जाता है तो पचास म्युनिसिपेलिटियां कम से कम हो जावेंगी और वहां ग्राम पंचायतें बन जावेंगी। अब इससे अन्तर यह आवेगा कि जिन म्युनिसिपेलिटियों की जनसंख्या पांच हजार या सात हजार है और जो इन ३ संशोधनों के कारण पंचायतों में तब्दील हो जावेगी—करने की मांग है, उनके पास काश्तकार का एरिया नहीं है और इस कारण पंचायतों को तीन रुपया दो आना प्रतिशत रेवेन्यु में से जो आमदनी है वह सहायता इनको नहीं मिल सकेगी। अब एक तरफ तो उनकी आमदनी में इस तरह से कमी होगी और दूसरी तरफ खर्चा उनके सिर पर अधिक आ जावेगा। आज म्युनिसिपलिटी में गवर्नमेन्ट की तरफ से सेक्रेटरी, प्रशासनिक अधिकारी या अन्य स्टाफ रहता है उनका वेतन और वेतन स्केल और टी. ए., डी. ए. निर्धारित होता है, पर पंचायतों में यह स्थिति नहीं है। पंचायतें आज अपने सेक्रेटरी को पचीस, तीस, पैंतीस रु० माहवार भी दे देती हैं। कोई एक वेतन स्केल नहीं होता, पंचायतें अपनी इन्कम के अनुसार दे देती हैं। ऐसी हालत में म्युनिसिपेलिटीज की हालत पंचायतों में तब्दील कर देने से आज से अधिक सुधरने वाली नहीं है बल्कि योग्य व दक्ष कर्मचारियों के न रहने से हालत और भी बिगड़ जावेगी।

१.१२ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

अब यह कहा जाता है कि वहां पर पंचायतें बनने से यह क्षेत्र ब्लॉक डेवलपमेन्ट एरिया में आ जावेगा और उनको विकास कार्यों में ब्लॉक से सहायता मिल जावेगी। मैं इसके साथ ही यह निवेदन कर दूं कि इधर नगर सुधार विधेयक भी इस सदन के सामने है। उसके पास होने पर इन म्युनिसिपेलिटियों को भी सहायता मिलने लगेंगी। इसलिए ब्लॉक डेवलपमेंट की जगह इस तरह से उनको सहायता मिल जावेगी। यही नहीं बल्कि जो म्युनिसिपेलिटीज इस समय हैं और जिनके लिए पंचायतों में बदले जाने की मांग की जा रही है वे आज की स्थिति से इस कारण भी घाटे में रहेंगी कि आज नगरपालिकाएं चुंगी ले रही हैं और पंचायतों को पंचायत एक्ट के अन्दर चुंगी वसूली का अधिकार नहीं है।

इन कारणों से मैं इन तीनों संशोधनों का विरोध करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि मूल क्लॉज ५ ही पास किया जावे।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : जो संशोधन मेरे माननीय मित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि ५ हजार की संख्या बढ़ा कर ८ हजार, १० हजार या ११ हजार कर दी जावे, मैं इन संशोधनों का एक प्रकार से विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मैं यह महसूस करता हूँ कि पंचायतों के बारे में हमारी दृष्टि अधिक स्पष्ट नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, एक प्रकार से विरोध कैसे है ? पूरा विरोध कर रहे हैं आप या कि एक प्रकार से ? यह एक प्रकार से विरोध क्या होता है ?

श्री जनार्दनराय नागर : 'प्रकार' शब्द आपको अच्छा नहीं लगा तो भांति समझ लीजिये।

Page No.47

श्री सभापति : साहित्य में कई प्रकार होते हैं।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : मौजूदा ढांचे में एक परिवर्तन सरकार को लाना पड़ेगा। जहां तक मेरी सूचना है दो हजार की आबादी वाले गांव में एक पंचायत की पुनस्थापना की जाने वाली है, ऐसा सरकार विचार कर रही है। हालां कि हमारे मन्त्री महोदय इस प्रकार की कोई भी व्यक्तिगत रूप से भी सूचना देने को तैयार नहीं हैं। फिर भी मैं यह कहने को तैयार हूं कि बलवन्तराय मेहता की रिपोर्ट को मानकर वर्तमान ढांचे में परिवर्तन सरकार करेगी। ऐसा माननेके पूरे कारण हैं। इसलिये हमें यह मानकर चलना चाहिये कि आज नहीं तो कुछ अर्से के बाद में दो हजार की जनसंख्या पर पंचायत होगी और यह पंचायत ग्राम पंचायत कहलायेगी और उस समय इस बात का महत्व मालूम होगा कि आज जो पाँच हजार की पंचायत स्थापना करने की बात रखी है वह ठीक है या कैसी है।

समझौते की बात कही गई। समझौते की ही बात हो तो कोई विशेष कहना नहीं है। पर समझौते से हम जिन प्रजातान्त्रिक संस्थाओं को अन्ततोगत्वा स्थापित करना चाहते हैं, जो जीवन और जो जन-भावना हम पैदा करना चाहते हैं उसमें सहायक एक हद तक ही हो सकती है। पर ध्यान में यह रखना है पंचायतों और म्युनिसिपेलिटियों को स्थापित करते समय अगर हम जन-संस्थाओं को, उनकी गति विधियों को किसी प्रकार से निश्चित रूप में खड़ी करना चाहते हैं और उनको गति देना चाहते हैं तो हमें एक निश्चय करके चलना होगा। कभी दस हजार की बात करते हैं, कभी ग्यारह हजार, और कभी आठ हजार की बातें करते हैं और कभी पांच हजार की बातें करते हैं तो ये सारी बातें इस बात का सुबूत हैं कि जनता की कितनी संख्या पर हम एक की प्रजा सत्तात्मक तन्त्र की स्थापना करें और इसका प्रारम्भ निश्चित रूप से पंचायत से करना होगा। इस प्रकार के एक प्रशासनिक खाके को मद्दे नज़र रखकर विचार नहीं करेंगे तो एक प्रकार की दुविधा में पड़ते जावेंगे और कुछ भी कर नहीं पावेंगे। अस्थिर मानस दृष्टि से कोई भी हल प्राप्त नहीं कर सकेंगे जैसा कि एक मित्र कहते हैं दो हजार हो, आठ हजार पर हो, कोई पांच हजार और चार हजार की बात करते हैं। तो यह अस्थिरता हमें दूर करनी होगी। इसलिये इस दृष्टि से मैं पांच हजार की संख्या को ठीक समझता हूं। पहली दलील यह है कि पंचायतों के ढांचे को बदल रहे हैं, इसलिये, बदलना पड़ेगा क्योंकि हमें बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों को मानना पड़ेगा। विकास के कार्यक्रम में प्रशासन की अधिक व अनेक जिम्मेदारियों पंचायतों को दी जा रही हैं और देनी पड़ेगी।

अभी भारत के प्रधान मंत्री महोदय ने थोड़े दिनों पहले निश्चित रूप से यह घोषणा की है कि सत्ता हमें जनता को निश्चित रूप से देनी पड़ेगी और वह दलील अब कारगर होने वाली नहीं है कि भारतवर्ष में जनता गलती करती है। हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जनता गलती करे तो उससे वह सीखेगी, लेकिन जनता को सत्ता हस्तान्तरित करने का जो संकल्प है उसमें कोई बाधा नहीं की जा सकती। आज सारे हिन्दुस्तान में एक ऐसी स्थिति आ गई है कि पंचायतों के मामले में, म्यनिसिपेलिटियों के मामले में और इसी प्रकार की और जनसत्ता की संस्थाओं के मामले में बहुत गंभीरता से हमें

(श्री जनार्दनराय नागर)

विचार करना पड़ेगा। आज हमारे देश के सम्मुख विकास का ही केवल प्रश्न नहीं है बल्कि उसके सामने रक्षा का भी प्रश्न है और देश का विकास और उसकी रक्षा जब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम जनता को मूलभूत राज्य के उत्तरदायित्व को निभाने की शक्ति नहीं दें, और इस प्रकार की क्षमता न दें कि जिससे वह अपने कार्य बिना किसी के अवलम्बित हुए कर सके। इसलिये म्युनिसिपेलिटियों का जो प्रश्न है वह पंचायतों के आधारभूत प्रश्न पर निर्भर करता है। अब कितनी जनसंख्या के ऊपर म्युनिसिपेलिटीज़ कायम करेंगे, मैं समझता हूं कि पहले हमें उन प्रश्नों को तय करना चाहिये जो कि आधार-भूत प्रश्न हैं। यह नहीं होना चाहिए कि आज हम कुछ कर लें और कल दूसरा कर लें, और यह विचारें कि आज यह कर लें और कल दूसरा संशोधन इसमें कर लिया जायेगा। सभापति महोदय, हमें यह इस प्रकार के हमारे सामने प्रश्न उठना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिये, सभापति महोदय, हमें यह मानना चाहिए कि हम दो हजार की जनसंख्या पर तो पंचायतें रखेंगे और पांच हजार की जनसंख्या के ऊपर म्युनिसिपेलिटिज़ रखेंगे। हां, म्युनिसिपेलिटिज़ को किस प्रकार के अधिकार देना चाहते है बात हम बैठकर तय कर लें। साथ ही हमें पंचायतों के बारे में विचार करना पड़ेगा कि उन्हें किस प्रकार के अधिकार हम देना चाहते हैं। हमें इस बात पर अत्यंत गंभीरता से विचार करना होगा कि अंततोगत्वा हम क्या अधिकार पंचायतों और म्युनिसिपेलिटीज़ को देंगे ? सभापति महोदय, यह अधिकारों का प्रश्न बड़ा सरल मालूम होता है लेकिन यह बहुत ही उलझा हुआ प्रश्न है। इस पर हमें सारे जन-जीवन के विनिमय के व्यवहार की आधारभूत जनतंत्रात्मिक दृष्टि से सोचना चाहिए और इस पर विचार करके फैसला करना चाहिए। यह जो म्युनिसिपेलिटीज़ की स्थापना और उनकी जनसंख्या का सवाल है यह ऐसा सवाल है कि जैसे बैरोमीटर हो या थर्मामीटर हो जो काम ही न करे। उसका पारा न मालूम कैसे उतरता और चढ़ता है। सभापति महोदय, मुझे तो हैरानी होती है कि हम कभी पांच हजार, कभी आठ हजार, कभी ग्यारह हजार की बात करते हैं तो यह इस प्रकार का सबूत है कि सरकार भी, सभापति महोदय, मुझे कहने दिया जाये सरकार भी, इस प्रश्न की गंभीरता में डूबकर समझने की स्थिति में नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह सरकार के लिए शोभाजनक चीज नहीं है। सरकार को निश्चित रूप से बलवंतराय मेहता कमेटी रिपोर्ट को सामने रखकर इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा जो भविष्य की हमारी निधि बननी चाहिए और जिसको बनाना होगा। उस दृष्टि से भी मैं समझता हूँ कि हमें इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए पांच हजार की जनसंख्या पर म्यूनिसिपेलिटीज़ की स्थापना करने का जो हमारी सरकार का मूल प्रस्ताव है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। मेरे मित्रों ने जो आठ हजार दस हजार और नौ हजार का संशोधन रखा है उन सबका मैं विरोधकरता हूँ और उनका विरोध मैं इसलिए नहीं करता कि व्यक्तिगत रूप से उनका प्रस्ताव मेरी समझ में नहीं आता या मैं उनके समझौते की भावना की कद्र नहीं करता। लेकिन जो हमारे सामने नक्शा पैदा होगा, आप चाहें, हम न चाहें या हम चाहें, आप न चाहें, ऐसी बात नहीं है लेकिन वह बात पैदा होगी। इसलिए, आज हम इस पर विचार कर रहे हैं तो हमें ठीक तरह से विचार कर लेना चाहिए। मेरी समझ में नही आता, सभापति महोदय, कि पांच हजार की जनसंख्या पर म्यूनिसिपेलिटीज़ की

(श्री जनार्दनराय नागर)

स्थापना करने में क्या मुश्किल है? सभापति महोदय, कोई तर्क नहीं है इस दलील में कि आठ हजार पर म्युनिसिपेलिटीज़ जंचती हैं और पांच हजार के उपर नहीं जंचती। किसी म्यूनिसिपेलिटी की स्थापना में या किसी पंचायत की स्थापना में सिर्फ जनसंख्या को भी आधारभूत मसला रखें, यह ठीक नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन सर, जो आप आधारभूत, जनतंत्रात्मिक दृष्टिकोण, जिनको आप करने जा रहे हैं, वह दृष्टिकोण कौन कौन से हैं!

श्री जनार्दनराय नागर : दृष्टिकोण नहीं तो फिर दृष्टिपात कह दिया जाये। (हंसी) मैं कह रहा था, सभापति महोदय, कि इन संस्थाओं की स्थापना में हमें केवल संख्या को ही गौण नहीं मानना चाहिए चाहे वह म्युनिसिपेलिटी हो या पंचायत हो। उनकी स्थापना चाहे आप पांच हजार के ऊपर, दो हजार के ऊपर करें, मगर उनको कितने अधिकार आप देते हैं, उनका स्वरूप आप किस प्रकार गठित करते हैं, यह आधारभूत बातें हैं जिन पर हमें सोचने में अधिक समय लगाना चाहिए। लेकिन हम यह सोचें कि आठ हजार के ऊपर तो म्युनिसिपेलिटीज़ को रखना उचित होगा, और पांच हजार के ऊपर उचित नहीं होगा, यह कोई दलील नहीं है कि जो समझ में आती हो। हां, यह एक प्रकार से भावुकता अवश्य है। यदि यही बात है तो इससे घबराने की की बात नहीं है। आप पांच हजार के ऊपर म्युनिसिपेलिटीज़ कायम कीजिए और उनको आप ऐसा अधिकार दीजिए, ऐसा स्वरूप दीजिए, जिससे कि वह अपने यहां म्युनिसिपल जीवन का विकास कर सकें। आज, सच बात तो यह है कि हमारे जनतंत्रात्मिक जीवन को व्यवस्थित करने में ऐसा गठित जन-जीवन बनायें कि जिससे ये सार्वजनिक संस्थायें आज पूर्ण रूप से जनता के हाथों में हों। इसका एक और एंगल है जो मैं, सभापति महोदय, सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ और वह यह है कि जो आप संस्कृति और गतिविधि और वातावरण जनता में पैदा करना चाहते हैं तो आपको इसे मध्यम रूप से देखना होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार का जो मौलिक प्रस्ताव पांच हजार का है वह उपयुक्त मालूम होता है और दूसरे जो संशोधन हैं अगर वह अच्छी रीति और अच्छे तरीके से आते तो अच्छा रहता। इसलिए मैं माननीय मित्रों से अपील करूंगा कि आप होने दीजिए इसको। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जो म्युनिसिपेलिटीज़ सरकार के पांच हजार के प्रस्ताव से बनने वाली हैं उनकी आप गतिविधियों को रोक रहे हैं और पांच हजार को हटाकर आठ हजार और दस हजार कर रहे है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि पांच हजार के ऊपर जो कई संस्थाओं को अधिकार मिलने वाले थे, उसको आप रोक रहे हैं और उनके भविष्य को आप रोक रहे हैं और यह केवल इसलिए रोक रहे हैं कि ५ हजार के ऊपर तो जंचती नहीं है। आप देखिये ५ हजार की जन-संख्या पर कितनी और म्यूनिसिपेलिटीज़ कायम होंगी। अभी-अभी एक मित्र ने कहा कि कितनी ही म्युनिसिपेलिटीज़ बन्द हो जायेंगी। आज ऐसी म्युनिसिपेलिटीज़ की कैसी भी अवस्था हो लेकिन उनको शासन का अधिकार है और स्वायत्त शासन का जो जनतन्त्र राज्य में अधिकार है उसको भी हमें देखना होगा। इसलिये जहां जनता को शासन के अधिकार दिये गये हैं अगर उसके विरुद्ध कोई बात होती है तो हम हर कीमत पर उसका विरोध करेंगे।

Page No.50

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय सभापति महोदय, जो संशोधन अभी रखे गये हैं, म्युनिसिपेलिटीज़ की एक जनसंख्या निर्धारित हो और तभी म्युनिसिपेलिटीज़ कायम हों इसका फैसला तो माननीय मंत्री महोदय कर सकते हैं कि किस जनसंख्या के ऊपर म्युनिसिपेलिटीज़ कायम हों। मगर जो संशोधन रखे हैं उन संशोधनों को सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। पहले मैं यह बता दूं कि जो माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे उन्होंने ऐसे टर्म्स काम में लिये कि हम प्रोग्रेस को रोक रहे हैं या जो लोकल सैल्फ का कोई बर्थ राइट है उस पर हम आघात कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। मैं पहले इन दो चीजों को लूं कि लोकल सैल्फ का कोई भारतवर्ष के अन्दर, सारे वर्ल्ड के अन्दर किसी का बर्थ राइट नहीं हैं। यह राइट्स कन्ट्रीज़ के अन्दर लेजिस्लेचर कन्फर करता है सब-ऑर्डीनेट बॉडीज़ के ऊपर। जितने भी लोकल-सैल्फ इन्स्टीट्यूशन्स हैं वे सब-ऑर्डीनेट बॉडीज़ हैं और उनकी जहां तक पॉवर्स, फंक्शन्स, ड्यूटीज़ या राइट्स का संबंध है वह राइट्स एक एक्ट से डिफाइन किये जाते हैं और जब हम एक्ट से उन राइटस को डिफाइन करते हैं तो यह मानना पड़ेगा कि वे एक सॉवरेन बॉडी नहीं हैं। मगर जो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसके अन्दर वह सॉवरेन बॉडी है वह उसके नीचे है और जब वह उसके नीचे हैं, तो हर एक लोकल सैल्फ इन्स्टीट्यूशन या कोई भी पंचायत या म्युनिसिपल बोर्ड हो या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो वह क्लेम नहीं कर सकता कि यह हमारा बर्थ राइट है। तो जो हम बर्थ राइट के लिए कहते हैं वह दूसरा है। जो फ्रीडम ऑफ राइट है वह लेजिस्लेचर और पार्लियामेन्ट का। पार्लियामेन्ट और लेजिस्लेचर की जहां पॉवर्स है, ड्यूटीज़ हैं, उनकी ड्यूटीज़ और पॉवर्स के नीचे लोकल बॉडीज़ को फंक्शन करना पड़ेगा। जहां तक प्रोग्रेस को चैक करने की बात है मैं यह नहीं कह सकता कि ये जो संशोधन रखे हैं और यह मेरी मान्यता है कि यह बहुत प्रोग्रेसिव संशोधन हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल हमारे देश में क्या स्थिति है, और राजस्थान को हम लें तो हमारे जो म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं उनकी क्या स्थिति है। म्युनिसिपल बोर्ड्स को कुछ पॉवर्स हैं, कुछ फंकशन्स हैं फिर उनको कुछ टैक्सेशन के लिए रिसोर्सेज देते हैं।

इन सब तरफ से हम देखते हैं तो आजकल के युग में जिसको हम कहते हैं कि प्लानिंग युग है, उसके अन्दर आजकल जो सिविल फन्क्शन्स है, जो सिविल ड्यूटीज हैं वह म्युनिसिपेलिटीज की बढ़ती जा रही है, और उन सिविल ड्यूटीज को या म्युनिसिपेलिटी के फन्क्शन्स को आज तक राजस्थान में कोई एकाध ही म्युनिसिपेलिटी ऐसी मिलेगी जो कि एफिशिएन्टली डिस्चार्ज कर रही हो। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न जो म्युनिसिपेलिटीज के सामने आता है, वह आता है कि किसी तरह से उनकी आमदनी, उनके पॉवर्स और ड्यूटीज हैं उनके बराबर हो, और आमदनी के जो रिसोर्सेज हैं वे उनके पास में उतने नहीं हैं। हम अगर देखेंगे कि जो रिसोर्सेज का विभाजन है या फेडरल फाइनेन्शियल इन्टेग्रेशन और कॉन्स्टीट्यूशन में जो फाइनेन्शियल पावर्स का डिवीजन किया है तो एलास्टिक सोर्सेज ऑफ रेवेन्यु थे वे सेन्टर के पास चले गये। उसके बाद थोड़े बहुत जो एलास्टिक सोर्सेज ऑफ रेवेन्यु रहे थे वे स्टेट गवर्नमेंट के पास रह

(श्री श्रीमानसिंह)

गये । अब जितने बाकी के जो अनएलास्टिक सोर्सेज हैं, जिनको कहा जा सकता है कि वे अनएलास्टिक सोर्सेज ऑफ रेवेन्यु हैं, या टैक्सेशन के जो सोर्सेज हैं वे म्युनिसिपल बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के पास पहुंच गये हैं । एक तरफ तो हम म्युनिसिपेलिटी के फन्क्शन्स को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, या यह कहा जाय कि म्युनिसिपेलिटी के फन्क्शन्स यह हैं और होने चाहिये कि वह एक मनुष्य अपनी जो सिटीजन पोपुलेशन हैं उसकी From cradle to the grave look after करे, और उसके look after करने के लिए सबसे ज्यादा रिसोर्सेज की जरूत है ।

आजकल जो म्युनिसिपेलिटीज का ढांचा है, जिस तरीके से वे चल रही हैं उसमें सबसे ज्यादा कमी यही हैं कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं । अब आप एक म्युनिसिपेलिटी कायम करते हैं ५००० के ऊपर तो क्या जो ५००० की म्युनिसिपेलिटीज हैं वे आज बीसवीं शताब्दी में जबकि उनके फन्क्शन्स को हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, एक तरफ प्राइमरी एजूकेशन उनके पास है, दूसरी तरफ हैल्थ सर्विसेज भी हैं तीसरी तरफ प्लानिंग भी उनके पास है, चौथी तरह पी. डब्ल्यु. डी. के पॉवर्स भी उनके पास हैं, इस तरफ से पावर्स को मल्टीप्लाई करते गये, हेल्थ एजूकेशन प्लानिंग वगैरह के जो स्पेशल पॉवर्स मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं उन पॉवर्स को क्या पांच हजार की म्युनिसिपेलिटी जो कायम करेंगे उनको एफिशियन्टली डिस्चार्ज कर सकेंगी ? क्या वहां की ५००० की म्युनिसिपेलिटी के अन्दर जो सिटीजन्स होंगे वे क्या खुश होगें कि यह म्युनिसिपेलिटी जो है अपने फन्क्शन्स को एफिशियन्टली डिस्चार्ज कर रही है ? उनके पास एक रिसोर्स रहता है । बड़ी बड़ी म्युनिसिपेलिटीज के पास जो टैक्सेशन का रिसोर्स है वह सिर्फ ऑक्ट्राय है । ऑक्ट्राय के जरिये म्युनिसिपेलिटी जो है अपनी इन्कम चलाती है । उसकी जो आमदनी आती है उसके जरिये उनका खर्चा चलता है, तो ऑक्ट्राय को देखा जाय तो ऑक्ट्राय बड़ा एन्टीकेटेड टैक्स है जिसको म्युनिसिपल टैक्सेशन के अन्दर कोई प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए । ऑक्ट्राय एक ऐसा टैक्स है जिसका उस म्युनिसिपेलिटी के सिटीजन्स बियर नहीं करते हैं । ऑक्ट्राय का जो बर्डन है वह आउट साइडर पर जो कि म्युनिसिपेलिटी के एरिया के बाहर है उसके ऊपर पड़ता है और फायदा उठाती है आपकी म्युनिसिपेलिटीज़ । इसलिए जो ५ हजार की म्युनिसिपेलिटीज़ होंगी वे एक टैक्स लेवी करेंगी और वह टैक्स लेवी करेंगी, ऑक्ट्राय जो कि इन्डाइरेक्ट टैक्स है जिसका बर्डन होगा दूसरे आदमियों पर, और उस टैक्स से उसकी जो मेन इन्कम होगी वह मेन इन्कम इतनी सफीशियन्ट नहीं हो सकती है कि ५००० की म्युनिसिपेलिटी अपने फन्क्शन्स को एफिशियन्टली डिस्चार्ज कर ले । मैं जो इस तरह से कहता हूं मेरा उन पंचायतों के लिए लव लोस्ट नहीं है । पंचायतों की जो इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनको भी बहुत अच्छा नहीं मानता हूं । मगर सब से बड़ा म्युनिसिपेलिटियों का आधार होता है जनसंख्या । अगर उसको मान लेते हैं और इस पर कोई म्युनिसिपेलिटी कायम करते हैं तो जिस एरिया में ५ या ६ हजार की म्युनिसिपेलिटी है, उसने वह टैक्स डिक्लेअर कर रखा है तो उनको सबसे ज्यादा फायदा पहुँचता है । उनकी नीड्स जो है वे अर्बन नीड्स तो हैं नहीं । उनकी नीड्स कोइन्साइड करती हैं रूरल नीड्स से, और रूरल नीड्स से जो

Page No.52

(श्री श्रीमानसिंह)

कोइन्साइड करती है तो उसको गवर्न (Govern करने के लिए एक स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा और एक रूरल स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा, और रूरल स्ट्रक्चर जो होगा वह पंचायतों का स्ट्रक्चर हो सकता है, और उसके लिए कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ५ हजारी म्युनिसिपेलिटीज़ हैं उनके पास में सेवरल फन्क्शन्स हैं, मगर पंचायतों के पास में सब से बड़ा फन्क्शन है वह जुडीशियल फन्क्शन है। जिन ५ हजार की म्युनिसिपेलिटीज को हम कन्वर्ट करेंगे पंचायतों में या ८ हजार के अन्दर की जो म्युनिसिपेलिटीज़ हैं उनको कन्वर्ट कर रहे हैं पंचायतों के अन्दर तो सब से बड़ा राइट उन पर कनफर करते हैं, चीफ जस्टिस का और क्विक जस्टिस का; जो जुडीडियल फन्क्शन्स पंचायतों का है और जो जुडीशियल राइट्स म्युनिसिपेलिटीज़ को नहीं हैं वह जुडीशियल राइट उनको कन्फर कर रहे हैं। उनको कितना एडवान्टेज मिल सकता है यह कोई इसका बेरोमीटर तो नहीं है, लेकिन उन पर एक एडिशनल राइट कनफर किया जा रहा है जो कि म्युनिसिपेलिटीज़ को नहीं हैं।

दूसरा, अब इस तरह के जितने पाकेट्स हैं, छोटे छोटे पाकेट्स हैं उनको आप एन.ई. एस. ब्लॉक और कम्युनिटी प्रोजेक्ट जो खोलते हैं उनको आप एक्सक्लूड कर देते हैं यानी जितना भी पैसा आप लगाते हैं उनके अन्दर जिन जिन एरिया को म्युनिसिपेलिटीज़ डिक्लेअर कर देते हैं उन एरियाज़ के अन्दर उनको पैसा नहीं मिलता है। तो अगर आप इन म्युनिसिपेलिटीज़ को हटा देंगे, उनको डिक्लेअर नहीं करेंगे तो जितनी भी ब्लॉक के अन्दर छोटी म्युनिसिपेलिटीज़ होगीं उन म्युनिसिपेलिटीज़ को आपके ब्लॉक के अन्दर जितने एडवान्टेजेज हैं उन एडवान्टेजेज को उन पर कन्फर किया जा सकता है। तो यह कह देना कि यह प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं है, काफी नहीं है। मैं कहता हूं कि यह बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप है और कोई चीज यह नहीं हो कि एक सेन्टीमेन्टल अटेचमेंट कोई शब्द के साथ करें। हमको यह देखना है कि इस एरिया में जिन्हें कहा जाय कि एक वायेबल युनिट्स हो वह वायेबल युनिट्स कायम करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। ८ हजार के अन्दर की जितनी म्युनिसपेलिटीज़ हैं, अभी तक तो हमारे यहां जहां पर ४०-४० और ५०-५० हजार की पोपुलेशन है वहां की म्युनिसिपेलिटीज भी अपने पावों पर नहीं खड़ी हुई हैं; तो छोटी म्युनिसिपेलिटीज जो इस तरह से निर्धारित कर दी जायगी तो वे अपने पाँव पर नहीं खड़ी रहेंगी, और उनको इन्क्रीजिंगली ग्रान्ट इन एड देनी पड़ेगी। तो ग्रान्ट इन एड दे दे कर अगर हम उनको जिन्दा रखते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसको प्रोग्रेसिव स्टेप कहा जा सकता है। क्योंकि जब तक म्युनिसिपेलिटीज अपने पाँवों पर खड़ी नहीं हो सकतीं, जब तक वे अपने फन्क्शन्स को एफिसियन्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकती हैं, तब तक म्युनिसिपेलिटीज का सिटीजन्स को फायदा क्या है ? सिर्फ एक टैक्स थोपा जाता है और कोई फायदा मिलता नहीं है। तो ऐसा हो कि एक सही युनिट निर्धारित करें। तो अब युनिट निर्धारित करने का क्या क्राइटेरिया हो सकता है ? जो सबसे ज्यादा ओबियस क्राइटेरिया दिखता है वह जनसंख्या का दिखता है। जहां तक कॉंस्टीटुएन्सीज कायम होती हैं सिटीजन्स का रिप्रेजेन्टेशन करने के लिए लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट के अन्दर जहां

(श्री श्रीमानसिंह)

तक उनका रिप्रेजेन्टेशन होता है वह एक जन संख्या पर निर्धारित होता है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि दूसरा क्राइटेरिया होना चाहिए, तो दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है ? यहां यदि हम इन्कम क्राइटेरिया लें तो इन्कम क्राइटेरिया के लिये जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा मंडियों को ले सकते हैं, उन मंडियों को जिनकी इन्कम ज्यादा है। वरना जो इन्कम क्राइटेरिया है वह ठीक नहीं बैठता। लेकिन यहां पर जो पांच हजार की जन संख्या का क्राइटेरिया है वहां पर जन संख्या का क्राइटेरिया न रखें और इन्कम क्राइटेरिया रखें तो इन्कम क्राइटेरिया क्या हो सकता है ? इन्कम क्राइटेरिया हाउस टैक्स से नहीं हो सकता, प्रोपर्टी टैक्स से यह क्राइटेरिया नहीं हो सकता। म्युनिसिपेलिटीज के जितने इन्कम के लिये टैक्सेशन हैं वे इन्कम क्राइटेरिया नही हो सकते। इन्कम क्राइटेरिया एक ही हो सकता है और वह है। ऑक्ट्राय यदि ऑक्ट्रोय क्राइटेरिया को लेते हैं तो वह भी उन सिटीजन्स पर डाइरेक्ट टैक्सेशन से इन्कम नहीं है। यह इन्कम उन लोगों से होती है जो टाउन में बाहर से गुड्स लाते हैं उसके बदले में उन पर टैक्स चार्ज करते हैं। इसको यदि निर्धारित करें तो यह होगा कि जो ज्यादा से ज्यादा बड़ी मंडियां हैं उन पर इन्डाइरेक्ट टैक्स लेवी कर सकते हैं या पहले से ज्यादा लेवी करें तो उन एरिया को म्युनिसिपल एरियाज डिक्लेअर कर दिया जाय। लेकिन यह प्रोग्रेसिव नहीं होगा। यह तो वह बात होगी कि मेरे क्षेत्र में एक म्युनिसिपेलिटी है वह चाहे छोटी से छोटी है लेकिन वह कायम है और अब हट रही है तो उसको रखने के लिये आॅर्ग्युमेन्टस दिये जा रहे हैं। एट दि पॉइन्ट ऑफ इरिलेवेन्सी मेरी कॉस्टीट्यु- एन्सी में एक छोटी म्युनिसिपेलिटी है, वह वहां पर कायम रहे, उसके वहां कायम रखने के लिये कोई आॅर्ग्युमेंट दें तो आप उसे प्रोग्रेसिव कह सकते हैं क्योंकि वे हर एक चीज प्रोग्रेसिव कहते हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव युनिट्स ऐसे हों जहां कल्चरल और साइन्टिफिक बातें चल सकें। कल्चरल और साइन्टिफिक के लिये जो आॅर्ग्युमेन्ट्स दिये हैं वे ५००० की जन संख्या के लिये कल्चरल आर्ग्युमेन्ट एप्लाई नहीं होता और साइन्टिफिक तो हो नहीं सकता, उसके लिये भी बड़े युनिट की जरूरत है। इसको प्रिजर्व करना, डिस्एमिनेन्ट करने के लिये आदमियों को सिखाना पड़ता है और उसके लिए एक ऐसा युनिट चाहिये जो सिटीजन्स में पूरी तरह से कल्चर स्प्रेड कर सकें। पांच हजार की पोपुलेशन में यह हो नहीं सकता, तो तहसील पंचायतों के जो युनिट्स हैं उसी तरह से म्युनिसिपेलिटी बनाने के लिए टाउन की जनसंख्या कम से कम ८ हजार या १० हजार होनी चाहिये। आप इसको आर्थिक दृष्टि से देख लीजिये, चाहे सोशियल दृष्टि से देख लीजिये और चाहे पोलिटिकल दृष्टि से या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइन्ट ऑफ व्यू से देख लीजिये, किसी भी दृष्टि से यह ठीक नहीं रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पोइन्ट ऑफ व्यू से भी आप अगर देखें तो हर म्युनिसिपेलिटी को एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी मेन्टेन करनी पड़ेगी, इस पॉइन्ट ऑफ व्यू से भी इसे देखना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह देखने की है कि जो टैक्स लेवी करते हैं उसका इवेजन न हो, कोई करप्शन न करे। इसलिए पांच हजार की आबादी पर म्युनिसिपेलिटी कायम करते हैं और उसको ऑक्ट्राय लगाने का अधिकार देते हैं। जिसके लिए लिखने का काम होता है और टैक्निकल

(श्री श्रीभानसिंह)

टैक्स के लिए आप बाध्य करते हैं जैसे हाऊस टैक्स, इसमें आपने तीन टैक्स कम्पलसरी रखे हैं तो इनका एसेसमेन्ट करने के लिए एडीकैट मशीनरी होनी चाहिए और इतनी छोटी म्युनिसिपेलिटी में एफिशियेन्ट मशीनरी हो नहीं सकती। इसलिए सब चीजों को देखते हुए यह जो अमेन्डमेन्ट है वह ठीक है। जो कल्चर या साइन्टिफिक पोइन्ट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है वह प्रोग्रेसिव तो हो नहीं सकता। मैं सदन में एग्जाम्पल्स तो नहीं दे सकता लेकिन इंगलैण्ड में भी ऐसे पॉकेट्स हैं टाउन बोरोज, कंट्री बोरोज आदि चली आ रही है। वहां पर यह देखने के लिए कि आखिर कंट्री बोरोज आदि जो हैं उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है और उनका रीजनल ग्रूपिंग हो सकता है या नहीं, इसका प्रयत्न किया जा रहा है। वहां पर वे लोग यह चाहते हैं कि उनकी इन्कम सफीशियेन्ट हो और उतनी हो कि आजकल जो पब्लिक हैल्थ, प्लानिंग आदि का काम करने की जो पॉवर्स दे रहे हैं, उनको वे संस्थाएं सेटिस्फेक्ट्रली डिस्चार्ज कर सकें।

यहां पर बहुत से सदस्यों ने इन म्युनिसिपेलिटीज के बारे में विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने कहा कि लैंड रेवेन्यू और ग्रान्ट इन एड से म्युनिसिपेलिटीज़ को मेन्टेन किया जाता है। म्युनिसिपेलिटीज़ को लैंड रेवेन्यु देकर मेन्टेन किया जाता है मैं तो ऐसा नहीं समझता। म्युनिसिपेलिटीज़ की इन्कम शायद लैंड रेवेन्यु से नहीं है। उनकी इन्कम टैक्सेज से होती है या ग्रान्ट इन एड से। जो ऑर्ग्यूमेंट्स सदन में दिये गये वे ऐसे थे कि मेरे यहां एक छोटी म्युनिसिपेलिटी है और छोटी होने के कारण से वह मिट रही है हर तरह से मेरी म्युनिसिपेलिटी मेन्टेन रहे। पांच हजार की जनसंख्या वाले कस्बों में राजस्थान सरकार ने किसी समय में म्युनिसिसिपेलिटीज़ कायम करदी थी, वे मेन्टेन होती रहें और जो दूसरी म्युनिसिपेलिटीज़ हैं या औरकोई प्रोग्रेसिव स्टेप लें तो कहदें कि प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वह अमेन्डमेंट सभी दृष्टिकोण से प्रोग्रेसिव है और मेहता कमेटी की रिकमन्डेशन के अनुरूप है जिसका उन्होंने हवाला दिया है। शायद उन्होंने मेहता कमेटी की रिपोर्ट को स्टडी नहीं किया है। मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यह अमेन्डमेन्ट मोस्ट सूटेबल और मोस्ट प्रोग्रेसिव है।

श्री जनार्दनराय नागर : यह प्रोग्रेसिव कैसे है, मेरे मित्र ने कहा कि मेहता कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेहता कमेटी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, उसके अनुसार यह प्रोग्रेसिव कैसे है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री सभापति : उन्होंने 'शायद' शब्द काम में लिया है।

श्री श्रीभानसिंह : जब मैं बोल रहा था तब मेरे मित्र बीटल ग्रेज करने गये थे।

(हंसी)

He should be present in the House.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय, यह जो सदन के समक्ष ५वीं धारा में यह संशोधन प्रस्तुत हुआ है, उसका समर्थन करने मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं पांच हजार आबादी को, जहां शब्द हैं ५ वहां आठ हजार और जहां एक मील का फासला है वहां दो मील का किया गया है, उन दोनों का समर्थन करने का कारण यह है कि अभी सदन

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

के समक्ष माननीय सदस्यों ने अपने मत के समर्थन में जो युक्तियां दी हैं उन सब में एक युक्ति सभी में लक्षित होती है और वह यह है कि इस प्रकार का विधेयक और संशोधन लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम अपने कस्बों का, शहरों का और गांवों का समान रूप से सर्वांगीण विकास कर सकें यह लक्ष्य सभी का एक है। केवल अन्तर यह है कि हम उनका विकास पंचायतों के द्वारा करें या इस प्रकार की नगर सेविकाओं या नगरपालिकाओं के द्वारा करें। मैं समझता हूं पहले एक ऐसा युग था, जब हमारे देश में केवल एक सरकार होती थी, विदेशी शासन काल में और वह सारे देश पर शासन करती थीअपनी नौकरशाही के जरिये से। लेकिन बाद में एक ऐसा जमाना आया जब इस बात की आवश्यकता महसूस हुई, कि देश के लोग, देश के शासन में हाथ बंटावें और वे इस योग्य भी होने चाहिये। इसीलिए अंग्रेजी राज्य में ही स्वायत्त शासन की प्रथा प्रचलित हुई जिसका मुख्य कारण यह था कि लोग राज्य सरकार से अलग रहते हुए भी जनता के प्रतिनिधियों के रूप में अपनी अपनी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का शासन स्वयं चलावें और इसलिये उनको स्वायत्त-शासन संस्थाए कहते थे जिनमें म्युनिसिपेलिटीज़ और पंचायतें सभी आतीं थीं।

जहां तक मुझे याद है अंग्रेजी शासन काल में इस प्रकार की जो स्वायत्त संस्थाएं थीं उनका नामकरण अलग अलग तरह का था और यह नामकरण आबादी और शहरों की बनावट को देखकर होता था। जो बहुत छोटे कस्बे होते थे, वे नोटिफाइड एरियाज़ कहलाते थे और उनसे बड़ों को टाउन बोर्ड कहते थे और उनसे कुछ बड़ों को म्युनिसिपल बोर्ड कहते थे और उनसे भी बड़ों को कौंसिल आदि कहते थे। इस प्रकार उनका नाम होता था। उस समय भी उनका नाम आबादी के अनुसार रखा जाता था और उसी के अनुसार उनको शक्ति और काम देने का वर्गीकरण होता था।

आज जो विधेयक हमारे समक्ष है, उसमें वे सारे नाम हटा दिये गये हैं, म्युनिसिपल कौंसिल, कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल बोर्ड इस प्रकार के हैं,बड़े गांवों और छोटे कस्बों में इस तरह की जो संस्थाएं पहले होती थीं, उन्हें अब नहीं रखा है इसका कारण यह है कि हमारे देश में पंचायतों का बहुत बड़ा जाल बिछ चुका है। आज प्रयत्न यह किया जा रहा है कि म्युनिसिपेलिटीज़ उन लोगों के लिये हों, जोशहरों में रहते हैं गांवो की उन्नति के लिए पंचायतों को गांवोके उत्थान के अधिकार दिये हैं, ताकि वे सड़क बनाने, स्कूल खोलने,रोशनी व औषधालय का प्रबन्ध करें। साथ ही उसके साथ हमारे यहां जो विकास खंड हैं, ये विकास खंड खास तौर से गांवों की उन्नति के लिए ही हैं। इन विकास खंडो में एक विशेष रूप से प्रावधान रखा गया है, कि इनका उपयोग, इनका लाभ गाँव के लोगों को होगा, कस्बे के लोग नहीं उठा सकते। अब आवश्यकता इस प्रकार की होगी कि हम कुछ जगह तो ऐसी रखें जो केवल ब्लॉक के क्षेत्र में जायं, पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आयें, दूसरी ऐसी हों जहां पर नगर पालिकाओं का अधिकार-क्षेत्र हो जब इस प्रकार के दो विभाजन अपने जन जीवन में कर चुके हैं तो यह आवश्यक है, कि हम एक सीमा निर्धारित करें और उस दृष्टि से आज जब नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में विधेयक आया है, तो हम सबसे पहले यह देखें कि नगरपालिकाओं का क्षेत्र कितना बड़ा हो, वहाँ की कितनी आमदनी हो, कितनी आबादी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

हो, जिससे नगरपालिका अच्छी तरह काम कर सके। हम समझते हैं कि छोटी छोटी नगर पालिकाओं से, टाउन बोर्ड से जिनका सम्बन्ध रहा है, उनको मालूम है, वे केवल नाम मात्र के लिए टाउन बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड रख दिये गये हैं, जहां तक काम का सम्बन्ध है, वह उनमें कुछ नहीं होता है। उनकी आमदनी के बहुत थोड़े से साधन होते हैं, उन साधनों से, वे जितना विकास उन क्षेत्रों का कर सकते हैं, उन कस्बों का कर सकते हैं, वह उतना नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर वही कच्चे रास्ते मिल सकते हैं, जहां पर टाउन बोर्ड, नोटीफाइड एरिया या इस प्रकार की पांच छः हजार की आबादी की नगरपालिका हैं, उनके कोई लक्षण वहां प्रतीत नहीं होते हैं, सिवा इसके कि वे संस्थायें जो शासन स्वयं चला रही हैं, काम कर रही हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, उन स्थानों की आमदनी के जरिये बढ़ाये जायें। अभी जैसा बतलाया गया कि आमदनी के जरिये दो प्रकार से बढ़ सकते हैं, या तो वे स्वयं कर लगायें, जैसे चुंगी कर, ऑक्ट्राय कर आदि या दूसरे सरकार उनको सहायता दे। जहां तक मैं समझता हूं कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता के भी नियम हैं, कुछ बड़े कस्बों के लिए एक रुपया प्रति व्यक्ति, छोटों के लिये आठ आना प्रति व्यक्ति। मैं समझता हूँ कि सरकार इस प्रकार सहायता देती है जैसे कि ५० हजार की आबादी पर एक रुपया या उससे ज्यादा इस बारे में, स्वयं मन्त्री महोदय बतायें। मैं समझता हूं कि व्यक्तियों की आबादी की संख्या के हिसाब से सहायता दी जाती है। तो हम इस हिसाब से देख सकते हैं कि अगर किसी स्थान की आबादी केवल ५ हजार है और उसको आठ आना प्रतिव्यक्ति सहायता मिलती है तो ज्यादा से ज्यादा ढाई हज़ार रुपया मिलेगा। अगर आबादी बढ़ जाती है तो सहायता ज्यादा मिल सकती है। इसी तरह से ऑक्ट्राय के सम्बन्ध में भी है। अगर क्षेत्र बड़ा होता है तो वहां पर अधिक चीजें आती हैं, तो उनको आमदनी अधिक मिल सकती है। सबसे बड़ी चीज यह है कि ज्यादा आबादी के क्षेत्र होने से वहां स्कूल और अस्पताल भी खुल सकते हैं क्योंकि यह भी हम देखते हैं कि चाहे हम बड़े बड़े स्कूल खोलें, सड़कें बनावें, औषधालय खोलें, कुछ भी करें, आबादी का विचार उनमें रखना पड़ेगा। हम सड़कों के मामले को लेकर देखें, तो मैं समझता हूं कि आज राजस्थान सरकार के प्लान के अन्दर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर, कुछ इस प्रकार का प्रावधान है कि जो पांच हजार के कस्बे हैं, या इससे बड़े कस्बे हैं, उनको पहले सड़कों द्वारा जोड़ा जाय और जो छोटे गांव या कस्बे हैं वे उस अधिकार क्षेत्र से रह जाते हैं। बड़े आबादी वाले कस्बे होते हैं उनको ज्यादा मदद मिल जाती है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि अगर म्युनिसिपेलिटी का अधिकार क्षेत्र ज्यादा आबादी का होता है, पांच हजार से अधिक आबादी का होता है तो वहां की संस्था को अधिक आमदनी होगी, सरकार से मिलने वाली सहायता अधिक मिलेगी और इसी प्रकार उसके अधिकार क्षेत्र के अन्दर जितने बड़े गांव आते हैं, उनका भली भाँति विकास कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है। यह भी बतलाया गया है कि कस्बों के आस पास जो छोटे, बड़े गांव हों, उनको संम्मिलित किया जाय। मैं समझता हूं कि इसके अन्दर यह भी एक अच्छा प्रावधान रखा गया है। आज कल होता यह है, कि एक कस्बा है, उस कस्बे में कुछ रौनक बढ़ाई गई और उससे

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

आध मील पर जो गांव है, वहां टूटी झोंपड़ी है, वहां न ठीक रास्ता है और न पानी का ठीक इन्तजाम किया जाता है। उसके साथ साथ यह भी एक तथ्य है कि शहर के पास होने के कारण जितनी असुविधाएं हो सकती हैं, जितनी कठिनाइयां हो सकती हैं, उन छोटे गांवों को भुगतनी पड़ती हैं, जबकि कस्बे को मिलने वाला लाभ उनको नहीं मिलता है। इसलिए यह आवश्यक है कि जो बड़े कस्बे पांच छः हजार के हैं, उनके आस पास दो हजार की आबादी के छोटे गांव हैं, उनको शामिल किया जाता है, तो उन गांवों को भी लाभ मिलेगा। मैं समझता हूं, कि इस सम्बन्ध में यह आपत्ति उठाई गई, कि उन गांवों को अधिकतर कष्ट ही होता है, वे कोई चीज लाते हैं शहर में, तो उनको दिक्कत आती है और चुंगीवाले कहते हैं कि बाहर से कहीं से चीज आई है, और उसमें झगड़ा पड़ता है। मैं समझता हूं कि अब भी बड़े बड़े शहरों में ऑक्ट्राय की जगह होती है वह शहर से दो तीन मील की दूरी पर होती है और वहां पर होकर जितनी चीजें पास होती हैं, उन पर ऑक्ट्राय ली जाती है। और उसके पहले छोटे छोटे गांव या छोटी छोटी ढाणी आती हैं, वे सब उसके अन्दर मौजूद होती है और उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। इसलिए इन सारे लाभों को देखते हुए, जो म्युनिसिपेलिटी के रहने के कारण उनको मिलेंगे, यदि आबादी आठ हजार रखी जाती है और उसके एक मील के फासले के अन्दर जितने भी गाँव आते हैं; अब एक शंका और उठाई गई कि वह एक मील कहां से मानी जाय, म्युनिसिपेलिटी के ऑफिस से माना जाय या कस्बे की हद से जहां पर आखिरी मकान है, वहां से माना जाय। मैं समझता हूं यह स्पष्ट किया हुआ है:

"from which it is separated by more then two miles of land unoccupied by houses;"

यानी मकान जहां खत्म हो जाते हैं, ऑफिस के बाद तो आध मील, एक फर्लांग, दो फर्लांग, तीन फर्लांग तक मकान हो सकते हैं, इसमें स्पष्ट है कि आखिरी मकान आयेगा उससे एक मील तक जितने गांव आयेंगे, वे शामिल हो जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो संशोधन रखा गया है, वह बहुत ही सामयिक और समीचीन है और उसको अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग): सभापति महोदय, अजमेर से आये हुए माननीय सदस्य ने म्युनिसिपल बोर्ड निर्माण के वास्ते आबादी की संख्या पांच हजार से आठ हजार तक रखने के लिए जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, म्युनीसिपेलिटीज़ और पंचायतें, ये दोनों विकास की वस्तुएं हैं और इनका सम्पर्क डाइरेक्ट जनता से होता है। ज्यों ज्यों जनता के विकास में और जनता की वृद्धि में परिवर्तन होता जाता है, इन संस्थाओं में परिवर्तन होना आवश्यक है। म्युनीसिपेलिटीज़ आजकल की संस्थायें नहीं हैं, यह बहुत पुरानी संस्था है। म्युनिसिपेलिटीज़ अंग्रेजों के जमाने में कायम की गई थी और उस वक्त भारत की जो परिस्थिति थी और उसमें आगे राजस्थान की जो परिस्थिति थी, उनके अनुसार ही इन म्युनीसिपेलिटीज़ का निर्माण किया गया था। उस वक्त हमारी आबादी की जो दशा थी, हमारे विकास की जो दशा थी, हमारे विधान की जो दशा थी, उसको ध्यान

Page No.58

(श्री रामचन्द्र)

में रखते हुए उस वक्त म्युनीसिपेलिटीज़ का निर्माण केवल पांच हजार की आबादी को बेस मान कर किया गया था। लेकिन इस समय, स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद, राजस्थान में जो जबर्दस्त विकास हो रहा है, इधर आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और राज्य की प्रगति, राज्य का विकास हो रहा है, दिन-प्रतिदिन आबादी बढ़ती जा रही है ऐसी दशा में म्युनिसिपेलिटीज़ जो पुराने ढांचे की है उसे उसी स्थान पर रख कर काम करना उचित मालूम नहीं होता है। मैं कहूंगा कि जैसे जैसे राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धी और राज्य का विकास और प्रगति होती जा रही है उसी अनुपत मे म्युनिसिपेलिटीज़ और पंचायतों के ढांचे, जो कि लोकल संस्थायें कहलाती हैं बदलते रहना चाहिए। इसलिये यह जो प्रस्ताव रखा गया है कि म्युनिसिपेलिटी ५ हजार के बजाय ८ हजार की जनसंख्या पर रखी जाय, मैं समझता हूं कि यह बिलकुल उचित है, क्योंकि यह परिवर्तन उस समय लाया जा रहा है, जब राजस्थान में विकास काफी हो चुका है और जनसंख्या भी काफी बढ़ गई है।

२ म०प०

दूसरी बात यह है कि छोटी छोटी जगहों में जहां ५ हजार की आबादी है, म्युनिसिपैलिटीज़ रखने से जनता का भी बड़ा अहित हो रहा है वहां विकास के कार्य रुक जाते हैं। क्योंकि जहां म्युनिसिपेलिटीज़ कायम हो जाती हैं, उनके आसपास के क्षेत्र हैं, वहां विकास के कार्य रुक जाते हैं। जहाँ विकास खण्ड खोले जाते हैं, विकास कार्य होते रहते हैं, पर उस क्षेत्र में जहां कि म्युनिसिपेलिटी होती है विकास कार्य नहीं होते हैं। वहां के रहने वाले इस लाभ से वंचित रह जाते है। यद्यपि कहलाने को म्युनिसिपेलिटी कहलाती हैं पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी कमजोर होती है कि विकास खण्डों से जो आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्य से लाभ पहुँच रहा है, वह विकास इस क्षेत्र को नहीं पहुंचा सकतीं, इस कारण से म्युनिसिपेलिटीज के रहने वाले अपना विकास उस गति से नहीं कर पाते जिस गति से उनके आसपास के क्षेत्र में विकास कार्य होते रहते हैं। यदि वहां म्युनिसिपेलिटियां न रख कर पंचायतें रख दी जायंगी तो पंचायतों के आधर पर सरकार की ओर से जो सहायता मिलती है वह उनको भी मिलती रहेगी और वहां विकास खण्ड में होने के कारण विकास कार्य किये जा सकेंगे, जिससे जनता को अधिक विकास करने का अवसर मिलेगा। आज कल की म्युनिसिपेलिटियां जो अर्थहीन म्युनिसिपेलिटियां हैं, पास में पैसा नहीं है फिर भी म्युनिसिपैलिटीज कहलाती हैं और सारे अधिकार लेने का दावा रखती हैं। इन म्युनिसिपेलिटीज ने जितना अन्याय हरिजनों के साथ किया है उतना शायद ही और किसी संस्था की ओर से किया गया हो। सरकार की ओर से विकास आदेश निकलते हैं, कल्याण विभाग की ओर से शर्तें रखी जाती हैं कि आधा पैसा म्युनिसिपेलिटियां खर्च कर दें तो आधा पैसा राज्य सरकार देने को तैयार है, पर म्युनिसिपेलिटीज़ के पास पैसा नहीं है, हरिजनों को वे सहायता नहीं दे सकतीं। समाज-कल्याण विभाग तो सहायता देने को तैयार है पर म्युनिसिपेलिटीज़ के पास आधा पैसा नहीं होने के करण हरिजन उनसे फायदा नहीं उठा सकते। इस आधार पर भी मैं यह कहता हूं कि छोटी छोटी म्युनिसिपेलिटीज़ जिनके पास विकास के लिये पैसा नहीं है, और जिनके पास पैसा होता भी है तो वे

(श्री रामचन्द्र)

कर्मचारियों के वेतन पर और थोड़ा सा धन सफाई पर खर्च कर देतीं हैं, ऐसी छोटी छोटी म्युनिसिपेलिटियों को अब रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

इसलिए अजमेर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनू): सभापति महोदय, क्लॉज़ ५ के ऊपर जो वाद-विवाद चल रहा है उसमें संशोधन के पक्ष में, मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मेरे पूर्व के काफी वक्ताओं ने इस विषय में प्रकाश डाला है । प्रश्न यह है इसमें कि म्युनिसिपेलिटियों की पोपुलेशन, ५००० के कस्बे या गांव हैं उन्हीं तक सीमित रखा जाय या उनसे आगे बढ़ाया जाय । इस विषय में अधिकांश सदस्यों ने यह राय व्यक्त की है कि १० हजार तक की आबादी वाले कस्बों में म्युनिसिपेलिटीज़ रहें । पंचायतों और म्युनिसिपेलिटीज़ का जो भेद है,उसको हमें साफ तौर से समझना होगा । हमारे देश में जो विकास कार्य हो रहे हैं और उनमें जो पंचायतों को सहायता दी जा रही है, पंचायतों को जो अधिकार दिये गये हैं और जिस तरीके से प्रतिवर्ष पंचवर्षीय योजना के सिलसिले से हमारे विकास कार्य बढ़ते जा रहे हैं, उनको देखते हुए और म्युनिसिपेलिटीज़ की प्रगति को देखते हुए हमको यह महसूस होता है कि जो ऐसे कस्बे हैं, जो न देहात ही हैं और न शहर ही हैं और चारों और विकास खण्डों से घिर गये हैं, उनमें प्रगति देखी जाय अपेक्षाकृत उन क्षेत्रों के जहां विकास खण्ड खोले गये हैं, तो वह नगण्य है । ऐसी म्युनिसिपेलिटीज़ को रखने से क्या फायदा । राजस्थान में कोई चार सौ, पांच सौ म्युनिसिपेलिटीज़ होंगी उनमें पांच हजार से ऊपर की म्युनिसिपेलिटीज में, ऐसी बहुत सी मिलेंगी जिनका दफ्तर घाटे में चलता है, दफ्तर कभी खुलता नहीं वह बराबर, बार बार राज्य सरकार से सब्सिडी के लिये प्रार्थनाएं करती रहती हैं और उनका अधिकांश रुपया सब्सिडी के लिये प्रार्थना करने के लिये वहां आने-जाने में ही खर्च हो जाता है । तो जो सुविधाएं पंचायत कानून के जरिये से उन क्षेत्रों को दी हुई हैं, जो उनके बिलकुल एड्जेसेंट हैं उनमें भी वही सहूलियतें हमको देनी चाहिये । हमको यह भी देखना है कि जो पंचायतें हमने कायम की हैं वह राज्य के प्रशासन का अंग हैं, म्युनिसिपेलिटीज इसके विपरीत शासन का अंग नहीं, स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं, इनमें बड़ा भेद है । बहुत से माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं कि म्युनिसिपैलिटीज़ में सस्ता न्याय मिलना है । प्रशासन के मामले में उनको जुडिशियल और एग्जीक्युटिव अधिकार मिले हुए हैं, इन पंचायतों को दिये हैं वह भारतीय संस्कृति की देन है । जब कि इसके विपरीत म्युनिसिपेलिटीज़, जब से हमारे यहां ब्रिटिश राज्य आया तब से आई हैं, एक तरह से कहा जा सकता है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ हमारे यहां अंग्रेजी राज्य के सम्पर्क से आई हैं, यह अंग्रेजी राज्य की देन है । हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप, हमारी भारतीय परम्पराओं के अनुकूल कार्य होना चाहिये; म्युनिसिपेलिटीज़ में हम इस कार्य का अभाव पाते हैं । हमारे देश में पहले पंचायतें होती थीं, गांवों वाले उनमें बैठ कर अपना कार्य करते थे, उसी तरह के पंचायती राज्य की कल्पना हमारे यहां है, उसी तरह का प्रावधान हमारे यहां इस एक्ट में होना चाहिये और १० हजार की आबादी में म्युनिसिपेलि-

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

रखने का प्रावधान करना चाहिये, इसका काफी लाभ मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए बलवन्तराय मेहता कमेटी बैठी थी, उसकी राय ही है कि ५ हजार की आबादी के कस्बों व देहातों में म्युनिसिपेलिटीज कायम करने का तरीका अन-इकोनोमिक है, यह वहां के निवासियों के प्रति अन्याय होगा, वे छोटी छोटी ऐसी Enclaves हैं कि जहां पड़ौसी जन-जीवन से सामंजस्य नहीं हो पाता, उनके आसपास के क्षेत्रों में म्युनिसिपल क्षेत्र नहीं होने के कारण विकास खण्ड खुले हुए हैं पर इन क्षेत्रों में इस तरह के कोई कार्य म्युनिसिपल क्षेत्र होने के कारण नहीं खुले हैं। इसीलिये सिफारिश की गई है कि १० हजार की आबादी से नीचे के नगर हैं वहा म्युनिसिपेलिटीज़ नहीं रखी जाय। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने बलवन्तराय कमेटी का हवला दिया था, इसलिये, मैं कुछ उद्धरण उस कमेटी की रिपोर्ट में से पढ़ कर सुना देना चाहाता हूं कि उन्होंने क्या लिखा है :

"We have noticed that most of the smaller municipalities, especially those with population of less than 10,000, are substantially rural in character. Their municipal constitution however, deprives them of that administrative contact with surrounding rural areas which we consider essential for the development of both. We, therefore, recommend that each of such municipalities which lie 'as enclaves within the jurisdiction of a block should be entitled to elect from amongst its own members one person as a member of the Panchayat Samiti. We would also suggest that, wherever possible, State Governments may couvert such predominently rural municipalities into panchayats."

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो सिफारिश की है कि इस प्रकार की म्युनिसिपेलिटीज़ हैं उनको विकास कार्य में भाग लेने का अवसर दिया जावे और जहां तक हो सके उन म्युनिसिपेलिटीज़ को पंचायतों में कन्वर्ट कर दिया जावे। अत: जो डॉ० बहादुरसिंह ने संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस संशोधन को पास करावें।

(स्वायत्त शासन मंत्री ने बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, इससे ऐसा लगता है कि स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में हमारे सामने कोई योजना नहीं, वर्ना इस सम्बन्ध में विचार करने के पूर्व सरकार को यह चाहिए था कि बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर कोई निर्णय लिया जाता और विचार किया जाता। उत्तर प्रदेश और पंजाब ने इस कमेटी की रिपोर्ट पर निर्णय लिया है कि उसमें नीचे से ऊपर तक किस प्रकार का डेमोक्रेटिक सेट-अप होना चाहिये। ५ हजार की आबादी पर म्युनिसिपेलिटी हो या १० हजार की आबादी पर म्युनिसिपेलिटी हो। जब इस विषय पर सरकार कोई निर्णय नहीं करती तो मध्यम मार्ग निकालने की कोशिश की जाती है। मगर यह कोई उत्तर नहीं। आज शहर वाले लोग जहां पर ५ या ७ हजार की आबादी है, यह देखते हैं कि पंचायतों को बहुत बड़े अधिकार हैं, पंचायतें सजा दे सकती हैं, किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना कर सकती है, जेल भेज सकती हैं इसलिये हमारे यहां पर पंचायतें हों तो अच्छी

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

बात है । इसी प्रकार से कुछ पंचायतें यह सोचती हैं कि शहरों में सरकार की ओर से म्युनिसिपेलिटीज़ को सहायता मिलती है इसके अलावा चुनावों में जिस प्रकार का विरोध पंचायतों में होता है, वैसा वहाँ नहीं होता । इसलिये वे लोग यह चाहते हैं कि उनके यहां पर म्युनिसिपेलिटीज़ होनी चाहिये । इस तरह से दोनों स्थानों पर एक प्रकार का झगड़ा रहता है । दोनों स्थानों पर यह झगड़ा देखने को आता है । कुछ स्थान चाहते हैं इनमें पंचायतें हों और कुछ स्थान चाहते हैं म्युनिसिपेलिटियां हों । इसलिये कोई न कोई आधार होना चाहिये कि इतनी आबादी पर म्युनिसिपेलिटीज़ होंगी और इतनी आबादी के नीचे पंचायतें होंगी । इसलिये, इस पर यह निर्णय ले लें कि ८ हजार पर हम म्युनिसिपेलिटीज़ कायम करते हैं, तो कोई बात होती है । हमको आबादी देखना है या कस्बा या गांव देखना है ? यदि हम इसका निर्णय नहीं करेंगे तो मैं यह कहूँगा कि कोई न्यायसंगत बात नहीं होगी और भविष्य में आपस में झगड़ा होगा। बहुत से गांव एक दूसरे से जोड़ जोड़ कर यह बता देंगे कि उनकी आबादी ८ हजार की हो गई है इसलिये वहां पर म्युनिसिपेलिटी की घोषणा कर दें । इसी तरह से म्युनिसिपेलिटीज़ जहां पर हैं और वे टैक्सेज लगाती हैं उनको कोई छोटा-मोटा गांव पसन्द नहीं करेगा तो गांवों के लोग मिल कर यह कहेंगे कि हम तो पंचायतों में जावेंगे जहां पर हमको रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार है । इसलिये, मेरा यह माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि श्री बलवन्तराय कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं उनके साथ साथ पंचायतों का क्या ढांचा होगा यह भी बताया है । उन्होंने पंचायतों को जुडिशियल पॉवर्स नहीं दिये जाने की भी बात कही है । जुडिशियल अधिकार ५, ७ पंचायतों को ही दिये जावें । बाकी की पंचायतों के फंक्शन्स म्युनिसिपेलिटीज के फंक्शन्स से मिलते जुलते ही हैं । इसलिए सारा सेट-अप निश्चित रूप से बनाते और कमेटी यह तय करती कि किस गाँव में, किस रूप से कितनी आबादी पर क्या तय करना है, तो यह न्यायसंगत बात होती । मगर यह तय नहीं हुआ है इसलिये, जो कार्यवाही होगी उसको आगे हमें बदलना होगा । जिस प्रकार बलवन्तराय मेहता कमेटी के निर्णय के आधार पर तहसील पंचायत आदि बनावेंगे उस समय यह निर्णय लेना होगा कि अब क्या करें । इसलिये यदि बलवन्तराय कमेटी की रिपोर्ट को पहले ही देखा जाता तो इस प्रकार का झगड़ा भविष्य में उपस्थित होने वाला है, वह नहीं होता । लेकिन अभी जो कुछ हुआ है उस स्थिति में हमें क्या करना है ? इस स्थिति में ८ हजार के संशोधन को हमने माना तो यह तर्कसंगत बात होगी इसलिये कि शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन में अन्तर होता है । शहर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और शहरों की कुछ समस्याएं होती हैं वे गांवों में नहीं होती हैं । इन सारी चीजों को अलग करने की बात है । इसलिए ८ हजार से ज्यादा की आबादी हो वहां पर म्युनिसिपेलिटीज कायम करें और नीचे की आबादी के लिये पंचायत । इसलिए जो संशोधन आया है मैं उसका समर्थन करता हूं और पुनः माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन सिफारिशों के आधार पर व्यवस्था करें ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : सभापति महोदय, क्लॉज़ ५ पर श्री नारायणसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसके विपक्ष में मैं बोल रहा हूं । सभापति महोदय, मैंने इतनी देर संशोधन के पक्ष में बोलने वाले माननीय

(श्री गिरधारीलाल)

सदस्यों ने जो दलीलें दीं उनको सुना और उन दलीलों को सुनने के बाद में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि माननीय सदस्यों ने यह संशोधन रखा है और इसे मानने के लिये सरकार से इसलिये कहा है कि इससे ५ हजार से ऊपर के जितने भी......

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सभापति महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि सदन का कोरम टूट रहा है।

(कोरम-घंटी)

श्री गिरधारीलाल : पंचायतें हैं....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अभी भी कोरम पूरा नहीं हुआ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: कोरम पूरा हो गया।

श्री सभापति : जारी रखिये।

श्री गिरधारीलाल :(जारी) तो सभापति महोदय, मैंने दो तरह के रीजन्स बताये कि इससे छोटे छोटे कस्बे हैं उनसे आज दिन ब्लॉक्स खोले जाते हैं, उनमें गवर्नमेंट की ओर से पैसा मिलता है और वह पैसा शहरों में नहीं लगाया जाता। इससे गांवों की उन्नति होती है और शहरों की उन्नति नहीं होती है। सभापति महोदय, अब हमें यह सोचना होगा कि ब्लॉक्स में जो आर्थिक सहायता गांवों को मिलती है वह किस तरह की होती है। वह दो तरह की होती है। पहले तो ब्लाक्स की ओर से गांव वालों को बीज दिये जाते हैं, हल दिये जाते हैं, बैल और ऊंट खरीदने के लिये पैसे दिये जाते हैं। यह अनाज के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सहायता दी जाती है। दूसरी सहायता ब्लॉक्स के ज़रिये निर्माण समिति को दी जाती है। सभापति महोदय, जहां तक मैं समझता हूं दो तरह की सहायता दी जाती है। एक तो खेती संबन्धी, जिसकी शहर वालों को मैं समझता हूं कि कोई आवश्यकता नहीं है, इसका कारण यही है कि शहर के लोग या तो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या किसी मिल में काम करते हैं। या वे लोग सेठ साहूकार हैं या कोई व्यापारी हैं तो इन लोगों को न तो हल की जरूरत होती है, न बीज की जरूरत होती है और न किसी और चीज की जरूरत होती है, जो खेती से संबन्ध रखती हैं।

सभापति महोदय, दूसरी तरह की सहायता होती है उसको हम कह सकते हैं कि निर्माण समिति सहायता। वह मैं समझता हूँ कि आज दिन भी शहर में जो सहायता मिलती है और गांवों में जो ब्लॉक में सहायता मिलती है उससे ज्यादा हैं। शहरों में ज्यादा फेसिलिटीज दी जाती है और गांवों में बहुत कम। जिस समय गांव में स्कूल बनती है उस समय आधा पैसा गांव वालों को देना पड़ता है, चाहे वह मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल बनती हो या अन्य किसी प्रकार की बिल्डिंग बनती है, तो आधे पैसे देने पड़ते हैं, जबकि शहरों में म्युनिसिपल एरिया में सारी बिल्डिंग्ज गवर्नमेंट के पैसे से बनाई जाती हैं। सभापति महोदय, यह कोई रिजनेबल बात नहीं है कि इससे छोटे छोटे कस्बों की आर्थिक उन्नति होगी।

दूसरी बात यह कही जाती है कि पंचायतों को जुडिशियल पॉवर्स हैं जबकि म्युनिसिपेलिटीज को जूडिशियल पॉवर्स नहीं हैं। जहां तक पंचायतों के जूडिशियल पॉवर्स का प्रश्न है, उनको यह पॉवर्स मिले हैं। लेकिन जिस समय इस प्रकार के पॉवर्स देने का प्रश्न

(श्री गिरधारीलाल)

करते हैं तो हमें अपना ध्यान उस ओर ले जाना होगा कि हमारे गांवों में बहुत समय से ही, जिस समय पंचायतें नहीं बनी थीं, उस समय से एक न्याय व्यवस्था रही है कि छोटे छोटे जुर्मों में आज तक गांव वाले थाने में या अदालत में जाना पसन्द नहीं करते। आपस में ही बैठ कर वे फैसला करते है। पंचायतें तो अब स्थापित हुई हैं मगर इस प्रकार की पहले भी व्यवस्था थी। इसलिए मैं समझता हूं कि गांव वालों को इससे जूडिशियल पॉवर्स मिल जाते हैं यह कहना उचित नहीं है। वे लोग पहले भी उनको काम में लेते थे, पहले इस तरह से अधिकार के रूप में पॉवर को काम में नहीं लेते थे। छोटे छोटे कस्बों में जो लोग हैं वे या तो मजदूर हैं या कोई व्यापारी हैं और उनके स्वार्थ अलग अलग हैं जो आपस में टकराते है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कस्बों में पंचायतें होंगी तो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा वह वहां का सरपंच होगा और इससे गरीबों को नुकसान रहेगा। क्योंकि जो सद्भावना गांवों के अन्दर है, वह उसमें नहीं है और न होने के कारण मैं समझता हूं जूडिशियल पॉवर देना उचित नहीं है। सभापति महोदय, इस तरह एक दूसरी दृष्टि के रूप में हमें देखना चाहिये और वह है प्रशासनिक दृष्टि। पांच हजार से ऊपर की जन संख्या पर म्युनिसिपेलिटी बनाना चाहते हैं तो आज तक जो म्युनिसिपेलिटियां बनी हुई हैं, कुछ हैं वे रह जावेंगी, और बाकी को भंग करना पड़ेगा और उनकी जगह पंचायतें बनानी पड़ेंगी। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह प्रशासनिक दृष्टि से हमारे लिये ज्यादा खर्चीला पड़ेगा। आज गांव २ के अन्दर और शहरों में बार बार चुनाव होते हैं, मैं उसको उचित नहीं समझता क्योंकि उससे उनका स्थायित्व नहीं रहता। बार बार चुनाव आते हैं और उससे लोगों में एक प्रकार की दलबन्दी की भावना बढती है और यदि प्रशासनिक दृष्टि से इसको देखें तो म्युनिसिपेलिटीज़ को भंग करके उनकी जगह पंचायतें बनानी पड़ेंगी जिससे लाखों रुपया खर्च हो जावेगा और पंचायत एक्ट की वर्तमान धाराओं में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ कि जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की दलीलें दी हैं, उससे तो अहित हो सकता है मैं अपना आसन ग्रहण करते हुए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर प्रकाश डालें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री): सभापति महोदय, इस धारा पर पिछले सत्र में भी और आज भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और इस सम्बन्ध में बहुत से अमेन्डमेन्ट्स मूव किये हैं। एक अमेन्डमेन्ट यह है कि पांच हजार के बजाय आठ हजार के कस्बों में म्युनिसिपेलिटी हो और दूसरा सुझाव है कि ६ हजार की आबादी हो और ११ हजार की आबादी पर हो। इसके अलावा दूसरा सुझाव यह भी है कि दो मील के बजाय १ मील का एरिया रखा जावे और साथ ही साथ क्लॉज ५ (१) के ए.बी. में भी संशोधन है कि ग्रूप्स ऑफ विलेजेज और नेबरिंग विलेजेज शब्दों को हटा दिया जावे।

सबसे पहले तो प्रश्न यह है कि म्युनिसपेलिटी या पंचायत कितनी आबादी के कस्बे या शहर में होनी चाहिये। पहले तो आम तौर से इस बात की मांग होती थी कि

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

हमारे यहां नगरपालिकायें ज्यादा से ज्यादा तादाद में होनी चाहिये और छोटे छोटे कस्बे इसलिए मांग करते थे कि उनको राज्य सरकार से सफाई के लिए जो सहायता मिलती थी, वह मिला करे। जब से रूरल एरियाज़ में कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के काम शुरू हुए हैं और उन कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के कामों मे म्युनिसिपल एरियाज़ को आम तौर से एक्सक्ल्यूड कर दिया गया है, उनको सहायता नहीं मिलती, उनका रिप्रेजेन्टेशन नहीं होता, जहां पर देहाती इलाका है और जहां पहले से ही म्युनिसिपेलटियां चलती आ रही हैं, उनकी ओर से मांग चली आ रही है कि म्युनिसिपेलिटीज़ के बजाय पंचायतें होनी चाहिये। एक ओर तो पंचायतें बन गई हैं और आज हमें यह मानना पड़ेगा कि पंचायतों को म्युनिसिपेलिटी से ज्यादा सहूलियतें हैं, उनको जूडिशियल अख्तियरात हैं, इसलिए म्युनिसिपेलिटी वाले भी कहते हैं कि उनको भी वे अधिकार मिलने चाहिये। रूरल एरियाज़ में कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के कारण अधिक सहूलियतें प्राप्त हुई हैं, इसलिए, यह नया ट्रेन्ड चला है जिससे आम तौर से जो कस्बे हैं, तहसीलों के बीच में आ गये हैं, उनकी मांग है कि उनको पंचयतों में मिला दिया जाय ताकि उनको जो सफाई आदि की सहूलियतें सरकार से पहले से ही मिली हुई है और कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में जो गवर्नमेन्ट की ओर से सहायता मिली है वह भी मिलती रहे।

उसके बाद मेहता कमेटी की रिपोर्ट आयी और उसमें यह सिफारिश की गई है कि दो हजार से कम की आबादी के कस्बों को म्युनिसिपल एरियाज़ बना देने चाहिये। यह पॉलिसी है कि देहाती हल्कों में पंचायतें होनी चाहिये। इस समय सारे राजस्थान में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पंचायतें या म्युनिसिपेलिटियें न हों। मेहता कमेटी द्वारा जो सवाल पैदा हुआ है, मैं आपको सूचित करूंगा कि अभी तक किसी प्रान्त ने ऐसा निर्णय नहीं लिया है कि दो हजार की आबादी के एरिया में म्युनिसिपेलिटी हो। सिर्फ पंजाब में ही यह निर्णय लिया गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को तोड़कर जिला परिषदें बना देना चहिये। इसके लिए एक इन्टरिम बिल आया था और अब फाइनल बिल आया है। राजस्थान में भी एक कमेटी बना रखी है जिसकी रिपोर्ट का इन्तजार है। देहाती इलाकों की आबादी कम है और उनकी इन्कम भी कम है। म्युनिसिपेलिटी और पंचायत में यह फर्क है कि म्युनिसिपेलिटी में ज्यादा हिसाब रखना पड़ाता है। कर्मचारी भी ज्यादा रखने पड़ते हैं, उनको टैक्स भी ज्यादा लगाना पड़ता है। पंचायत में एक क्लर्क और एक चपरासी रख कर ही काम करा लेते हैं। म्युनिसिपेलिटी में एक्जीक्युटिव ऑफिसर रखना पड़ता है, मेहतर वगैरह भी रखने पड़ते हैं और उनको पे करने के लिए टैक्स भी लगाने पड़ते हैं और टैक्सों की वजह से आम तौर पर हड़तालें होती रहती हैं, कई प्रकार की अड़चने आती हैं, टैक्स लगाते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। आज ही पिलानी का डेपुटेशन मिला और कहा कि इस प्रकार से म्युनिसिपेलिटी ने टैक्स लगा दिया।

इन सब बातों को देख ते हुए यह उत्तम होगा कि ८ हजार से कम इलाकों के कस्बे हैं वहां म्युनिसिपेलिटी हो और बाकी के इलाकों में पंचायतें बन जांय। सरकार म्युनिसिपेलिटियां को भी एक आना रुपया सहायता के रूप में देती है। लोगों को न्याय सस्ता मिल सकेगा और कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स से एक्सक्ल्यूड कर दिया

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

उनको भी मिल सकेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि आठ हजार की आबादी का जो अमेंडमेंन्ट है वह हमें मान लेना चाहिये। यदि एक मील के इलाके की दूरी का जो संशोधन है, उसको भी मान लें तो कोई अत्युक्ति नहीं है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो ६ हजार और १० हजार की जनसंख्या के सम्बन्ध में अमेन्डमेन्ट्स हैं उनको वापिस ले लेने के लिए मैं उन माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि जिन्होंने इनको मूव किया है। यदि १० हजार की आबादी का संशोधन स्वीकार किया जाता है तो फिर १५३ में से ५६ म्युनिसिपेलिटियां ही रह जावेंगी और ६४ समाप्त हो जावेंगी। ११ हजार की आबादी होने पर ४० रह जावेंगी। इसलिए म्युनिसिपेलिटियों को भी इससे काफी दिक्कतें हो जावेंगी। राजस्थान में चार नगर ही ऐसे हैं जो चालीस हजार की ऊपर की आबादी के हैं।

पचास हजार तक की आबादी के करीब ६ या ७ होंगे। इसलिये मेरे ख्याल से सब से ठीक बात यह है कि आठ हजार तक के कस्बे में म्युनिसिपेलिटी हो।

एक बीकानेर से आये हुए माननीय सदस्य ने भी बताया कि उनके यहाँ कस्बे तो छोटे हैं मगर उनकी आमदनी इतनी है कि वे आसानी से म्युनिसिपेलिटी का संचालन कर सकते हैं। वहां व्यापार ज्यादा होता है इस कारण आमदनी भी अच्छी होती है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिन कस्बों की आमदनी काफी है उन कस्बों के लिये प्रावधान है। यहां तक देखने में आया है कि गंगानगर में ऐसे कस्बे हैं जहां की आबादी तो केवल पांच हजार की है किन्तु आमदनी डेढ़ लाख के करीब, है उनको हटाने का प्रावधान नहीं है। जो मंडियां हैं उनको हटाने का विचार नहीं वे, बदस्तूर कायम रहेंगी।

इसके अतिरिक्त जो अमेन्डमेन्ट 'ए' और 'बी' मे रखा गया हैं मैं समझता हूं, विलेजेज में जो म्युनिसिपेलिटियां बनी हुई हैं, अब तो उनको कम करने की बातें हो रही है इसलिये यह जो प्रोविजन रखा गया है उसमें नुकसान नहीं है। उनको बदस्तूर रखी जाय तो कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से दो अमेन्डमेन्ट तो मैं स्वीकार करता हूं और बाकी के जो अमेन्डमेन्ट हैं उनको माननीय सदस्य वापिस लेने का कष्ट करेंगे।

श्री अर्जुनदास : Does the Hon' ble Minister suggests 8 thousand population, of one area or of atleast one town in that area be comprised in that municipality.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो 'ए', 'बी' से स्पष्ट है, नये बनाने की बात नहीं। जो बनाये हुए हैं उसमें कमी होने की बात हो रही है। नई बनाने की बात 'ए' और 'बी' से कवर हो जायगी।

श्री सभापति : Eight thousand of the whole Municipal area...

श्री अर्जुनदास : Whether the maximum population of the whole town may be two thousand only ?

श्री सभापति : May be.

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय सभापति महोदय, मुझे अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

Page No.66

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि डॉ० बहादुरसिंह को उनका प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री पी० के० चौधरी को अपना प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my motion.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन राव नारायणसिंह और डॉ० चन्द्रकला ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डॉ० चन्द्रकला के दो अमेन्डमेन्ट हैं। एक तो एक मील का और दूसरा ६ हज़ार का। इसमें से एक मील का तो स्वीकार कर लिया गया, दूसरा वोटिंग के लिए रखा जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि डॉ० चन्द्रकला का जो ६ हजार की आबादी का संशोधन है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५, संशोधित रूप से स्वीकार, किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ६, श्री पी० के० चौधरी।

You are moving your amendment.

श्री पी० के० चौधरी : I will move only one amendment.

श्री सभापति : I would request you not to take much time.

श्री पी० के० चौधरी : I am moving my amendment No. 2 in sub-clause (2) of Clause 6 which reads as :

"No notification under Section 4 shall be issued by the state Government, unless the objections, if any, so submitted are, in its opinion, insufficient or invalid."

My amendment is that the words 'rejected after holding an on the sport enquiry and hearing the parties concerned' be substitured in place of the words 'in its opinion in-sufficient or invalid.'

सभापति महोदय, यह जो सब-क्लॉज़ (२) है इसमें, "No notification shall be issued by the State Government unless the objections if any so submitted are, in its opinion insufficient or

(श्री पी० के० चौधरी)

invalid.' यानी किसी का ऑब्जेक्शन आजाय, उसके बाद उस पार्टी को कोई सुनने का मौका न देकर without giving him a right of hearing.........मर्जी चाहे उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट करने के लिए चाहे उसके पास साउन्ड रीज़निंग हो या न हो, इस क्लॉज़ के अन्दर में स्टेट गवर्नमेंट इन वेलिड करार देकर ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकती है। मैंने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसके अनुसार रिजेक्ट तो स्टेट गवर्नमेन्ट कर सकती है लेकिन उस पार्टी को बुलाकर उसकी बात सुनने के बाद। अक्सर यह हो जाता है कि ऑब्जेक्शन होते हैं, उसके लिए आम तौर पर लोग इस ढंग से प्रूफ ऑग्युमेन्ट दे नहीं सकते या पेश नहीं कर पाते। बहुत-सी बार ऐसा होता है कि लिखित रूप में भी दे नहीं पाते, वे अपने भाव लिखित रूप में भी ज़ाहिर नहीं कर पाते। इसलिये मेरा संशोधन यह था कि रिजेक्ट करने का तो अधिकार स्टेट गवर्नमेन्ट को रहे किन्तु कम से कम जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, उनको बुलाकर उनकी बात सुनने के बाद रिजेक्ट किया जाय न कि सिर्फ अर्जी पढ़कर ही इनवेलिड करार दे दिया जाय।

इसमें दो बातें हो सकती हैं आखिर में लोग-बाग मिलकर ऑब्जेक्शन उठायेंगे वे लोग अपना केस राइटिंग में पुट-अप नहीं कर पाते। ऐसा है कि हरेक व्यक्ति रिप्रेजेन्टेशन पूरी तरह से लिख नहीं पाता, वैसी हालत में आप रिजेक्ट कर सकते हैं।

दूसरी बात यह होगी कि कभी कभी एग्जीक्युटिव अपनी मर्जी के माफिक कर देती है, किसी प्रकार के ग्राउन्ड्स या मेरिट में न जाकर इनवेलिड करार देकर नोटीफिकेशन इश्यू कर सकती है। मैंने संशोधन में रखा है, एग्जीक्यूटिव को ऑथोरिटी रहेगी रिजेक्ट करने की, सुनवाई करके। आखिर कोई एक व्यक्ति तो ऑब्जेक्शन करेगा नहीं, उसमें पर्टिक्यूलर एरिया की बात होगी, वहां पब्लिक की तरफ से ऑब्जेक्शन होगा, यह जिस गांव की तरफ से या जिन नुमाइन्दों का रिप्रेजेन्टेशन हो उनकी बातें सुनकर उसके बाद उसको इनवेलिड करार दे दिया जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी पश्चिम) : Mr. Chairman, Sir, I believe, the phraseology used in this sub-clause is certainly bad but the amendment suggested by the Hon'ble member from Phulera would also not be sufficient. There is one little difficulty. Suppose, the Government after taking those objections into consideration feels like amending the first notification, would it be necessary to issue a fresh notification? If we keep the phraseology as it stands today, the Government will have to issue a proclamation, otherwise it will be absolutely bad in the law. Therefore, my submission is that we should have such a phraseology by which the Government may make a modification for rejecting through the objections and going if any......

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सभापति महोदय, कोरम आज भी पूरा नहीं है, कोई व्यवस्था होनी चाहिये। शायद गांव वाले हैं इसलिये म्युनिसिपल बिल में रुचि नहीं होगी।

श्री सभापति : No such reflections please. But the Government should

(श्री सभापति)

take proper care otherwise there is no other option but to adjourn the House.

श्री अर्जनदास : That would be the difficulty as I was submitting that if the Government feels like that and if it wants to modify its own plan. Can they possibly do it ? I think they can't. I will, therefore, suggest that the following sub-clause (2) may be placed in place of the original sub-clause (2), I speak a bit slowly so that the Hon'ble minister incharge may take the verbatim. Shall I read out ?

"After taking the objections so submitted if any into consideration the State Government may issue a notification in section 4 in the terminology of the proclamation issued under section 1 or with such modifications there in as the State Government may deem fit in accordance with the objections so submitted."...

श्री सभापति : Is the Hon'ble Member moving an amendment ?

श्री अर्जुनदास : Yes, Sir, If you permit me.

श्री सभापति : No, I will not.

श्री अर्जुनदास : I would just read out this if the Hon'ble Minister has no objection.

श्री सभापति : Either you oppose the motion moved by Shri P. K Chaudhary or you oppose the whole Clause.

श्री अर्जुनदास : I was suggesting..

श्री सभापति : It would have been proper if you could have felt its necessity before...

श्री अर्जुनदास : Therefore, I was seeking permission.

श्री सभापति : No.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री): सभापति महोदय, जो अमेन्डमेन्ट इस क्लॉज पर रखा गया है उसके सम्बन्ध में यह कहा गया किमौके पर जांच करके और पार्टीज को सुनने के बाद जो ऐतराज हैं उनको यदि मन्जूर या नामन्जूर किया जावे तो इस प्रकार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह आवश्यक नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि जब गवर्नमेंट आवश्यक समझती है तो पब्लिक की डिमान्ड होने पर करती है। दूसरी बात, नोटिफाई कर देती है सरकार तो, उस पर हरएक ऐतराज कर सकता है। उन ऐतराज पर कलेक्टर वगैरह से हम राय मांगते हैं और उस पर भी अगर हमने आवश्यक समझा तो उन व्यक्तियों को चुन लेते हैं। तो यह व्यवस्था ठीक है। अगर ऐसा नहीं किया और पब्लिक पर छोड़ दिया तो गांवों में पार्टीबाजी फैल जावेगी, और मौके पर फैसला करना मुमकिन नहीं हो सकेगा, मारपीट और झगड़े का बराबर अन्देशा रहेगा। एक पार्टी शामिल होना चाहेगी तो दूसरी नहीं होगी। तो मुश्किल हो जावेगी।

इसके अलावा पर्सनली आकर लोग मुझसे मिलते भी थे और अब भी मिलते हैं

Page No.69

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

और वे सारी बातें जो माननीय सदस्य ठीक समझते हैं होती भी हैं। तो यह भी रास्ता है। फिर कानून में इसको शामिल करने से लाभ नहीं होगा। इसलिये, मैं निवेदन करूंगा कि इसको वापिस कर लें।

श्री पी. के. चौधरी: I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री पी०के० चौधरी ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

क्लॉज़ेज़ ६, ७ व ८

(विराम)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ६, ७ और ८ स्वीकार किये जावें।

श्री श्रीमानसिंह: आठ पर तो, चेयरमैन महोदय, हम बोलेंगे।

श्री सभापति : All right। प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ६ और ७ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ६ और ७ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ ८

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): सभापति महोदय, इसके सम्बन्ध में पहले डेफीनिशन में विवाद कर रहे थे उस समय कौंसिल और म्युनिसिपेलिटी वाली धारा को डेफर किया गया था। तो या तो मन्त्री महोदय दोनों को साथ लेकर डेफर करने को तैयार हों तो मुझे निवेदन करना है कि इसे डेफर कर दिया जावे।

अब आपने कॉर्पोरेशन स्थापित करने की बात कही। पांच लाख की आबादी का एक भी स्थान यहां नहीं है। यदि कहीं फिर आपको करना है तो जैसे राजधानी जयपुर है या हाई कोर्ट का स्थान जोधपुर है या बहुत अच्छा नगर अजमेर है तो यह कॉर्पोरेशन स्थापित वहां कर दें।

अब म्युनिसिपैलिटी में और कॉर्पोरेशन के अधिकारों में आपने कोई अन्तर नहीं रक्खा। टैक्स वसूल करने के अधिकार एक से हैं। उसी प्रकार चुनाव होगा, तो जब दोनों में किसी बात में कोई अन्तर नहीं, उस स्थिति में केवल कुछ स्थानों के लोगों को प्रसन्न करने के लिये कि वे अपने को कौंसिलर कहलावें, इस विधेयक में कौंसिल और म्युनिसिपल का प्रोवीजन रखा गया है।

२. ४५ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ऐसी स्थिति में, मैं समझता हूं, कि यह विधेयक किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अकारण ही यह शहरों में भेद उत्पन्न करेगा। कोई अपने को छोटा और कोई बड़ा समझे इस तरह का नाहक में भेद-भाव की भावना पैदा करेगा और इससे कोई शहरों का विकास होता हो सो भी सम्भव नहीं। इस कारण मेरा यह निवेदन है कि ऐसा कौनसा कारण है कि एक स्थान पर कौंसिल स्थापित करें और दूसरे पर म्युनिसिपैलिटी। अतः मैं

Page No.70

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

निवेदन करूंगा कि या तो आप इस क्लॉज को डेफर कर दें, नहीं तो मैं इसका विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इसको विलोपित कर दिया जाय ।

श्री श्रीभानसिंह :(मिनिस्टर इन्चार्ज से) डेफर कर दें क्या ?

श्री भैरोंसिंह : आपने कौंसिलर की डेफीनेशन को डेफर किया है तो इसको भी डेफर कर दें तो उचित ही होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : By implications it is to be deferred. Hence it is defered

श्री भैरोंसिंह : Nine also

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : Clause 9 is also to be deferred.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : Yes

श्री उपाध्यक्ष : Clause 9 is also deferred.

(विराम)

We now come to Clause 10.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मेरा संशोधन है इस पर । वह इस प्रकार है कि इसकी टर्म को तीन साल कर दिया जावे और इसका जो एक्सटेन्शन है, एक साल के बजाय छः महीनेकर दिया जावे ।

इस प्रकार का संशोधन है । यह इसलिये है कि हम देखते हैं कि नगरपालिकाएं जहां कि......

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Bahadur Singh, let me follow the order of the list Shri Badri Prasad Gupta is to move his amendment first.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो मूव मैं कर दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट है कि : "In sub-clause (2) after the word 'first meeting' insert 'of the newly constituted Board." यह इसमें इन्सर्ट कर दिया जावे ।

यह 'ए' लैंग्वेज का करेक्शन है और मैं समझता हूं कि इसको मानने में सदन को आपत्ति नहीं होगी ।

श्री भैरोंसिंह : मन्जूर करते हैं, आपका अमेन्डमेन्ट ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भटनागर ।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १० में मेरे दो संशोधन हैं । एक तो मूल धारा के अन्दर जहाँ पर "Except as provided in section 291, every Board shall continue for four years......" यह आता है, तो यहां पर substitute the word 'three' for the word 'four'. कर दिया जाय । और दूसरा यह है :

"Insert the word 'for reasons which shall also be published along with the order' between the words

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

'time to time' and 'so however' occuring in the proviso to sub-clause (1)." फोर ईयर्स.के बजाय तीन साल कर दिया जावे।

जो समय इस विधेयक में दिया गया है वह ज्यादा है, क्योंकि छोटे-छोटे स्थानों पर म्युनिसिपेलिटियों में इस प्रकार का अनुभव आता है कि एग्ज़ीक्यूटिव वर्क में कई प्रकार के विवाद हो जाते हैं। अधिकतर उनका एग्ज़ीक्यूटिव काम होता है। और उस स्थान पर इस कार्य को अगर लम्बा कर दिया जायेगा, क्योंकि उनको कोई योजना बनानी तो है नहीं कि पंचवर्षीय योजना या चार वर्ष की योजना का पीरियड दिया जाये तो तीन साल का समय न तो कम है और न अधिक है। अभी तक जो तीन साल का समय रखा गया, उसके लिए आज तक किसी को कोई शिकायत नहीं हुई.कि क्यों यह समय है और क्यों समय बढ़ा दिया। आज हम दूसरे प्रान्तों को भी लें। बम्बई प्रान्त के अन्दर भी वहां की म्युनिसिपेलिटीज़ का समय तीन साल का है। तो इन सारी बातों को देखते हुए मेरा संशोधन है कि इस समय को तीन साल का कर दिया जाये।

अब इसका जो एक प्रोविजो है, वह इस प्रकार है :

"Provided that the State Government may, by order published in the official Gazette, extend the term of a board from time to time so however that the total extension does not in the aggregate exceed six months."

इसके अन्दर मैंने इस प्रकार का संशोधन रखा है :

"Insert the words 'for reasons which shall also be published along with the order"

आजकल जो समय बढ़ाया जाता है वह अक्सर इसलिए बढ़ाया जाता है कि चुनावों की व्यवस्था पूरी नहीं हो सकी इसलिए समय बढ़ाया गया। सीकर नगरपालिका का एक जगह एक केस हो गया और उसमें ऐसा आया कि नगरपालिका के अधिकारी ने ऑर्डर दिया था और वह इल्लीगल होता था और वह इल्लीगल इसलिए होता था कि उस ऑर्डर का गजट नोटीफिकेशन नहीं करवाया और उसमें कमिश्नर साहब तक पेशी पड़ी तो उन्होंने कहा कि इसको हम वेलिड नहीं मानते और नगरपालिका बदल गई। फिर एक्सटेन्शन का नोटिफिकेशन करवाया। तो कारण क्या था कि वहां के सदस्यों ने यहां सरकार को बताया कि सत्तारूढ़ दल के व्यक्ति नहीं जीत पायेंगे। इसलिए वे दौड़े-दौड़े राज्य सरकार के पास आये और कहा कि हमारा समय बढ़ा दें और समय बढ़ा दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्युशन्स बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में फंक्शन करें, इसलिए जो कुछ हम करते हैं वह स्पष्ट रूप से जनता के सामने आये कि इन-इन कारणों से हमने म्युनिसिपेलिटीज़ का समय बढ़ाया है। अक्सर म्युनिसिपेलिटीज़ ऐसा करती हैं। देखते हैं कि टाइम खत्म हो रहा है और वह देखते हैं कि हमें कुछ दिन और व्यवस्था जमानी है तो कुछ न कुछ अड़ंगे लगा देते हैं तो सरकार को भी सीधा बहाना मिल जाता है। कोई वास्तविक रीजन हो तो वह पब्लिक के सामने आयेगा कि इन कारणों से समय बढ़ा है। इसलिए गजट में यह भी पब्लिश किया जाये कि इन-इन कारणों से हम इसकी टाइम लिमिट बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार के दो संशोधन मेरे इस क्लॉज़ में हैं।

श्री उपाध्यक्ष: डॉ० बहादुरसिंह ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे इस क्लॉज़ में दो संशोधन हैं एक तो यह है कि बोर्ड में चार साल की जगह तीन साल कर दिये और छः महीने की जगह एक वर्ष कर दिया जाये। वह इसलिए है कि बोर्ड ३ साल के लिए काफी अच्छा फंक्शन कर सकती है और मान लीजिए कि कोई बोर्ड खराब है तो एक साल और उसका टाइम एक्स्टेन्ड करने से शहर की हालत खराब हो सकती है। इसलिए तीन साल बोर्ड के लिए पर्याप्त समय है और चार साल से और फिर ६ महीने से आपके जनरल इलेक्शन्स में भी गड़बड़ी हो सकती है और क्योंकि यह ४ से ४।। साल होगा, ६ महीने लेट नहीं होना पड़ेगा। तीन साल रहता है और एक साल बढ़ने का और छः महीने बढ़ने का समय दिया जाय तो पूरे एक साल से यह है कि सारी तैयारियां हो सकती हैं। अगर ऐसी स्थिति आ जाये कि ६ महीने के अन्दर जनरल इलेक्शन्स हों तो सरकार और बढ़ा सकती है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि राज्य सरकार पूरे एक साल बढ़ायेगी। लेकिन एक साल के अधिकार उनको मिलने चाहिए। इसलिए मेरा संशोधन है, वह काफी महत्वपूर्ण है आशा है, मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Mr. Dy. Speaker, Sir, I move the amendment, that in sub-clause (1) substitute the words 'three years' for the words 'four years', and in the proviso substitute words 'four months' for the words 'six months' occurring at the end of the proviso."

उपाध्यक्ष महोदय, जो चार साल से तीन साल करने के लिए सभी माननीय सदस्यों ने कहा है उसके सपोर्ट में ज्यादा रीजन्स देने की जरूरत भी नहीं है। सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोकल बॉडीज आम तौर पर सभी जगह पर और दूसरे देशों में भी उनको इतनी लांग टर्म नहीं दी जाती है। पांच साल तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, उनको दी जाती हैं। लोकल बॉडीज के लिये सभी जगह तीन साल का समय होता है। दूसरी बात, यह लोकल चुनाव होते हैं वह ज्यादातर लोकल इश्यूज पर म्युनिसिपल कोन्सिलर लोग लड़ते हैं और कम से कम हमारे यहां ऐसा नहीं है। लेकिन जो म्युनिसिपेलिटीज में चुनकर जाते हैं तो इसमें एक रेफरेन्डम होता है कि तीन साल बाद दुबारा लोगों के सामने जाकर वोट मांगते हैं। तो इसलिए वह ज्यादा अच्छी तरह से काम करते हैं। अगर लोंग टर्म रखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वह अपने वार्ड्स के लिए परवाह नहीं करते हैं और शायद यही वजह है कि सभी जगह पर जहां-जहां लोकल बॉडीज हैं वहां सभी जगह तीन साल का समय है। मेरी समझ में नहीं आता कि हम वहां से डिपार्चर क्यों करें; हमें भी तीन साल के लिए समय रखना चाहिये।

जहां तक एक्सटेन्शन का सवाल है वहां मैं जिक्र करता हूं। ६ महीने के लिए भी सरकार कई बार ऐसा करती है और हम देखते हैं कि ६-६ महीने का टाइम एक्सटेन्ड कर दिया जाता है। एक्सटेन्शन जितना कम हो उतना ही अच्छा है। ऐसी कोई विशेष परिस्थिति हो जाये तो एक्सटेन्शन दिया जाना चाहिये और वह भी मैं समझता हूं कि कम से कम समय के लिये एक्स्टेन्शन दिया जाना चाहिए जो पब्लिक लाइफ में हमें प्रायोरिटी रखनी है या पब्लिक लाइफ को एक डेमोक्रेटिक तरीके से चलाना चाहते हैं तो एक्सटेन्शन का मामला बिल्कुल नहीं होना चाहिये।

(श्री पी० के० चौधरी)

हम कभी अपने लेजिस्लेशन की लाइफ नहीं बढाते हैं, पार्लियामेंट की लाइफ नहीं बढ़ाते हैं और अगर कभी लाइफ बढ़ाई जाती है तो वह इस बात का द्योतक होता है कि देश की अच्छी हालत नहीं है या देश के सामने कोई वार परिस्थित खड़ी हो गई जिसके लिए टाइम एक्सटेण्ड करते हैं।

३ म० प०

दूसरी किसी भी कन्डीशन में हमने किसी भी लेजिस्लेचर का लाइफ या पार्लियामेंट का लाइफ नहीं बढ़ाया है। तो मैं यह नहीं समझता हूँ कि म्युनिसिपेलिटीज़ की लाइफ बढ़ाने की क्यों जरूरत है? एक्स्टेन्ड करने का हो और जरूरत हो भी तो मेरे खयाल से कम से कम वह एक्स्टेन्शन होना चाहिए। इसलिए मैंने जो अमेन्डमेन्ट रखा है कि ६ महीने का टाइम ज्यादा है वह कम से कम ५ महीने का हो। इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए और वह भी सिर्फ इसी लिहाज से हो कि वोटर्स की लिस्ट है म्युनिसिपेलिटीज़ की वह जनरल इलेक्शन की लिस्ट के अनुसार बनती है, तो ऐसे विशेष कारण से वोटर्स की लिस्ट बनाने के लिए कोई देरी हो सकती है, तो उसी बिना पर एक्स्टेन्शन किया जाय न कि कोई भी एक रीज़न देकर उसको एक्स्टेन्ड कर दिया जाय। एक्स्टेन्शन के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। इसलिए ड्यूरेशन जो है, उसको कम से कम करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Shri P. K. Choudhari, you have one more amendment.

श्री पी० के० चौधरी : I don't want to move that.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Shri Bhairon Singh.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ में सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है, उसका विरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसमें व्यवस्था की है कि नगरपालिकाओं का समय समाप्त होने के बाद वह समय एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। उसका मतलब यह हुआ कि नगरपालिका की अवधि क्लॉज़ १० के अनुसार ४ वर्ष की निर्धारित है और एक साल की अवधि और बढ़ा दी जाय तो इसका मतलब यह हुआ कि एक नगरपालिका जिसका चुनाव ४ वर्ष के लिए हुआ था और बाद में सरकार ने एक्स्टेन्शन करके ५ वर्ष तक के लिए कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक समय का प्रश्न आता है, इसमें कोई विशेष आपत्ति होने वाली बात हो ऐसा नहीं लगता है। ३ वर्ष से ४ वर्ष का कर दिया जाय या ४ वर्ष से ५ वर्ष का कर दिया जाय, परन्तु जिस तरह से फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि नगरपालिका का चुनाव मोटे सिद्धान्तों के आधार पर नहीं होकर लोकल इशूज़ को सामने लेकर होता है और लोकल इशूज़ भी ऐसे होते हैं कि वह कोई पर्मानेन्ट नहीं बल्कि अधिकांश रूप में इस प्रकार के इशूज होते हैं कि जो टेम्प्रेरी होते हैं और पब्लिक को टेम्प्रेरी रिलीफ मिलने का उसमें आश्वासन होता है, लेकिन कई नगरपालिकाओं में इस व्यवस्था के कारण ऐसी भी परिस्थितियां पैदा

Page No.74

(श्री भैरोंसिंह)

हो जाती है कि कुछ व्यक्ति जो कि चुनकर जाते हैं, वे जाने के बाद में नगरपालिका के द्वारा नगर की सेवा नहीं करते हैं, बल्कि वे सेवा या तो स्वयं की करते हैं और नगरपालिका के फन्ड्स का बुरी तरह से मिसयूज़ करते हैं। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण बताऊं मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र का। श्रीमाधोपुर में एक नगरपालिका है। उसके ८ सदस्य हैं। आठों सदस्य चुने हुए हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। चुनाव भी उनका हुआ, लेकिन चुनाव होने के बाद में सब ने यह तय कर लिया कि एक-एक सदस्य बारी-बारी से एक-एक महीना चेयरमैन रहे। उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, माननीय मन्त्री को इसकी जानकारी भी है, हर महीने उस नगरपालिका का चेयरमैन बदलता है। एक चेयरमैन बदलता है उसके बाद दूसरा चेयरमैन होता है। सरकार ने म्युनिसिपेलिटीज़ का समय ३ वर्ष का निर्धारित कर रखा हैं, लेकिन अपनी अन्तरिम व्यवस्था के अनुसार महीना-महीना और डेढ़-डेढ़ महीना आठों के आठों सदस्य चेयरमैन होते हैं, चाहे कोई चेयरमैन होने काबिल हो या नहीं हो, चाहे पढ़ा हो या अनपढ़ हो, लेकिन वह होता है। उनमें झगड़ा नहीं होता हो ऐसी बात नहीं है। उनमें झगड़ा भी होता है, मुकदमेबाजी भी हो रही है। झगड़ा भी इस हद तक पहुंच गया है कि एक सदस्य ने एक चेयरमैन के दो लड़कों को ज़हर देकर मार डाला और वे मर गये। इस तरह से नगरपालिका के क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है। लोकल इशूज़ जिस तरह से आते हैं, जिनके कारण से लोगों के सेंन्टीमेन्ट्स को उकसाया जा सकता है और उनके सेन्टीमेन्ट्स को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। वैसी स्थिति के अन्दर छोटी-छोटी बातों के लिए प्रिकाशनरी मेज़र्स कानून के अन्दर लाने पड़ेंगे कि लोकल इशूज़ के बारे में जो अधिकार देते हैं उनका दुरुपयोग नहीं कर सकें।

सीकर की नगरपालिका ने अभी तक एक नुकसान भोगा है। बाकी की सारी म्युनिसिपेलिटीज़ के साथ सीकर नगरपालिका में वाटरवोर्ड की स्कीम मन्जूर करने के लिए १२ लाख रुपये मन्जूर हुए, लेकिन आगे चलकर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वर्तमान चेयरमैन नगरपालिका के जो हैं, उनके सम्बन्ध में न तो पब्लिक चाहती थी कि १२ लाख रुपये सरकार से लेकर इनके हाथ में दिये जायं और न सरकार भी दबी जबान से चाहती थी कि १२ लाख रुपये इनको दिये जायं और उन १२ लाख रुपयों का मिसयूज़ हो और १२ लाख रुपयों के लिये यद्यपि नगरपालिका के सदस्य चुनकर गये थे लेकिन उसमें न तो सरकार का उनमें विश्वास था और न जनता का। अब नगरपालिका दूसरी बनी है। मैंने सुना है कि सरकार ने योजना मंजूर कर ली है। उसका रुपया सरकार के द्वारा मिलने वाला है। ऐसी स्थिति में एक्स्टेन्ड करने की बात को केवल सिद्धान्त के आधार पर नहीं बल्कि प्रेक्टिकल आस्पेक्ट पर देखना पड़ेगा। शहरों में एग्जीक्यूटिव पॉवर्स देकर या किसी प्रकार के अन्य पॉवर्स देकर लोगों को नगरपालिका वर्क करने की सुविधा प्रदान करती है, वहां पर किसी प्रकार के अधिकारों का वे लोग दुरुपयोग नहीं करें। नगरपालिका का चुनाव होता है तो एक्स्टेन्शन के बिना जल्दी ही दुबारा चुनाव लड़ने का भय नहीं रहता है और इस तरह से स्वच्छन्दता का विचार करने बैठ जाते हैं कि ४ वर्ष तक तो कानूनन हमारी अवधि है और एक वर्ष की और अवधि मिल जायगी तो ५ वर्षों तक हम गांव के राजा बनकर रह सकते हैं

Page No.75

(श्री भैरोंसिंह)

और कोई हमारे काम में हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। यदि उनके दिमाग में यह रहता है कि तीन वर्ष के बाद में इलेक्टोरेट्स के सामने जाना है तो उन्होंने जितनी भी ज्यादतियां की हैं वे लोगों के दिमाग में ताजा रहेंगी और उनको भविष्य में वोट नहीं देंगे। इस तरह से जीतने के लोभ से या वोटों के न मिलने के भय से नगरपालिका में ठीक प्रकार से कार्यवाही करते हैं।

जहां तक एक्स्टेन्शन का प्रश्न आता है मैं समझता हूं कि हमारी सरकार को ज्यादे से ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए और इस ढंग से होना चाहिए कि जिस तरह से आजकल सरकार के खिलाफ शिकायतें रहती हैं कि सरकार एक्स्टेन्शन पोलोटिकल रीजन्स के आधार पर करती है। कोई ऐसे सरकम्स्टान्सेज सामने नहीं होते हैं, ऐसे सरकम्स्टान्सेज सामने नहीं आते हैं कि जिन सरकम्स्टान्सेज के कारण सरकार इलेक्शन नहीं करा सके। कुछ ऐसे सरकम्स्टान्सेज बनते हैं कि वोटर्स लिस्ट तैयार नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक ऑफिसर ने नगरपालिका के चुनाव के लिए तारीख नॉमीनेशन की निश्चित कर दी, लेकिन वे उस तारीख को वहां पर जाने वाले थे, कुछ लोगों ने उन्हें एप्रोच किया तो उन्होंने तार दे दिया कि बुखार हो रहा है। तो फिर दुबारा नॉमीनेशन के लिए तीन महीने लग गये, तारीख निश्चित करने में और गजट में पब्लिश करवाने में। इस कारण से उस नगरपालिका का एक्स्टेन्शन हुआ। तो जहां नॉमीनेशन फॉर्म भरने की तारीख निश्चित कर दी जाती है और एक ऑफिसर की बीमारी के कारण हमारी सरकार ने उसको एक्स्टेन्शन दे दिया है, चाहे वह मजबूरी से किया हो, वह दूसरी बात है, लेकिन प्रश्न मोटा सा यह आता है कि तीन वर्ष के समय के अन्दर निश्चित रूप से इलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर वे निश्चित रूप से नहीं होते हैं तो कसूर व्यक्ति का नहीं, किसी का नहीं, बल्कि कसूर रहता है सरकार का। सरकार अपनी गलती के कारण या इनएफिशियेन्सी के कारण एक्स्टेन्शन का क्लॉज स्वीकार करवाती है तो मैं समझता हूं कि किसी प्रकार से उचित नहीं होगा।

अब ऐसी भी परिस्थितियां आ जायं कि चुनाव नहीं करवा सकते हों, इलेक्ट्रोरल रोल्स के अलावा अन्य परिस्थितियां आ जायं तो इस क्लॉज के अन्दर ६ महीने की व्यवस्था पहले से है वह काफी है। समय जो रखा है वह बिल्कुल पर्याप्त है। इसलिए माननीय बहादुरसिंहजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, एक वर्ष का ६ महीने के बजाय, उसका मैं विरोध करता हूं और सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने ४ वर्ष के बजाय ३ वर्ष करने का जो संशोधन किया था, उसका मैं समर्थन करता हूँ और साथ ही साथ माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी ने जो संशोधन पेश किया है वह वाजिब है और उसका भी मैं समर्थन करता हूं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : मिस्टर डिप्टी स्पीकर, सर, जो दो संशोधन माननीय सदस्यों ने पेश किये वह एक तो ४ वर्ष से तीन वर्ष करने और दूसरा एक्स्टेन्शन का; तो दूसरे को मैं सपोर्ट करता हूँ और ४ वर्ष से ३ वर्ष का जो संशोधन है उसका विरोध करता हूँ। यहां पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अभी जो किसी अमेंडमेंट का किसी धारा पर जो क्रिटीसिज्म करने का दृष्टिकोण अपनाया है वह कुछ अपने पर्सनल एक्स-

Page No.76

(श्री श्रीमानसिंह)

पीरिएन्स पर है। कुछ उनकी कॉन्स्टिट्युएन्सी के अन्दर म्युनिसिपेलिटीज का कुछ हो गया या उधर शेखावाटी या सीकर म्युनिसिपेलिटी का नॉमिनेशन एक्सटेन्ड हो गया।

श्री भैरोंसिह : मुझे पहले पता होता तो भरतपुर के बारे में भी बता देता।

श्री श्रीमानसिंह : इस पर्टिक्युलर इन्सटान्स को लेकर इस म्युनिसिपिल बिल को क्रिटिसाइज़ करते हैं। चार साल के पीरियड को आप क्रिटिसाइज़ करते हैं। टर्म लोकल बॉडीज के लिये रखा जाता है वह टर्म चार साल का हो या तीन साल का हो या पांच साल का हो उसके पीछे कोई आर्ग्युमेन्ट होना चाहिये। आप तीन साल का पीरियड क्यों चाहते हैं और चार साल का पीरियड क्यों खराब है? पीरियड जो रखा जाता है लोकल बॉडीज़ के लिये वह यह होना चाहिये कि लोकल बॉडीज की जो नीड वगैरह हैं या उसको जो फंक्शन्स और रेस्पोन्सिबिलीटीज़ दे रखी हैं उनके लिये इतना पीरियड उनके पास होना चाहिये कि उन रेस्पोन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर सकें, अच्छी तरह से, एफिशियेन्टली, अपनी रेस्पोन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज कर सकें। पहला आॅग्युमेन्ट तो यह है।

दूसरा आर्ग्युमेन्ट यह है कि उसका पीरियड इतना लम्बा नहीं हो कि जो रिप्रेजेन्टेटिव के रूप में जनता को जो कुछ कहकर आये हैं उनको वे भूल जावें और अपने आप को सिक्योर फील करने लग जायं। रिप्रेजेन्टेटिव बॉडी एब्सोलीट बॉडी कहलाने लगे। इसलिये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। उनका पीरियड न तो इतना लम्बा होना चाहिये जिससे उनका पीपुल्स से कनेक्शन न रहे और न इतना शॉर्ट होना चाहिये कि वे अपनी रेस्पोन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल न कर सकें। उनको रेस्पोन्सिबिलिटीज़ ज्यादा दे दी हों और उनको वे इतने कम समय में एग्जीक्युट नहीं कर सकें। जब मेहता कमेटी ने पंचायत समितियों का टर्म पांच साल का रखा है और वह जब माननीय सदस्य के फायदे का होता है तब तो मेहता कमेटी को रेफर करते हैं जब पंचायत का टर्म पांच साल का रखा है तो लोकल बॉडीज या म्युनिसिपल बॉडीज का टर्म चार साल का क्यों नहीं रखा जाय? आजकल जो फंक्शन्स इन बॉडीज को दिये हैं उनको वे एफिशियेन्टली डिस्चार्ज कर सकें उतना समय तो कम से कम उनको देना चाहिये। उनको बहुत से फंक्शन्स दिये गये हैं, जैसे सेनिटेशन, पब्लिक-हैल्थ, सिटी इम्प्रूवमेन्ट, ड्रेनेज, वाटर फेसिलिटीज उन सबको वे अपने हाथ में लें इसके लिये कुछ तो उनको पीरियड आप देंगे। इलेक्शन होता है उसके साल भर बाद तो वे सैटल होते हैं। नोटिफिकेशन निकलता है, चेयरमैन का इलेक्शन होता है इसमें समय लग जाता है फिर उनके पास ढाई साल का पीरियड रहता है। और आखिर का ६ महीनों का पीरियड म्युनिसिपेलिटीज के वर्किंग का नहीं रह जाता है, क्योंकि इस पीरियड में इलेक्शन प्रिपेरेशन में लग जाते हैं, इलेक्टोरल रोल्स बनते है, वार्ड्स का डिमार्केशन होता है। इस तरह से उनको काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एक साल का समय मिलता है, यदि आप तीन साल का समय रखते हैं तो। यदि आप चार साल का समय रहने दें तो उनको कम से कम दो साल तो मिलेंगे वर्क करने के लिये और यह कहने के लिए कि हमने चार साल का पीरियड दिया है उसमें यह वर्क किया जायगा। जो लोकल बॉडीज़ हैं या जो रिप्रजेन्टेटिव बॉडीज़ हैं उनको थोड़ी स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी। यदि उनको स्टेबिलिटी नहीं देते है तो वह वर्क नहीं कर सकेंगे।

(श्री श्रीमानसिंह)

बहुत सी जगह ऐसा भी रखा जाता है कि उनके नये इलेक्शन नहीं कराये जाते उनको स्टेबिलिटी देने के लिये। सर्टेन पर्सेंटेज को रिटायर करते रहते हैं और सर्टेन पर्सेंटेज को नया ले आते हैं जिससे थोड़ी स्टेबिलिटी रहे प्लानिंग वगैरह के लिये और उसमें कन्टिन्युइशन रहे और काम को पूरा करने की गारंटी करते हैं और कुछ फ्रेश एलिमेन्ट्स ले आते हैं ताकि पीपल्स की नीड है उसको फ्रेश रखने के लिये। इस तरह से दोनों चीजों का समावेश किया जा रहा है। उधर आप कहते हैं कि थ्री ईयर्स रख दिये जांय। आज जब पंचायतों के लिये फाइव इयर्स रखते हैं तो प्लानिंग आदि का उत्तरदायित्व या रेस्पोन्सिबिलिटी है वह म्युनिसिपेलिटीज़ पर भी थोड़ी बहुत आती है। जब प्लानिंग आदि की रेस्पोन्सिबिलिटीज को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो उनको इसके लिये थोड़ा टाइम भी देना चाहिये। आपका प्लान पीरियड पांच साल का होता है तो फर्स्ट टू इयर्स में तो इन्वेस्टमेन्ट वगैरह होकर स्कीम आती है और लास्ट थ्री इयर्स में टेम्पो गेदर करते हैं। आप इसको लेजिस्लेचर के पीरियड से कोइन्साइड नहीं करें लेकिन कम से कम चार साल के लिये जब आप एक म्युनिसिपेलिटी को प्लान बनाने के लिये कहेंगे और दूसरी को एग्जीक्युट करने का रखेंगे तो यह ठीक नहीं रहेगा। चार साल का पीरियड रखेंगे तो किसी चीज को प्लान करने और उसको एग्जीक्युट करने में भी उसका हाथ रहेगा और दूसरी तभी टेक ओवर करेगी जब सेकन्ड प्लान का एग्जीक्युशन और फोरमेशन हाथ में लिया जायगा तब उसका भी एग्जीक्युशन और फोरमेशन में हाथ रहेगा। ये ही आर्ग्युमेन्टस पंचायतों के लिये मेहता कमेटी ने दिये हैं। जो अगर पांच साल का टर्म करेंगे तो यह रहेगा कि एक तो प्लानिंग की रेस्पोन्सिबिलिटी रहेगी और दूसरी रेस्पोन्सिबिलटी एग्जीक्युशन की रहेगी और जो फ्रेश आयेगी उस पर एग्जीक्यूशन और फोरमेशन दोनों ही तरह की रेस्पोन्सिबिलिटी रहेगी। इसलिये चार साल का पीरियड ठीक माना जा रहा है। इस पीरियड के रहने से यह नहीं होगा कि इसका रिप्रेजेन्टेटिव करेक्टर एब्सोलीट हो जायगा और वे जनता की नीडस को भूल जायेंगे। इसके अलावा यदि आप उनको चार साल देते हैं तो उनको टाइम देते हैं अपने फंक्शन्स को सेटिसफेक्टरिली डिस्चार्ज करने के लिये। इसलिये मैं चार साल के पीरियड को सपोर्ट करता हूं और उन्होंने जो अमेन्डमेन्ट तीन साल के पीरियड के लिये दिया है उसको ऑपोज़ करता हूं।

दूसरा अमेन्डमेन्ट जो १ साल के पीरियड का है उसकी सपोर्ट में इसलिये करता हूं कि जब लॉ बनाते हैं तो उसमें प्रोविजन ठीक तरह से रहना चाहिये इसलिये यह ठीक है कि सेकन्ड एक्सटेन्शन कुल साल भर का ग्रान्ट कर दिया जाय। इसके पोलिटिकल रीजन्स भी हो सकते हैं और पोलिटिकल रीजन्स क्यों नहीं होंगे ! कांग्रेस गवर्नमेन्ट पोलिटिकल पार्टी की है और कांग्रेस पार्टी को भी जीवित रहना है और आपकी पोलिटिकल पार्टी को भी जीवित रहना है इसलिये आपके क्रिटिसिज्म का भी पोलिटिकल एप्रोच है। पोलिटिकल तो बहुत सी चीजों में है लेकिन यदि इसमें पोलिटिक्स को छोड़ भी दें तो भी वन इयर की ईवेन्च्युलिटीज आ सकती हैं, कोई डेट जनरल इलेक्शन से कोइन्साइड हो सकती है। किसी म्युनिसिपेलिटी का पीरियड खत्म हो रहा है और बीच में जनरल इलेक्शन्स आ गये हैं तो क्या आप यह एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों इलेक्शन्स साथ ही हो जांय......

Page No.78

श्री अर्जुनदास : He is expressing two different views simultaneously.

श्री श्रीभानसिंह : Ajmer is a wonder State.

तो वहां पर बहुत सी जगह के इन्स्टान्सेज़ दिये । इस तरह के इन्स्टान्सेज़ आ सकते हैं जहां पर यह लाजमी हो जायगा that not the political reasons but other very grave and weighty administrative reasons; तो ६ महीने का पीरियड और बढ़ाना पड़े । ६ महिने का पीरियड एक्सटेन्ड करना पड़े उसका मतलब यह नहीं है कि साल भर तक एक्स्टेन्ड ही कर देंगे । साल भर का तो टोटल लिमिट है । इसमें सस्पेन्स और डाउट करने का एप्रोच ठीक नहीं रहेगा । जब पीरियड एक्स्टेन्ड करना लाजमी होगा तभी गवर्नमेन्ट पीरियड एक्स्टेन्ड करेगी । इसलिये जो वन इयर का संशोधन रखा है उसको मैं सपोर्ट करता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ बिल के क्लॉज़ १० में दो संशोधन प्रस्ताव सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखे हैं, उनमें से एक संशोधन प्रस्ताव है : "Clause 10 reads : 'Except as provided in Section 291, every Board shall continue for four years from the date of the first meeting thereof."

माननीय सदस्य ने 'चार साल' के स्थान पर 'तीन साल' का प्रस्ताव रखा है और दूसरे प्रस्ताव में : "Provided that the State Government may, by order published in the official Gazette, extend the term of a Board from time to time so however that the total extension does not in aggregate exceed six months." इस प्रोविज़ो में सीकर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है वह इस प्रकार है कि किसी भी म्युनिसिपल बोर्ड का समय जो कि चार साल का निर्धारित किया है उसको यदि एक्स्टेन्ड किया जाय तो वह ६ महीने तक हो सकता है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझता हूँ कि जब हम एक बोर्ड बनाते हैं, एक निर्वाचित बोर्ड बनाते हैं तो कोई इस प्रकार की परिस्थिति पैदा नहीं हो सकती है और न होनी चाहिए और अगर हो गई तो उस पर काबू पाकर नियमानुसार बोर्ड के चुनाव, संशोधन अगर स्वीकार हो जायं, तो तीन वर्ष के अन्तर्गत, नहीं तो चार वर्ष के अन्तर्गत होने चाहिये । कोई ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन शंका इस बात की खड़ी होती है, माननीय उपाध्यक्ष, कि अगर किसी बोर्ड का चुनाव राज्य सरकार नहीं करना चाहे, जैसा कि रूपवास से आनेवाले माननीय सदस्य ने विचार प्रकट किया कि कांग्रेस भी एक पोलिटिकल पार्टी है और पोलिटिकल पार्टी होने के नाते पोलिटिकल एग्जिस्टेन्स का सवाल खड़ा होता है । मैं यह समझता हूं कि अगर राज्य के प्रशासन में केवल पोलिटिकल कन्सीडरेशन के आधार पर चलना शुरू किया और चलने का विचार रखा, तो फिर न्याय नहीं कर सकेंगे । यह हो सकता है कि किसी हद तक, किसी क्षेत्र में, किसी निर्धारित सीमा तक वह विचार मन में न हो लेकिन जहां तक इन बोर्ड्स का ताल्लुक है, इन चुनावों का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है, उसके लिए राज्य सरकार ने अधिकार अपने हाथ में लिया है कि बोर्ड का समय, समय-समय पर, पहले दो महीने के लिए बढ़ायें,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फिर चार महीने के लिए बढ़ायें, फिर छः महीने के लिए बढ़ायें, यह पीरियड किसी प्रकार छः महीने से ज्यादा नहीं होगा। मैं तो यह चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस पीरियड को एक्सटेन्ड करने की पावर राज्य सरकार के पास न हो। अगर मन्त्री महोदय किसी कारणवश इस प्रकार का अधिकार रखना चाहते हैं, तो मैं कम से कम यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने २६१ क्लॉज़ में यह प्रोविज़न रखा है इस एक्ट के तहत। इस २६१ क्लॉज़ में बोर्ड को सुपरसीड करने का प्रोविज़न रखा है, डिज़ॉल्व करने का प्रोविज़न रखा है, तो डिज़ॉल्व करने के समय, सुपरसीड करते समय के लिए उसमें लिखा है ;

"If at any time the State Government is satisfied that the Board is not competent to perform, or persistently makes default in the performance of the duties imposed on it by or under this Act or otherwise by law, or has exceeded or abused its powers, the State Government may, by an order published along with the reasons thereof in the official Gazette..."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें उन्होंने शब्दावली का उपयोग किया है :

"along with reasons thereof"

और किन कारणों से बोर्ड को सुपरसीड करने की स्थिति पैदा हुई, वह ऑर्डर में राज्य सरकार को बताना चाहिए। मैं नहीं समझता कि जिस बोर्ड का निर्धारित समय समाप्त हो गया, जिस बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया, उसका कार्यकाल राज्य सरकार बढ़ाना चाहे और उसके लिए कारण न देना चाहे तो सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह संशोधन प्रस्ताव स्पष्ट है कि अगर राज्य सरकार अधिकार लेना चाहती है तो यह अधिकार हम दे सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि कोई बच्चा हाथ में तलवार रखना चाहता हो, वह कहीं उसका उपयोग स्वयं न कर ले, इसलिए उस पर बन्दिश लगाना जरूरी होता है। इसलिए राज्य सरकार पर पाबन्दी होनी चाहिए कि वह कार्यकाल की अवधि बढ़ा सकती है, समय बढ़ा सकती है, लेकिन उसके लिए उसे कारण बताने चाहिए। यह न हो कि माननीय मंत्री महोदय को किसी ने बताया, किसी ने एप्रोच किया और पोलिटिकल कन्सीडरेशन सुप्रीम न हो जाय और पर्टीक्युलर कॉन्स्टीट्यूएन्सी की पर्टीक्युलर म्युनिसिपेलिटीज़ के खिलाफ ऐसी चीज न हो जाय। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, इसके द्वारा राज्य सरकार अगर पीरियड एक्सटेन्ड करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन उसके कारण ऑर्डर में स्पेसीफाई कर देने चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह संशोधन प्रस्ताव छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और माननीय मंत्रीजी, मैं आशा करता हूं कि, इसे स्वीकार करेंगे क्योंकि सिद्धान्ततः इस चीज को २६१ में रखा है। मैं समझता हूँ यह उसी प्रकार का पेरेलल क्लॉज है, मैं नहीं समझता कि इसमें आपत्ति हो सकती है। अगर किसी बोर्ड का पीरियड एक्सटेन्ड करना चाहते हैं, तो मंत्री महोदय को जो निश्चित कारण हैं, वे देने चाहिए। निश्चित कारण आ जाते हैं तो उनके आधार पर एक्सटेन्शन हो सकता है। They canbe reduced in black and white, they can be published in the Gazette. इसलिए उन कारणों के आधार पर यह पीरियड एक्सटेन्ड किया जाय यह संशोधन प्रस्ताव रखा है, मैं उसका

Page No.80

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

समर्थन करता हूँ और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे इसे स्वीकार करेंगे।

(घंटी)

वन मिनिट प्लीज़।

जहां तक तीन साल, चार साल का प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष, उसका विरोध किया गया है कि चार साल का समय कम है, और विधान सभा का, पंचायत का चुनाव पांच साल में होता है, उसी प्रकार इसे किया जाय। चुनाव करेंगे, तो छः महीने लग जायेंगे, साल भर इस तरह निकल जायगा, चार्ज लेने में, इस प्रकार तीन साल का समय रख दिया तो सारी नगरपालिकायें केवल डेढ़ साल काम कर सकेंगी। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि किन्हीं स्थानों पर डेमोक्रेसी एक इवोल्यूशनरी स्टेज पर है, इनफेन्सी में है, हम बढ़ रहे हैं आगे। ऐसी अवस्था में सारे लोगों को, जो निर्वाचन करते हैं, चुनते हैं, उनको जरा जल्दी समय मिल जायगा। इस पीरियड में उनके ध्यान में भूल आ सकती है, साल भर में, छः महीने में, कहीं ऐसा न हो कि उनको और इन्तजार करना पड़े। इसलिए तीन साल का समय रीज़नेबल है, नये-नये, जल्दी जल्दी चुनाव होते रहें, नई-नई चीजें होती रहें। आखिर जो पुरानी चीजें है, उन पर क्यों चलना चाहते हैं ? यह कल्पना ही भयंकर होती है। आपने कोई कपड़ा बनवाया, कोई पेन्ट बनवाई, कॉडराई की पेन्ट पनवाई, वह पेन्ट छः साल में फटेगी, यह कल्पना ही भयंकर है। एक पेन्ट बनवाई, वह जल्दी फटेगी तो नई बनेगी। तो नया रंग, नई हवा, नया वातावरण मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : आपकी पेन्ट पांच साल में नहीं फटती है ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूपवास से आने वाले माननीय सदस्य जो नवीन विचार के हैं, प्रकाशमान हैं, ने यह संशोधन रखा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर पुरानी चीज को रखने में क्या दिखाई देता है, मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए जो संशोधन रखा है, उसको स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो क्लॉज़ १० के अन्दर अमेंडमेंट माननीय बहादुरसिंहजी ने रखा है कि चार साल के बजाय तीन साल रखे जायं, उसके पक्ष में मैं बोलना चाहता हूँ, दूसरा अमेन्डमेन्ट उनका है उसके विरोध में बोलना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान के अन्दर एक ऐसा प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न के तहत लोकल बॉडीज़ के अन्दर जो मेम्बर चुने जाते हैं, या पार्लियामेन्ट या विधान सभा के मेम्बर चुनने के बाद में कानून के अन्दर हालांकि ऐसा जरूर है कि अमुक समय तक उसके खिलाफ पिटीशन को जा सकती है लेकिन बाद में किसी प्रकार उस मेम्बर को मेम्बरशिप से नहीं हटाया जा सकता, ऐसा हमारे संविधान के अन्दर है। मैं समझता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां तक जनता का सवाल है, कभी कभी मेम्बर लोग जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तब भिन्न भिन्न प्रकार के उनको आश्वासन देते हैं, लेकिन बाद में कभी गलती कर बैठते हैं, चाहे वह कोई व्यक्तिगत कारण से हो, चाहे किसी लोकल बॉडी के सामूहिक कारण से हो, लेकिन उस गलत काम को जनता के द्वारा किसी तरह से सही तरीके से कराया जाय, किसी तरह से ठीक किया जाय, जनता के पास इसका कोई इलाज नहीं है। हां, वह बोर्ड जिसने वह गलत काम किया है, अगर

(श्री गिरधारीलाल)

वह बोर्ड चाहे तो उसका सुधार कर सकता है; लेकिन हम देखते हैं कि पार्टी–पोलिटिक्स के द्वारा कभी कभी ऐसे काम होते हैं जो नाजायज होते हैं, इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि जनता की सहूलियत के लिए जनतन्त्रात्मक पद्धति के लिए यह सब से उचित चीज है कि जो ये लोकल बॉडीज हैं उनका समय तीन साल उचित है, चार साल के बजाय। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा कारण यह है कि आज तक म्युनिसिपेलिटी का टाइम था वहतीन साल का था। तभी आज आप दूसरे प्रान्तों के म्युनिसिपल बिल लेंगे तो उसमें यह टाइम मिलेगा तो राजस्थान की जनता ने कौन सा नुकसान किया है कि जिससे राजस्थान की जनता को ऐसे बोर्ड के नीचे रहना पड़ेगा जो बोर्ड आगे जाकर गलत काम करने लग जाय, जिससे जनता का अहित हो, जनता की जो धनराशि है, उसका दुरुपयोग हो, तो इस प्रकार के बोर्ड को चार साल रखने का क्या अधिकार है ?

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार मैं सोचता हूँ कि जो दूसरा अमेंडमेंट था, जिसके द्वारा आपने ६ महीने के बजाय १ साल का पीरियड बढाने के लिए प्रस्ताव किया है, उसके विरोध में मैं बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि कभी कभी बिना किसी कारण के सरकार टाइम बढ़ा देती है म्युनिसिपेलिटीज़ का, वह उचित नहीं होता, जनता इसको उचित नहीं समझती। पर क्योंकि वहां के कुछ आदमी सरकार के पास आते हैं और सरकार से कहते हैं कि इसमें हमारा हित है, स्थानीय आदमियों का हित है, इसलिये टाइम बढ़ा दें और सरकार टाइम बढ़ा देती है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि नापासर म्युनिसिपेलिटी मेरे इलाके में है, उसके हिसाब में बड़ा भारी गबन था, अन्य कई प्रकार की गड़बड़ियां थीं। सरकार ने आखिर ऑडिट कमेटी को भेजा, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि इस म्युनिसिपल बोर्ड ने, चेयरमैन ने भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रष्ट कार्य किये हैं और उसने सिफारिश की कि इस बोर्ड को भंग कर देना चाहिये। लेकिन काफी अर्सा हो गया, ६, ७ महीनों की यह बात है अभी तक कुछ नहीं किया गया है। उसके बाद स्थानीय कुछ आदमी गये और सरकार से कहा कि यह बोर्ड भ्रष्ट है, इसको डिज़ॉल्व कर दें, पर सरकार ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है। वे आदमी अब भी रह रहे हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : पर्याप्त हो चुका उनके करने का, अब मुख्य प्रश्न पर आइये। You will come to the question.

श्री गिरधारीलाल : मैं बता रहा हूं कि टाइम बढ़ा देते हैं, वे लोग उपमन्त्रीजी और मन्त्री महोदय के पास जाते हैं, सैकड़ों-हज़ारों रुपया उनका इस तरह आने-जाने में खर्च हो गया है, हज़ारों का गबन हुआ है पर अभी तक बोर्ड को भंग नहीं किया गया है। तो इस तरह सरकार गलत कामों को बढ़ावा देती है। यह अधिकार सरकार के हाथ में नहीं देना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(स्वायत्त शासन मन्त्री के उत्तर देने को खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ करें इससे

(श्री उपाध्यक्ष)

पूर्व एक माननीय सदस्य को जो शंका हो गई है, उसका समाधान कर देता हूं। एक माननीय सदस्य (श्री जयसिंह राणावत) ने मुझको लिखा है कि एक कबूतर सदन में छटपटा रहा है,और परेशान हो रहा है उसको सदन से निकालने का प्रबन्ध किया जाय। मैंने कबूतर से खतो-किताबत किया और मुझे मालूम हुआ कि वह बाहर जाने के लिये नहीं छटपटा रहा है. वह बड़े आराम से यहां बैठा कार्यवाई सुन रहा है।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, किस जरिये से खतोकिताब कर लिया आपने कबूतर से ?

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : रेडियो आदि के माध्यम से अध्ययन किया है। वह गैलेरी में बैठा आराम से सुन रहा है, आप स्वयं उसके व्यवहार को देख सकते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या आप इसकी बोली समझते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष, इस पर जो अमेंडमेंट रखे, मेरा निवेदन यह है ..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप भी छटपटा रहे हैं !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस समय म्युनिसिपेलिटियों की मियाद ३ साल की है और इसी आश्वासन पर उनका चुनाव हुआ है कि वे तीन साल रहेंगे। इस बिल में ४ साल रखे हैं। तो उन लोगों ने चुनाव लड़ते समय कहा था कि हम तीन साल रहेंगे, चार साल नहीं रहेंगे, इसलिये इस संशोधन को मैं स्वीकार करता हूँ।

दूसरा अमेंडमेंट है म्युनिसिपेलिटीज़ की मयाद बढ़ाने के बारे में। इसमें मौजूदा प्रोविजो ६ महीने का है उसमें अमेंडमेंट है कि १ साल कर दिया जाय। इसमें यह अमेंडमेंट दिया है कि जब कभी मियाद बढ़ाई जाय तो सरकार को कारण जरूर बताने चाहिये। जहां तक मियाद बढ़ाने के कारणों का प्रश्न है मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि एक ही कारण है, मियाद खत्म हो जाती है, उस अर्से में चुनाव नहीं हो सकते हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मियाद में चुनाव हो जायं। मियाद में चुनाव हो जायं तो कोई और कारण नहीं कि मियाद बढ़ाई जाय। पर फिर भी परिस्थितियां कभी कभी ऐसी आ जाती हैं कि जिनका हम अन्दाज नहीं कर सकते, फिर म्युनिसिपेलिटी के बारे में हाई-कोर्ट का एक साल के लिये स्टेऑर्डर आ गया तो उस समय उसे एक्सटेन्ड करना पड़ता है। अभी भी हाई कोर्ट के स्टेआर्डर आये हुए हैं कि जब तक रिट दिया हुआ है इलेक्शन नहीं कराये जायं। कभी-कभी परि-स्थितियां ऐसी सरप्राइजिंग होती हैं कि मियाद बढ़ानी ही पड़ती है। पर माननीय सदस्यों के दिल में खयाल है कि पोलिटिकल रीज़न्स से मियाद बढ़ाते हैं तो ऐसी बात नहीं है। मियाद में चुनाव नहीं हो पाते हैं तो हम मियाद बढ़ाते हैं। सीरियस कम्प्लेंट म्युनिसिपेलिटी की नहीं हो तो हम मियाद बढ़ाते हैं। जितनी बढ़ाने की आवश्यकता होती है उतनी ही बढ़ाते हैं। एक साल का जो अमेंडमेंट रखा गया है वह उपयुक्त है, इसे हमें मान लेना चाहिये।

दो दलीलें कारण बढ़ाने के लिये दीं। अभी एक माननीय सदस्य ने नापासर

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

म्युनिसिपेलिटी के हिसाब में गड़बड़ी की बात कही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नापासर म्युनिसिपेलिटी का मामला मियाद बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं रखता। वहां मियाद बढ़ाई नहीं। इन्क्वायरी हो रही है। आपका कानून ऐसा है कि नोटिस देना चाहिये; नोटिस दिया गया तो नापासर म्युनिसिपेलिटी कामियाद बढ़ाने से कोई सम्बन्ध नहीं।

२६१ में कारण दिये जाते हैं तो इसमें भी दिये जाने चाहिये, यह कहा गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि २६१ में म्युनिसिपेलिटी को सुपरसीड करने की बात होती है। जब तक मियाद है उसके बीच में गवर्नमेंट डिक्लेरेशन करना चाहती है तो गवर्नमेंट को कारण देने चाहिए, पर मियाद खत्म हो जाने के बाद में चुनाव नहीं होने के कारण एक्स्टेन्ड किया जाता है, तो कारण स्पष्ट है कि मियाद खत्म होने पर भी चुनाव नहीं हो सके, इसलिये मियाद बढ़ाई गई है। बिना कारण बताये भी सभी जानते हैं कि मियाद बढ़ाने में मियाद के अन्दर चुनाव नहीं हो सकना ही कारण है। २६१ में तो मियाद खत्म होने से पहले सुपरसीड कर दिया इसलिये कारण देने पड़ते हैं तो ये दोनों बातें एक दूसरी से अलग हैं।

इसलिये मैं चार साल के बजाय तीन साल का और ६ महीने के बजाय एक साल का; ये जो दो संशोधन रखे गये हैं उन संशोधनों को स्वीकार करता हूँ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यही मेरा दूसरा अमेन्डमेंट था कि टाइम बढ़ाया जाय तो रीजन्स दिये जायं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि बढ़ाने का कारण एक ही है कि टाइम खत्म हो गया फिर भी चुनाव नहीं हो सके।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यही रीजन दे दीजिये, लिख कर दे दीजिये, इसमें क्या एतराज है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया कि वह तो क्लियर है इसलिए अनावश्यक है There is only one reason for extension and the reason is that elections could not take place within the time. यह अनावश्यक बात होगी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसी के सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देता हूं कि सीकर म्युनिसिपेलिटी का इलेक्शन हो चुका है फिर भी वह पुराना बोर्ड काम कर रहा है, What is the reason ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इलेक्शन हुआ है। चेअरमैन का इलेक्शन नोमिनेशन होगा तब होगा He will take over.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह तो झगड़ा है आपका। जब तक झगड़ा खत्म नही होता तब तक नोमिनेशन नहीं होता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हम टाइम हमेशा बढ़ाते हैं उसी सूरत में कि जब इलेक्शन नहीं होते।

अर्ली इलेक्शन हो जाते हैं तो बढ़ाने के लिये कोई कारण ही नहीं। सीकर का इसलिए बढ़ाया है कि इलेक्शन नहीं हुआ है...

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इलेक्शन जल्द करवा लिया करें। आपको रीजन्स देने में क्या एतराज है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया न कि एक ही रीजन हैं इलेक्शन नहीं होने का। सीकर में इसीलिए मियाद बढ़ाई है कि इलेक्शन नहीं हो सका। In every case this is the reason.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है...

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मुझे कुछ कहना है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह किसी प्रकार से संतोषप्रद नहीं है। उनको तो जो कारण हों उनको शाया करना चाहिये। ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता जिसके कारण शाया करने में अड़चन पैदा होती हो। जो जो परिस्थिति हो उसको लिखकर देवें तो कानून में मैं समझता हूं कि कोई आपत्ति नहीं होती। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको मंजूर किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १० के सब-क्लॉज (२) में जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखा है उसको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद माथुर एवं डॉ० बहादुरसिंह ने क्लॉज १० के अन्तर्गत प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

श्री श्रीभानसिंह : एक को तो मान लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : "Substitute the word three for the word four occuring in line two." ?

यह संशोधन श्री जगदीशप्रसाद और डा० बहादुरसिंह दोनों ने रखा है।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज १० के अन्तर्गत सब-क्लॉज २ पर श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जावे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : प्रोविज़ो...

श्री उपाध्यक्ष : Insert the words for reasons which shall also be published along with the order 'between the 'words time to time and so' however occuring in tee proviso to sub-clause (I)"

इसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज १० के सब-क्लॉज (२) के अन्तर्गत जो संशोधन डा० बहादुरसिंह ने प्रस्तुत किया है...

एक माननीय सदस्य : कोई संशोधन नहीं है।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सब-क्लॉज (२) में जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १० संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १० संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ११

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ११ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ११ विधेयक का अंग बना

विराम)

क्लॉज १२ और १३ डेफर किये जाते हैं

(विराम)

क्लॉज़ १४

(बिराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १४ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज १४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज १५

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १५ में थोड़ासा क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूँ : "15 Electoral Rolls for every ward:— (1) There shall be an electoral roll for every ward, which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act under the supervision of the Collector." Then I take you to sub-clause (3); "(3) Where any addition, omission, alteration or other amendment is made under the Representation of the people's Act, 1950 (Central Act XLIII of 1950) or the rules framed thereunder, in the said Assembly rolls relatable to the area of the ward, a similar amendment shall be made in the corresponding electoral roll of the ward."

उपाध्यक्ष महोदय, इसके सब-क्लॉज (२) में प्रोसीजर दिया है और वह यह है :—

"(2) For purposes of preparation of each electoral roll the electoral rolls prepared for the State Assembly constituencies under and in accordance with the provisions of the Representation of the people's Act, 1950 (Central Act XLIII of 1950), relatable to the area comprised in a ward shall be adopted and published

Page No.86

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

in the manner prescribed and upon its publication it shall, subject to any alteration, addition or modification made under or in accordance with this Act, be the electoral roll for the ward prepared in accordance with this Act.'

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १५ के सब-क्लॉज (२) में दिया है कि एसेम्बली के जो इलेक्ट्रोल रोल होंगे वे एडोप्ट इसके लिये भी कर लिये जावेंगे। लेकिन इसके बाद सब-क्लॉज ३ में एड किया गया है कि अगर कोई addition, omission alteration एसेम्बली इलेक्ट्रोल रोल्स में होते हैं तो वे हमारे म्युनिसिपल इलेक्ट्रोल रोल में भी कर दिये जावेंगे। मैं नहीं समझ पाया कि जब हम रूल्स बनाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट होंगे और उस पर जांच होकर तय हो जावेंगे और ऑल्ट्रेशन के बाद जब वे फाइनली पब्लिश हो गये तो उसके बाद अगर एसेम्बली में रद्दोबदल होंगे तो वे हम पर कैसे लागू होंगे। एसेम्बली में तो हर साल एडिशन एण्ड ऑल्ट्रेशन होते हैं और जब हमारे इलेक्टरल रोल फाइनल हो जाते हैं तो उसमें रद्दोबदल करने की आवश्यकता नहीं होती मगर एसेम्बली के इलेक्टोरलरोल में दो दिन पहले अगर चेंज हो जाते हैं तो वे तो यह आकर कहेंगे कि हमको वोट देने का अधिकार है जबकि हमने एसेम्बली रोल को इसके लिये माना है। मगर जब लिस्ट फाइनली पब्लिश हो गई तो उसके बाद कोई भी पावर ऐसी नहीं है जिसके तहत में किसी प्रकार का भी कोई एडीशन हो सके। सब क्लॉज ३ के अनुसार यदि ५०० नाम नये जोड़े गये या निकाल दिये गये तो उसमें से भी ऐसा ही करना होगा। चुनाव के दो रोज पहले अगर ऐसा होगा तो कैसे माना जावेगा। इस-लिये मैं मानता हूं कि सब क्लॉज ३ से बहुत दिक्कत पैदा होगी क्योंकि जब हमारी लिस्ट फाइनली प्रीपेयर हो जावेगी under the supervision of the collector [under sub—claue (2)] सब क्लॉज (३) के आधार पर एसेम्बली में कोई भी change हो सकता है इसके लिये हमारे यहां किसी भी प्रकार का बेन नहीं है। हमारे चुनाव सब एक समय पर होते नहीं किसी का कभी होगा और किसी का कभी। और एसेम्बली के रोल सारी जगह अलग अलग होते रहते हैं। नतीजा यह होगा कि एसेम्बली हमारे चुनाव से दो दिन पहले भी नाम जोड़ देती है तो सब-क्लॉज ३ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ५०० इलेक्टोरल रोल वार्ड में जोडे हैं उनका क्या होगा? इसके लिये माननीय मंत्री क्लेरीफाई कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (स्वायत्त शासन मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, इलेक्शन के सम्बन्ध में हमने एडोप्ट किया है एसेम्बली के इलेक्टोरल रोल्स को। उसके इलेक्टोरल रोल्स होंगे उनको पब्लिश करने के लिये हमने एडॉप्ट कर लिया है। यह इसलिये रखा है कि इससे डबल दिक्कत नहीं हो। एसेम्बली के रोल हर साल तैयार होते हैं। म्युनिसि-पैलिटी का इलेक्शन होगा तो उनको एडोप्ट कर लेंगे। होता यह है कि एसेम्बली के रोल तो हर साल तैयार होते हैं और उसमें एडीशन होगा वह फाइनल होगा। रूल्स में जो नहीं होगा उसमें एड करने की बात नहीं है। रही बात किसी के ऑब्जेक्शन करने की तो वह तो पहले की स्टेज है। जब इलेक्शन होने को हो तो यह स्टेज नहीं आती। जो एसेम्बली के इलेक्टोरल रोल होंगे वे तो तैयार रहेंगे और एडीशन होगा वे भी तैयार रहेंगे। पब्लिकेशन के बाद की कोई बात नहीं यह तो एक स्पष्ट बात

Page No.87

श्री(बद्रीप्रसाद गुप्ता)

है, यह तो रूल्स की बात है। २१ दिन की मियाद ऑब्जेक्शन के लिये होती है। वह तो प्राइमरी रोल्स के बारे में है। ऐसा ही प्रोविजन यू० पी० में मौजूद है, ऐसा ही प्रोविज़न यू० पी० के एक्ट में भी मौजूद है। बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही उसकी लैंग्वेज़ है। वहीं से इसको एडोप्ट किया गया है। मैंने अभी इसके सम्बन्ध में पूछा भी है, तो यह बताया गया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं मालूम होती। प्रेस्क्राइब्ड रोल तो हम पब्लिश कर देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यह स्पष्टीकरण करिये कि सब-क्लॉज़ २ में आपने यह लिखा है, "For the purposes of preparation of such electoral roll the electoral rolls prepared for the State Assembly constituencies under and in accordance with the provisions of the Representation of the People's Act, 1950 (Central Act XLIII of 1950), relatable to the area comprised in a ward shall be adopted ..." "......adopted and published in the prescribed manner...'' आपने असेम्बली के इलेक्टरल रोल्स एडोप्ट कर लिये और प्रेस्क्राइब कर दिये कि इस तरह से एडोप्ट किया है, "...and upon its publication it shall, subject to any alteration, addition or modificaion made under or in accordance with this Act, be the electoral roll for the ward prepared in accordance with this Act."

इस एक्ट के तहत आपने कह दिया कि ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट कर लिये और उसके अनुसार एडीशन्स, ऑल्टरेशन्स कर लिये और जो कुछ करना था वह कर लिया और उस हिसाब से वह लिस्ट तैयार हो जाती है। लेकिन आप यह बतायें कि फाइनेलिटी किस स्टेज पर रहती है। सब-क्लॉज़ (३) में आप कहते हैं। "where any addition, omission, alteration or other amendment is made under the Representation of People's Act, 1950 (Central Act XLII, 1950) or the rules framed thereunder, in the said Assembly rolls relatable to the area of the ward, a similar amendment shall be made in the corresponding electoral roll of the ward."

"......a similar amendment shall be made in the corresponding electoral roll of the ward."

इस प्रकार का सिमिलर अमेन्डमेन्ट आप अपने इलेक्टरल रोल में कर देंगे। असेम्बली के इलेक्टोरल रोल में हर साल चेन्जेज़ होते रहते हैं। यदि नगरपालिका का चुनाव होने वाला है? तो आप वार्ड्स की लिस्ट में भी एडीशन्स, ऑल्ट्रेशन्स कर देंगे, जैसा कि असेम्बली के इलेक्टोरल रोल्स में हुआ है। लेकिन सब-क्लॉज़ ३ में आपकी लिस्ट फाइनल नहीं होती। वहां पर अमेन्डमेन्ट्स हो जावेंगे, आप कर देंगे लेकिन "a similar amendment shall be made in the corresponding electoral rolls of the ward.." कोरोस्पोन्डिंग वार्ड होगा आप उसमें कर लेंगे। असेम्बली के इलेक्टोरल रोल में किसी स्टेज़ पर एडीशन्स ऑल्टरेशन्स होते रहते हैं। लेकिन वार्ड के इलेक्टोरल रोल में तो दो दिन पहले भी हो सकते हैं और असेम्बली में दो दिन पहले होते हैं तो आप भी उनमें कर लीजिये। लेकिन वार्ड्स में चेन्जेज के दूसरे ग्राउन्ड्स होंगे उनको कैसे आप एग्जामिन करेंगे? इसके माने तो यह होंगे कि आपकी लिस्ट की फाइनेलिटी नहीं होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि इस सब-क्लॉज़ (३) को ही डिलीट कर दीजिये।

Page No.88

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आप इसको डेफर कर दीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय यह सवाल कानूनी ढंग से पूरी तरह एग्जामिन होना चाहिये। इलेक्टरल रोल को प्रिलिमिनरी लिस्ट में लिया जाता है और वहां कलेक्टर की मार्फत ही उसमें करेक्शन हो जाय तो उसको फाइनल माना जाय। इसको इस प्रकार से कन्सीडर कर लीजिये।

अनेक माननीय सदस्य : इसमें तो और भी गड़बड़ हो जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इसको डेफर ही कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Should we defer it? (After the nod of assent by Hon. Minister) Clause 15 is deferred.

(विराम)

Clause 16, No amendment.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १७ व १८, No amendment.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १७ व १८ स्वीकार किये जांय?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १७ व १८ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ १६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ को स्वीकार किया जाय?

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, इसमें संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : It is not moved.

श्री भैरोंसिंह : श्री चन्दनमलजी का अमेन्डमेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : It is not moved.

श्री भैरोंसिंह : इस पर मैं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप इसका अपोज़ कर रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : हाँ साहब।

श्री उपाध्यक्ष : You don't want a smooth sailing.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, धारा १६ में रिटर्निंग ऑफिसर की व्यवस्था की गई है कि रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा? "The electoral roll for each ward shall be prepared by a Returning Officer who shall be such officer as the Collector may appoint."

इसमें एक संशोधन प्रस्तावित करने की बात थी, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य यहां इस समय मौजूद नहीं हैं, इसलिये वह संशोधन मूव नहीं किया जा सका। उस संशोधन की भावना यह थी कि रिटर्निंग ऑफिसर अपोइन्ट

(श्री भैरोंसिंह)

करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं मिलना चाहिये और कलेक्टर के स्थान पर एक इलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिये और वही रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में या पंचायतों के सम्बन्ध में जितने भी इलेक्शन्स होते हैं, वे इलेक्शन्स डेमोक्रेसी के बेसिक इन्स्टीट्यूशन्स का निर्माण करते हैं। आज हम असेम्बली या पार्लियामेंट के सम्बन्ध में कानून के अनुसार एक अलग-सा डिपार्टमेन्ट खोलकर, इन्डिपेन्डेन्ट डिपार्टमेन्ट जिसे कहना चाहिये, इन इलेक्शन्स को कन्डक्ट करने की व्यवस्था उसके द्वारा करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इन्डिया, विधान सभाओं और पार्लियामेन्ट के जितने चुनाव होते हैं उनकी व्यवस्था करता है। अब नगरपालिका का चुनाव या पंचायत का चुनाव, चूंकि पंचायत का यहां अभी प्रश्न नहीं है और यह नगरपालिका से सम्बन्धित है उसका चुनाव होता है कलेक्टर की देखरेख में। कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइन्ट करेगा। उसमें दिक्कत ऐसी आती है कि इलेक्शन्स में अक्सर यह देखने में आता है कि रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर या कलेक्टर के ऊपर वार्ड बनाने के प्रश्न को लेकर, एक वार्ड में कितने सदस्यों की संख्या रखें या वोटर्स कितने रखे जांय इस बात को लेकर कई दफा गलतफहमी पैदा की जाती है और कई दफा प्रेसर टेक्टिक्स काम में लायी जाती है। यह आम चीज बन गई है। जितने चुनाव किसी एक भी नगरपालिका के हुए हैं उसकी सारी लिस्टों को मंगा कर यदि देखें तो स्पष्ट मालूम होगा कि एक वार्ड में ३०० सदस्य हैं और उसी शहर, नगरपालिका के दूसरे क्षेत्र में ८०० सदस्यों की संख्या है। सीकर म्युनिसिपेलिटी के चुनाव हुए। एक वार्ड में ७०० सदस्यों की संख्या थी और उसी का पास वाला वार्ड था उसमें १७०० मतदाताओं की की संख्या थी। इतना डिफरेन्स रखा जाता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। कारण या तो यह हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति को खुश करना होगा या एक व्यक्ति के लिए ग्राउन्ड्स बनाना है, जिन पर उसकी जीत निश्चित हो जाय या ऐसे ग्राउन्ड्स बनाये जांय जिससे किसी व्यक्ति की हार हो जाय। इस सारी स्थिति को लेकर कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करता है इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर पर उसका प्रभाव रहता है और रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर के नीचे काम करता है इसलिए लोकल इन्फ्ल्युएन्स भी होता है और उन सारे लोकल इन्फ्ल्युएन्सेज के कारण उनको एक्सरसाइज करके जीतने की कोशिश करता है, undue advantage और प्रेसर टेक्टिक्स काम में लाने पड़ते हैं और वे व्यक्ति कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर पर जितने undue advatage पैदा कर सकते हैं वे काम में लाकर वे वार्ड में ऐसा कर सकते हैं, करवायेंगे।

४ म०प०

मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर इलेक्शन पर्पज़ के लिये इन्डिपेन्डेन्ट बोडी को कॉन्स्टिटयूट करनी चाहिये। चाहे उसका नाम इलेक्शन कमेटी हो या सरकार जो चाहे नाम दे सकती है। स्वायत्त शासन मंत्री यह कहेंगे कि इसके लिये डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज है। डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ सीधे आपके नियन्त्रण में है, आपके प्रभाव में है क्योंकि आप द्वारा उनको कलेक्टर या एस० डी० ओ० या कमिश्नर बनाया जा सकता है, इसलिए उनका

(श्री भैरोंसिंह)

कोई स्वतन्त्र स्टेटस नहीं है बल्कि वह डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज के रूप में इस डिपार्टमेन्ट का हैड है और एग्जीक्युटिव हैड है। वह जो कुछ भी कागजात होते हैं म्युनिसिपेलिटीज को भेज देते हैं या सरकार के पास भेज देते हैं। ऐसा समझना चाहिये कि डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज पोस्ट लेटर बॉक्स के और कोई महत्व नहीं रखता, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा।

मैं समझता हूं राजस्थान सरकार इस संबन्ध में नीति निर्धारित करे कि हमें इस प्रकार की एक इलेक्शन कमेटी अपॉइन्ट कर दे और जहां जहां इलेक्शन होंगे, वोटर्स लिस्ट जहां की तैयार करवानी होगी,सभी कार्य इसी कमेटी द्वारा किये जायेंगे। यह कार्य कलेक्टर द्वारा न होकर इलेक्शन कमिटी द्वारा होना चाहिये। अगर हमने इस प्रकार का अफसर रखा जिस प्रकार के अफसर ने आज तक इस प्रकार के कार्य को संभाला है सिवाय पक्षपात और गुटबन्दी के कोई काम नहीं हुआ। यदि इसी प्रकार का अफसर उसमें रख दिया गया तो किसी प्रकार भी उपयोगी नहीं हो सकता। अगर हमने इस प्रकार की इलेक्शन कमेटी में किसी जुडिशियल ऑफिसर को रखा चाहे वह डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का ही कोई व्यक्ति क्यों न हो, वह पार्टीबाजी की छींटाकशी से ऊपर होगा। पार्टीबाजी के आधार पर राजनैतिक फायदा एक्सेप्ट करते हैं; वे यदि कोशिश भी करेंगे तो वह प्रत्यक्ष में सामने नहीं आ सकेगा अगर जुडिशियल ऑफिसर के अधिकार में इलेक्शन कमेटी रही तो। कम से कम हमको इतना विश्वास तो अवश्य रहेगा कि जब तक ये इलेक्शन के काम किसी जुडिशियल ऑफिसर के अधिकार में हैं तब तक जिस प्रकार के पक्षपात और जातिवाद का प्रचार हम देखते हैं वह पक्षपात तो नहीं होगा और सदन में भी जो आलोचना इस विभाग की होती है वह भी माननीय मंत्री महोदय को सुनने को नहीं मिलेगी। इस तरह से उस इलेक्शन कमेटी का कार्य इलेक्शन से लेकर जब तक मेम्बर लोग शपथ ग्रहण नहीं कर लेते तब तक का सारा काम इसी कमेटी का होगा। यदि इस प्रकार कमेटी का सुपर्विजन बराबर रहा तो किसी को किसी प्रकार की शिकायत की गुंजाइश नहीं रहेगा। अभी अभी एक प्रश्न आया था उसका उत्तर देते हुए माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया था कि वोटर्स लिस्ट तैयार नहीं थी इसलिये इलेक्शन समय पर नहीं होते। इस प्रकार की जो दिक्कतें आज सम्मुख आती हैं वे सब इलेक्शन कमेटी के सुपरविजन में आने के बाद सब शिकायतें दूर हो जायंगी। आज इस संबन्ध में हमारे पास कोई इन्डिपेन्डेन्ट मशीनरी नहीं है इस कारण आज की एक्जीक्युटिव मशीनरी या तो किसी जगह के म्युनिसिपल मेम्बरों के प्रभाव में आकर या किसी गुट्ट विशेष के इशारे पर चुनावों को टालते रहते हैं। वह इलेक्शन कमेटी के कायम होने पर नहीं हो सकेगा। हालां कि जुडिशियल ऑफिसर भी गवर्नमेंट के होते हैं फिर भी उन पर सरकार का कन्ट्रोल इतना नहीं होता वे डाइरेक्ट कन्ट्रोल में उनके नहीं होते, वे दूसरे ही ढंग से गवर्न होते हैं, उन पर सरकार का या किसी व्यक्ति विशेष का ज्यादा प्रभाव काम नहीं कर सकेगा, अगर इस प्रकार के जुडिशियल अफसर की देखरेख में इलेक्शन का सुपर्वीजन होने लगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ विरोधी दल की जो शिकायतें हैं वे काफी मात्रा में खत्म हो जायगी, और किसी भी म्युनिसिपल बोर्ड के एक्स्टेन्शन आदि की

(श्री भैरोंसिंह)

स्थिति पैदा नहीं होगी। और इसके साथ हर मामले के अन्दर नोमीनेशन रिजर्वेशन आदि के मामलों में सलाह मशविरा मिलता रहेगा। इसलिये स्वायत्त शासन मंत्री से निवेदन करूंगा कि हमें इस कानून के अन्तर्गत एक इलेक्शन कमेटी का निर्माण करना चाहिये।

मेहता कमेटी ने जो पंचायतों के नाम से रिपोर्ट दी है उसमें भी इस प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख है। उन्होंने कहा है कि अगर इस प्रकार के चुनावों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं हो इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये। आज इस बात की मांग है स्वायत्त शासन संस्थाओं द्वारा और स्वायत्त शासन में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों द्वारा जहां पॉवर्स को डिसेन्ट्रे-लाइज करना चाहते हैं वहां मोटे रूप में हमें कुछ सिद्धान्त स्वीकार करने पड़ेंगे डेमोक्रेसी के बेसिक इन्स्टीटयुशन्स हैं उन्हें हमें कुछ ऐसे राइट्स देने पड़ेंगे जिन राइट्स पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो। हो सकता है हमें इस प्रकार की व्यवस्था संविधान में करनी पड़ेगी कि चाहे सरकार, चाहे मंत्री वर्ग या पोलिटिकल पार्टीज जिसका सरकार में बहुमत है वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन स्वायत्त संस्थाओं के इलेक्शन में न कर सके। यदि हम इलेक्शन कमेटी का निर्माण कर देते हैं और उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा उसके सुपरविजन में अगर चुनाव होंगे तो किसी प्रकार की ज्यादती नहीं होगी और चुनाव निष्पक्षता से हो जायेंगे।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Mr. Deputy Speaker, on this point, I think, I can conveniently say that we all wish that elections in Rajasthan should be free and fair, but merely saying so would not achieve that. The question is do we really mean to achieve this objective, can we say that the elections in Rajasthan are free and fair? From my own experience, I can say that the District Officers are not behaving so far as Local Bodies are concerned. They behave in an unfair manner and take sides in a manner which is regretable.

The Central Government felt the necessity of appointing an Election Commission. The object behind it was to secure free and fair elections and I believe no one can say that the Election Commission of India has been behaving unfairly. We are proud of it that the Election Commission is above Board and it works in a manner in which no one can raise his little finger against it. I wish we had an identical organisation for Rajasthan, whether we call it Election Commission or Election Committee or by any other name, but we should have some independent body here to see that the elections are really fair.

I remember, in last March there was an election for Muncipal Committee, Jodhpur, and I had been there. In ward No. 35 where a lady candidate Mrs. Khare, was contesting, I found the attitude of the presiding officer.........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Flexible attitude?

श्री अर्जुनदास : Not flexible. It was stiff and stubborn. The officer

(श्री अर्जुनदास)

would not allow any fair suggestion to be made and he was really most unfair and I can give you concrete example on the point......

श्री उपाध्यक्ष : The Hon. Member will please refrain from citing instances of this type.

श्री अर्जुनदास : Then how can I bring home this point ?

श्री उपाध्यक्ष : You will generalise the issues.

श्री अर्जुनदास : I think it will not be so easily understood by him (the Hon. Minister), Sir.

So about 33 persons came to vote, claiming that they were blind and needed help to vote. The Presiding Officer accompanied them and all the 33 voters are supposed to have voted for the Congress candidate. When I use the words 'all' the inference is clear, that the Presiding Officer mis-behaved. I also asked the Presiding Officer to give us the names of the particular voters, but these were also not given.

श्री उपाध्यक्ष : I have given my observations that the Hon. Member will not cite instances.

श्री अर्जुनदास : Then how can I explain the point ?

श्री उपाध्यक्ष : You will not cite instances of this type.

श्री अर्जुनदास: तो फिर बोलूं साहब ? पीछे और बोलूं क्या साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : If there is on stuff you may please resume your seat.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यदि भाषण में इन्स्टान्सेज नहीं दी जावें तो मैं समझता हूं कि यह थोड़ी हमारे लिये खेद-जनक बात होगी। सदन के अन्दर हम अपने अनुभवों के आधार पर राजस्थान की करेक्ट पोजिशन क्या है इसको बताने के लिये यदि एक दो उदाहरण देते हैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़े लिबरल होकर अनुभवों के आधार पर कही गई बात को कहने का अवसर दें।

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक इन प्रश्नों का सम्बन्ध है मैं बहुत उदार रहा हूँ। पर सदन के प्रांगण में जब किसी एक स्थिति पर ही बहुत प्रकाश डाला जाता है और वह भी उचित ढंग से नहीं तो ऐसी स्थिति में मेरा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूं। प्राय: सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में यहां ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं की जावे तो उपयुक्त होगा। और मुख्यतया इस क्लॉज में बहुतायत से ऐसी instances दिये जाने आवश्यक भी नहीं है।

श्री अर्जुनदास : Sir I think we should not name any Particular officer, so I did not name any officer. I only said Presiding Officer. I said that the attitude of the officer was not fair and he would not allow us even an opportunity to have the names of the voters so that we can object that the person is really dead and that the voter was trying to impersonate.

Page No.93

(श्री अर्जुनदास)

Even that was not given. So these officers can possibly mis-behave and I may say that even the Collectors are not above Board. In recent times even the Collector of Ajmer was compelled politically......

श्री ज्वालाप्रसाद : Point of order Sir. The Hon'ble Member has moved a writ petition about this and it is pending in the High Court and the documents are before the High Court. It is a matter sub-judice and he should not make any reference against that officer and he should not be allowed to refer to it.

श्री उपाध्यक्ष : Order, order, Whether there may be a writ or not, I have given my observations that the Hon'ble Member will not allege anything against officials; especially in the context of his speech, he will please refrain from naming the officers.

श्री अर्जुनदास : So far as this objection from the Hon'ble Member from Nasirabad is concerned that I am referring to a matter which is sub judice, I may submit Sir that I have not filed a writ petition about it and I am not going to speak the disputed matters and he was too premature in raising the point of order which actually becomes a point of disorder. If he had been a little patient and heard me, he would not have raised this point of order and I expect that hereafter atleast he shall have a bit of patience.

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member will please speak to the question.

श्री अर्जुनदास : I was only trying to bring home to the Hon'ble Member from Nasirabed that he should not raise points of order as a rule which sometime become points of disorder.

So it would be very good to have a provision in the Bill about an Election Committee and it would make the elections healtheir and there seems to be no objection why it should not be adopted. Therefore, with all the possible force at my command, I request the Hon. Minister-in-charge to accept this little amendment which would not cause him anything.

श्री उपाध्यक्ष : Which is that amendment ? There is no amendment before us .

श्री अर्जुनदास It is a suggestion .

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी प्रजातान्त्रिक प्रणाली में चुनाव बड़े महत्व रखते हैं। हमारा आज तक का अनुभव है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा चुनाव में निष्पक्षता कम बरती जाती है, यह एक सुनिश्चित तथ्य है। इससे इन्कार करना सत्य से इन्कार करना है। उनको चाहिये कि जब सत्ता के अन्दर हैं तो कौन जीतता है, कौन हारता है यह भले ही सोचें पर जब मैदान में आते हैं तो न्याय करना चाहिये। तो यह अन्याय कब होता है ? जब प्रशासनिक अधिकारी ही सब रिर्टनिंग अफसर आदि की जगहों पर आदमी नियुक्त करते हैं। उस एक प्रशासनिक अधिकारी के अधिकार

Page No.94

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

में ये सब व्यक्ति रहते हैं और वे राजनीति से प्रभावित होते हैं, हार जीत से ताल्लुक रखते हैं, न्याय नहीं कर पाते। इस तरह के स्पष्ट उदाहरण भी हैं। अभी अभी एक निवाई नामक कस्बा है, वहां चुनाव की तिथि घोषित हुई, फॉर्म भर दिये, उम्मीदवारों ने प्रचार में काफी श्रम और धन व्यय कर दिया, चुनाव के एक दो दिन पहले ऑर्डर आया कि चुनाव रद्द कर दिया गया है। इस पर हाई कोर्ट में रिटें हुई होतीं या और कोई वैधानिक अड़चन आ गई होती और तब रद्द किया जाता तो समझ में आ सकने वाली बात होती। तो ये इस तरह के नमूने हैं जिससे यह स्पष्ट है कि ये अधिकारी किसी न किसी ऊपर के व्यक्ति के प्रभाव में आकर काम करते हैं।

इसी प्रकार का अनुभव पहले भी हमारा हुआ था और वह हुआ था सरदारशहर म्युनिसिपल इलेक्शन में। वहां भी इसी प्रकार की बात हुई। चुनाव तिथियों की घोषणा हो गई, नोमीनेशन फॉर्म भर गये, लोगों ने चुनाव की लगभग सभी तैयारियां कर लीं, पर एक दिन पहले चुनाव को रोकने का ऑर्डर आ गया। किसने रोका, क्या उद्देश्य था, क्यों रोका, यह सब नहीं बताया गया, स्वायत्त शासन मन्त्रीजी ने टेलीफोन कर दिया होगा। वहां तो दूसरी बार भी यही हुआ, दूसरी तिथियां निश्चित कीं, सभी काम हो गया और चुनाव के एक दो दिन पहले फिर चुनाव रद्द कर दिया गया।

तो इस प्रकार की मशीनरी जो आज अपनी मनमानी कर रही है इसे तो हमें समाप्त करना ही होगा। इसकी जगह हमें एक इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करना होगा, जैसे सेन्टर में है। चुनाव आयोग नियत है, वह सब कार्यक्रम निर्धारित करता है और उस पर कोई बाहरी हस्तक्षेप सम्भव नहीं, कोई पार्टी, कोई संस्था या कोई मिनिस्टर उस के कार्यक्रम में दस्तन्दाजी नहीं कर सकता और वह चुनाव के प्रारम्भ से लेकर चुनावों की घोषणा तक का सारा काम करता है। इसी प्रकार से यहां भी अगर आयोग नियुक्त कर दिया जावे तो ये शिकायतें दूर हो जावेंगी। काम तो वहां भी ये ही लोग करेंगे, पर ऊपर के निर्देशन का काम कमीशन के हाथ में रहेगा। इसमें फिर न कलेक्टर हस्तक्षेप कर सकेगा, न कोई मिनिस्टर या न कोई वेस्टेड इन्टेरेस्टेड वाली पार्टी इन्फ्लुएन्स कर सकेगी। जनता को भी इसमें विश्वास करने का मौका मिलेगा। इससे ईमानदारी से काम होगा इसलिये माननीय मन्त्रीजी इस किस्म का संशोधन स्वयं ले आवें क्यों कि इस तरह का संशोधन है नहीं। जिनको प्रस्तुत करना था वे यहां हैं नहीं। तो वे स्वयं इसे ले आवें तो अच्छी बात होगी।

श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत उत्तम सुझाव है। इसमें एक और भी बात हो सकती है कि एग्जीक्युटिव के बदले जुडीशियरी के लोग अच्छा इन्तजाम कर सकेंगे, वे निष्पक्ष भी रहेंगे। यह निहायत उम्दा चीज़ है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : यहां कोई संशोधन नहीं है इस प्रकार का। आपका कर्त्तव्य सिर्फ विरोध करने का है।

श्री नरेन्द्रसिंह : तो सवाई-माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया उससे मैं पूर्णतया एग्री करता हूँ और

Page No.95

(श्री नरेन्द्रसिंह)

मेरे ख्याल में मन्त्री महोदय को इस बारे में ऐसे विचार जरूर रखने चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ): माननीय उपाध्यक्ष जी, इस क्लॉज़ १६ के अन्दर जिले के चुनाव, म्युनिसिपेलिटी के चुनाव हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मिनिस्टर के चुनाव नहीं हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी: जैसे पहले थे उसी प्रकार अब भी रख दिये हैं। जब कि सरकार समाजवाद का नारा बुलन्द करती है और कहती है कि जनता का राज्य हो और कहते हैं कि जनता को ज्यादा सुविधा मिली, तो माननीय उपाध्यक्षजी मैं आपको दो म्युनिसिपेलिटीज शाहपुरा और मनोहरपुर का, उदाहरण बताता हूं। मैं १॥साल तक और १। साल तक चक्कर खाता रहा फिर चुनाव हुए। क्योंकि उसमें क्या दिक्कत थी कि डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज के पास में कोई कागज कलेक्टर के पास आता था और कलेक्टर भेजता था एस० डी० ओ० के पास और एस० डी० ओ० भेजता था तहसीलदार के पास। उसमें दिक्कत क्या थी कि तहसीलदार को तो ग्राम पंचायतों के चुनाव और म्युनिसिपेलिटीज के बजाय उल्टे अपने ही तहसील का काम इतना होता है कि वह अपना काम ही पूरी दिलचस्पी से नहीं करता है। क्योंकि उनको मिलता तो कुछ नहीं है। क्योंकि वह कहते हैं कि ग्राम पंचायत के और म्युनिसिपल कमेटीज के चुनाव करायें यह डिपार्टमेंट ही दूसरा है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज नियुक्त कर दिया जाये वह तो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि थोड़ी थोड़ी सीढ़ी चढ़ने के बाद फिर बड़ी सीढ़ी पर चढ़ना चाहिये। तो डाइरेक्टर लोकल बॉडीज के अन्दर में ही इस तरह की एक कमेटी बना दी जाये और वह सारे चुनाव के तरीकों को तय करे और डाइरेक्ट, कलेक्टर, एस० डी० ओ० और तहसीलदार के पास जितने भी म्युनिसिपेलिटीज के कागज जाते हैं उनसे सारे चुनावों की ढिले होती है...

श्री उपाध्यक्ष : यहाँ कागज के आने का किस्सा नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कागज का चुनाव जो है उसमें चुनाव के तरीकों से दिक्कत होती है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : कागज के चुनाव।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : रिटर्निंग ऑफिसर तो कलेक्टर साहब ही बनते हैं। वही लिखा पढ़ी करते हैं। मैं कहता हूँ कि बीच का तरीका हटाकर डाइरेक्टर लोकल बॉडीज चुनावों के लिए एक कमेटी बनावें और वे ही चुनाव करायें। सारे चुनावों पर अधिकार डाइरेक्टर लोकल बॉडीज का हो। कलेक्टर को किन्हीं मानों में डाइरेक्टर लोकल बॉडीज की ही इजाजत मांगनी पड़ती है। तो मेरा कहना है कि बीच की सीढ़ी है उसको हटाकर डाइरेक्टर लोकल बॉडीज ही सारे चुनावों का इन्तजाम करे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। लिस्ट वगैरह भी वही बनावे और चुनाव का सारा काम वही करे। इसके लिए चाहे वह कोई इन्सपेक्टर अपॉइन्ट करे या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नियुक्त करे या कुछ भी करें।

Page No.96

(श्री मुक्तीलाल मोदी)

डाइरेक्टर लोकल बॉडीज के अन्दर में एक अलग डिपार्टमेंट खोल कर के इस काम को करवाना चाहिये....

श्री उपाध्यक्ष : पता नहीं कौन कौन डिपार्टमेंट खुलवा रहे हो।

श्री मुक्तिलाल मोदी : क्योंकि मैं यह मानता हूं डिस्ट्रिक्ट जज इस समय सरकार नियुक्त न करे। मैं मानता हूं कि सीढ़ी-सीढ़ी यह करे कि डाइरेक्टर लोकल बॉडीज के अन्दर में ही इसे दे दें....

श्री उपाध्यक्ष : अब तो आखिरी सीढ़ी पर आ गये हैं, समाप्त कर दें तो अच्छा हो।

एक माननीय सदस्य : रशिया में क्या होता है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : रशिया के अन्दर तो कलेक्टर साहब के अन्दर में नहीं होता है, चुनाव होते हैं, परन्तु यह जो डाइरेक्टर लोकल बॉडीज है वही चुनाव कराता है, न कि कलेक्टर कराता है।

श्री जनार्दनराय नागर : वहां तो किसान होता है डाइरेक्टर नहीं होता है।

श्री अर्जनदास : वहां कौन कराता है कलेक्टर या और कोई ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : कलेक्टर नहीं कराता है। वहां डाइरेक्टर लोकल बॉडीज को ही कमिश्नर कहते हैं, जितने भी सारे चुनाव म्युनिसिपल वगैरह के हैं वह वही कराता है।

श्री उपाध्यक्ष : उस देश के गुप्त रहस्य यहां न रखिये।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : अच्छी बात है। तो ऐसी हालत में मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इसके बारे में पहले वे सोचे विचारें और उसके बाद में इस धारा को पास करें। पुरानी रूढ़ियों को तो छोड़ो और अब नई रूढ़ियों पर आओ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) **:** उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में सिर्फ एक बात है कि इलेक्टोरल रोल हर एक वार्ड के रिटर्निंग ऑफिसर तैयार करेगा, जिसको कि कलेक्टर अपॉइन्ट करेगा। इतनी सी सिर्फ बात है और कहा गया और इसके लिए इतनी खिलाफत की गई कि इसे खत्म ही कर दिया जाये, तो इस धारा को खत्म कर दिया जायेगा, तो न तो कोई रिटर्निंग ऑफिसर ही होगा और न इलेक्टोरल रोल तैयार होगा। इस सम्बन्ध में दो आपत्तियां की गई हैं, एक तो यह कि इलेक्टोरल रोल के तैयार होने में देरी होती है और दूसरे वार्ड्स के बनाने में देरी होती है। एक मिसाल भी सीकर के बारे में दी गई। जहां तक वार्डस बनाने की बात है, तो मैं आपको बताऊँ कि इस बिल के क्लॉज़ १२ और १३ डेफर किये गये हैं और जब वह क्लॉज़ सामने आयेंगे और उनके अनुसार जैसे भी वार्ड्स बनाने के लिए प्रोविज़न रखा जायेगा वैसे ही होंगे। इलेक्टोरल रोल के लिए अभी जो क्लॉज़ १५ है इसको भी डेफर कर दिया गया है। उसमें जो असेम्बली के इलेक्टोरल रोल हैं, उनको एडॉप्ट करने का प्रोविज़न रखा गया है। तो जो वार्ड्स क्लॉज़ १२ और १३ के अन्तर्गत बनेंगे और १५ के मुताबिक इलेक्टोरल रोल तैयार होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में जो

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कलेक्टर काम करता है उसके बारे में कहा गया कि वह इम्पार्शियल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जो पहले जनरल इलेक्शन्स असेम्बली के और पार्लियामेन्ट के करवाये उनमें भी कलेक्टर ही रिटर्निंग ऑफिसर था और जो दूसरे जनरल इलेक्शन्स करवाये वह भी कलेक्टर ने ही करवाये और कलेक्टर ही उनमें रिटर्निंग ऑफीसर था। तो फिर यह दलील दिया जाना कि कलेक्टर तो गवर्नमेन्ट सर्वेंट है और उससे मन्त्री लोग मनमानी करवा लेते हैं, तो हमारे पहले इलेक्शन्स भी उसी ने करवाये और दूसरे भी उसी ने करवाये और उसका नाम अभी तक भी मौजूद है, फिर यह कहना कि कलेक्टर तो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट है, तो अगर गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट है तो सो तो है ही और हमेशा ही रहेगा। मैं सदन की जानकारी के लिए अर्ज करूंगा कि कलेक्टर एक आई० ए० एस० ऑफिसर होता है और उसके खिलाफ एक्शन लेना राज्य सरकार के अधिकार की बाहर की चीज है। इसलिए यह कहना कि कलेक्टर के बजाय एक इलेक्शन कमिश्नर अपॉइन्ट किया जाये तो मैं अर्ज करूंगा कि यह उसूलन बात गलत है और ऑफिसर के बारे में यह कहा गया इम्पार्शियल इलेकशन्स नहीं होते मैं इस बात के लिए बड़े अदब से और फुल फोर्स के साथ कहना चाहता हूं कि यह बात गलत है। मैं इस डिपार्टमेन्ट का मिनिस्टर हूं लेकिन मेरे यहां भी जो इलेक्शन हुए हैं उनमें कांग्रेस दो बार हार चुकी है और जो अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य शिकायत करते हैं कि वह इम्पार्शियल ऑफिसर नहीं होता है। तो वह खुद ही न केवल असेम्बली में नियुक्त होकर आये हैं बल्कि वहां की म्युनिसिपेलिटी में भी वह आये हैं। मैं उनको बताऊं कि इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। इतनी इलेक्शन पिटीशन्स होती हैं मगर किसी भी सेशन्स जज ने या हाई कोर्ट ने यह कभी नहीं कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर की बेईमानी से कोई हार गया है। सीकर के बारे में कहा गया तो यह कहना कि सारे भारतवर्ष में ऐसा होता है या सारे राजस्थान में ऐसा हुआ है ऐसी बात नहीं है। यह क्रिटिसाइज़ करने का तरीका गलत है। माननीय सदस्यों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि राजस्थान की सर्विसेज़ को वह अपनी पार्टी पोलिटिक्स में लाने की चेष्टा न करें। अभी सभी जगह इलेकशन्स हुए हैं, कांग्रेस हार गई है फिर भी ऑफिसर्स के बारे में कहें कि यह इम्पार्शियल नहीं हैं ऐसी बात नहीं है। जहां हम जीत जाते हैं तो ऑफिसर्स हमारा फेवर कर देते हैं और जहां हम हार जाते हैं वहां ऑफिसर फेवर नहीं करता है। मैं आपसे यह बात निवेदन करना चाहता हूं और बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि मेम्बर लोगों का यह कहना और सोचना कि कोई कलेक्टर हमें जिता देगा तो वह बड़ी भूल करते हैं। इसलिए माननीय सदस्यों का यह ख्याल करना कि कलेक्टर चूंकि रिटर्निंग ऑफिसर होता है और वही ऑफिसर इन्चार्ज है और वह किसी को फेवर कर जायगा ऐसी बात नहीं है। इतने पिटीशन्स हो चुके हैं, किसी भी पिटीशन में ऐसा नहीं हुआ कि कलेक्टर की बेईमानी हुई। उसके अन्दर कलेक्टर को लेकर एक मिसाल देकर यह कहना कि इसकी वजह से सारी सर्विसेज़ खराब हैं या वह मिनिस्टरों के इशारे से काम करते हैं या टेलीफोन पर काम करते हैं यह बात कहना उपयुक्त नहीं है। इसलिए मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि जो क्लॉज़ है उसको पास कर देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १६ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १६ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २० को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज २१

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक मेरा मामूली सा संशोधन है। इसमें ऐसा है कि 'Collector may by order published in the official Gazette' मैं सोचता हूं कि जब इलेक्टरोल रोल्स बन गई तो किस तरह से रिवीजन होगा? इसके अन्दर अधिकार क्या है? यह सारा प्रोग्राम दिया है। ये सारी बातें एक लोकल स्थान की हैं और इन सारी बातों को गजट में छपवाने से कोई विशेष लाभ नहीं है। इसका केवल स्थानीय महत्व है। इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर हो या जो भी हो अपने दस्तखतों से वहां चिपकवा दे या and in such other manner as may be prescribed' घोषणा करवा दे, या पेम्फलेट छपवाकर बंटवा दे। गजट में देने से साधारण आदमी देख नहीं सकता है। यह एक आवश्यक बात है। अगर कोई इलेक्टोरल रोल्स पर आपत्ति करता है, यह सबसे ज्यादा महत्व की बात है। उससे इलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है उसका पता लग जाता है, किस तरह से कौन सी बात है, इसका पब्लिकेशन स्थानीय हो जो कि बीट ऑफ ड्रम्स से हो या पेम्फलेट बांटे जायं या नोटिस और सारा प्रोग्राम म्युनिसिपल बोर्ड के सामने या स्थानीय जो रिटर्निंग ऑफिसर का कार्यालय है उस स्थान के ऊपर प्रोग्राम को लेकर चिपका दिया जाय। उससे ही फायदा ज्यादा होगा। यह अनावश्यक सा खर्चा है। गजट में छपता है तो अनावश्यक सा खर्चा म्युनिसिपल बोर्ड में आता है। यह अनुपयोगी चीज है। इसको हटा दिया जाय तो अच्छा हो।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन आया है उसका विरोध करता हूँ और विरोध इसलिए करता हूं कि कोई भी उस प्रोग्राम को गजट में छपवाना नहीं चाहता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इलेक्शन का प्रोग्राम थोड़े ही है।

डॉ० बहादुरसिंह : यह बात सही है कि इलेक्शन का प्रोग्राम गजट में छपता है। इलेक्टरोल रोल्स का नोटिस वगैरह लगता है लेकिन उसको गजट में छपवाना चाहिए। इसलिए जो संशोधन आया है इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में कोई भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। गजट में छपता है। इसमें लिखा है 'and in such other manner as may be prescribed' तो नोटिस में लिखने की बात अगर नहीं है तो वह आ जायगी और उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गजट में निकल जाना चाहिए। नोटिस बोर्ड पर भी पेस्ट कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

Page No.99

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ये वापिस ले लेंगे। क्लॉज २१ में है; सब क्लॉज (सी) :

"The Collector may, by order published in the official Gazette and in such other manner as may be prescribed, make provision in respect of the following matters concernig the electoral rolls, namely—

....

....

(c) the correction of clerical or printing error in the electoral rolls"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि प्रिन्टिंग एरर से क्या मतलब है ? क्योंकि अभी बयाना म्युनिसिपल कमेटी का केस है जिसमें उसका इलेक्शन हाई कोर्ट के द्वारा सेट एसाइड हो चुका है। उसमें यह बात हो गई थी कि इलेक्टोरल रोल्स तैयार हो गये थे और उस इलेक्टरल रोल्स में ५०० उन वोटर्स का नाम लिखा दिया गया था जो वोटर्स विलेज पंचायत के थे। वे भी पब्लिश हो गये थे। प्रिन्ट होगये थे, उसके बाद में ये सारी बातें नोटिस में रिटर्निंग ऑफिसर के आई तो रिटर्निंग ऑफिसर ने एक आज्ञा प्रेस को भेज दी कि यह प्रिन्टिंग एरर होगई है इसको ठीक करदो। सेक्रेटरी ने रिपोर्ट की तो उन ५०० वोटर्स की प्रिन्टेड लिस्ट में उनके आगे क्रॉस कर दिया गया। लिस्ट प्रिन्ट हो चुकी थी और लिस्ट प्रिन्ट होने के बाद यह मालूम हुआ और इन्क्वायरी हुई और जब इस प्रकार के सेटिसफेक्टरी एवीडेन्स मिल गये कि नाम म्युनिसिपल बोर्ड के एरिया में नहीं हैं तो कलेक्टर महोदय द्वारा उन ५०० आदमियों के नाम के क्रॉस कर दिया गया। वह क्रॉस्ड वोटर्स लिस्ट शाया कर दी गई और यह कह दिया गया है कि यह प्रिन्टिंग एरर है और इसको करेक्ट कर दिया गया है। हम प्रेस को लिख चुके थे कि इसको ठीक कर दें, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं किया, इसलिए यह प्रिंटिंग एरर है। because the Collector or the Returning Officer had already informed the press not to include their names in electoral rolls. लेकिन वह प्रिन्ट हो गई और प्रिन्टिंग एरर मानकर इलेक्शन करवा दिये। इलेक्शन होने के बाद हाईकोर्ट में रिट हुई और हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि इस प्रकार की प्रिन्टिंग एरर को करेक्ट करने का कोई भी राइट कलेक्टर को नहीं था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के पेपर्स पर इलेक्शन करवाते हैं और इलेक्शन होने के बाद इस बिना पर कि यह प्रिन्टिंग मिस्टेक है, कलेक्टर या रिटर्निंग ऑफिसर उसको इस प्रकार से करेक्ट कर देते हैं तो सारे इलेक्शन उस बिना पर सेट-एसाइड हो जाते हैं। इस प्रकार की पोसिबिलिटी रहती है,इस प्रकार के अधिकार इनको क्लॉज ११ की सब-क्लॉज (सी) में इस प्रकार से दिये गये हैं : "That he shall make provisions in respect of the following matters concerning the electoral rolls, namely......

(c) the correction of clerical or printing errors in the electoral rolls,"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कराना चाहता हूं कि इस प्रकार के ऑर्डर उनके सामने हैं। उनके नोटिस में शायद इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रकार का जजमेंट हाईकोर्ट का है। ऐसी अवस्था में इस प्रकार का प्रोविजन किस प्रकार से ऐसा (अश्रव्य) हो सकता है। इसलिए प्रिंटिंग एरर के बारे में कलेक्टर को पॉवर नहीं देना चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रिन्टिंग एरर की बात जो है वह बिल्कुल साफ है। नाम क्रॉस करने की बात में तो वाकई में गलती की है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहां तक प्रोविज़न है, कलेक्टर ने गलती की है कि नाम ऑलरेडी प्रिन्टेड जो थे उनको क्रॉस कर दिया। वह प्रिन्टिंग एरर में नहीं आती है। प्रिन्टिंग मिस्टेक में केवल प्रिन्टिंग की ही गलती आती है। किसी का नाम सब्स्टीट्यूट कर देना या किसी का नाम काट देना प्रिन्टिंग एरर में नहीं आता है। हाई कोर्ट का जो जजमेन्ट है उसकी पाबन्दी की गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That is a printing error because we had already informed the Press not to print their names. प्रिन्टिंग एरर इसलिए है कि हमने प्रेस को लिख दिया और फिर भी उन्होंने गलती से इसको प्रिन्ट कर दिया, यह तो है ही, इस केस में that is the judgement.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हाई कोर्ट का जजमेन्ट देख कर उसकी पाबन्दी कर दी गई है। कोई बात रह भी गई हो तो वह कर दी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : So I put it to vote now.

प्रश्न यह है कि......

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, अगर कोई एतराज नहीं होता है और मन्त्री महोदय चाहते हैं तो मैं इसको वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने क्लॉज़ २१ के अन्तर्गत रखा है उसको वापिस लिये जाने की उनको आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २१ विधेयक का अंग बना।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : At this stage, Sir, I will request that the House may be adjourned because we are now coming to another of the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : No, we are now coming to clause 22.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That is another chapter.

श्री उपाध्यक्ष : There are no amendments to it.

श्री अर्जुनदास : The clauses are important, specially clause 24, so let us have some time.

श्री उपाध्यक्ष : We may take clause 22 which has no amendments.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस पर डिबेट होगी।

श्री उपाध्यक्ष : If at all you so desire.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is a new chapter, so we may adjourn ?

श्री उपाध्यक्ष : Why not open the new chapter and then adjourn ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : We should now adjourn to new chapter. यह कन्डक्ट ऑफ इलेक्शन का बड़ा इम्पोर्टेंट चेप्टर है और डिबेट कल कन्टीन्यू करें, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हाउस को एड्जोर्न कर दिया जाय।

श्री हरिदेव जोशी : धीरे धीरे होगा।

श्री उपाध्यक्ष : Just a few Seconds.
(विधान सभा सचिव से परामर्श के पश्चात्)

We now adjourn to meet on the 27th at 11 A. M.

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही सायं ४.३८ बजे दिनांक २७ नवम्बर, १९५८ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

—

संक्षिप्त विवरण

(मंगलवार, २५ नवम्बर, १६५८)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	३७८३
गांव रानीवाड़ा में एक ही खसरा नम्बर का दो व्यक्तियों के नाम अलॉटमेंट ।	
श्री बी०आर० मित्तल द्वारा बिला इजाजत मध्य भारत यात्रा ।	
सवाई-माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री को साठ लाख का कर्जा ।	
क्षेत्र धारण एवं कृषि गणना ।	
जागीरदार सतवाड़ा को खुद काश्त की भूमि का अलॉटमेंट ।	
तहसील देसूरी से गांवों की तब्दीली ।	
शिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण ।	
गिर्दावर कानूनगो व ऑफिस कानूनगो को अलॉउन्स ।	
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति ।	
ग्राम अमरसर में हरे वृक्षों की कटाई ।	
अम्बर चर्खे के कारण खादी की प्रगति ।	
जोधपुर में लाइम स्टोन का ठेका ।	
ट्रेक्टरों के लिए कर्ज ।	
हाईस्कूल बौंली में ऑप्शनल विषय ।	

	स्कम्भ
पटेलों को सरकारी काम करने का मुआवजा ।	
ब्लॉक डेवलपमेंट विलारा में मनुष्यों तथा पशुओं की संख्या ।	
भूमिहीन हरिजनों को भूमि का अलॉटमेंट ।	
भारत सेवक समाज ।	
बस्सी तहसील में विकास योजना कार्य ।	
करनपुर ब्लॉक में डिग्गियों के लिये सहायता ।	
तहसील बौंली में चरागाह ।	
लो इन्कम हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत हाउस लोन ।	
चरागाहों की पंचायतों को सुपुर्दगी ।	
दरबार इण्टर कॉलेज, किशनगढ़ में टाइपराइटर ।	
तहसील आमेर के हैड क्वार्टर का स्थानान्तरण ।	
ग्राम समदड़ी में उप-तहसील की स्थापना ।	
ग्राम पींगलोंद के किसानों की बेदखली ।	
राजस्थान में परिभ्रमण केन्द्र ।	
छबड़ा कस्बे में चरागाह की भूमि ।	

Page No.103

स्कम्भ

पेनावड़ा आदिवासी बस्ती।

तहसील देवली में सरकारी मकानात।

तहसील शेरगढ़ में अग्निकांड।

तहसील दीगोद में जमीन की खातेदारी।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति ३८४३

श्री भीखाभाई, सदस्य, विधान सभा, को दिनांक १७-११-५८ से १०-१२-५८ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

घोषणाएं

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि श्री मुरलीधर व्यास, सदस्य, विधान सभा, जिनको दिनांक ८ अक्टूबर, १६५८ को गिरफ्तार किया गया था दिनांक २१ नवम्बर, १६५८ को रिहा कर दिया गया है।

स्कम्भ

विधायी कार्य

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १६५७ ३८४५

(अग्रेतर विचार)

उपरोक्त विधेयक पर आज खण्ड ५ से विचार आरम्भ हुआ। खण्ड ५ व १० संशोधित रूप में स्वीकृत हुए। खण्ड ६, ७, ११, १४, १६, १७, १८, १६, २० व २१ बिना संशोधन के स्वीकार किये गये। खण्ड ८, ६, १२, १३ व १५ स्थगित किये गये।

बुधवार दिनांक २७ नवम्बर, १६५८ की कार्य सूची

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १६५७

(अग्रेतर विचार-विमर्श)

———

Page No.104

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ७६६ का उत्तर देखिये)

L. C. F. 1.

सन् १६५२-५३ में काश्त की जमीन की सेन्सस (गणना)

तहसील...क्रमांक...

नाम...पटवार सर्किल नं०...

नाम खातेदार मय वल्दियत कौम व सकूनत...

....

खाता नम्बर.......................

क्रम संख्या	खसरा नम्बर	कुल काश्त किया हुआ क्षेत्रफल (रकबा)	किस्म जमीन	सरकारी लगान	दूसरों को काश्त के लिए दी हुई जमीन — क्षेत्रफल (रकबा) — नकदी पर	बटाई पर	सरकारी लगान
१	२	३	४	५	६	७	८
१							
२							
३							
४							
५							
६							
७							
८							
९							
१०							
११							
१२							
१३							
१४							
१५							
१६							
१७							
१८							
१९							
२०							
योग			वर्ग (ग्रेड)				
योग साधारण एकड़ में x					y		
योग स्टैण्डर्ड एकड़ में x^1					y^1		

$(x-y)=$

$(x^1-y^1)=$

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ७७४ का उत्तर देखिये)

सूची मय नाम आसामी जिनको परमिट दिये गये

क्रम सं०	नाम आसामी	गांव अमरसर	तारीख	वृक्षसंख्या	वजन
१.	गणपतराय महाजन	,,	३०-१०-५७	६	५० मन
२.	बद्री माली	,,	५–५–५८	६	२०० मन
३.	चौथमल माली	,,	,,	८	—
४.	चूना माली	,,	,,	८	—
५.	नाथू माली	,,	,,	७	—
६.	रामचन्द्र माली	,,	,,	८	—
७.	भूरा माली	,,	,,	१०	—
८.	भूरा पुत्र बीजा माली	,,	,,	६	—
९.	गुल्ला माली	,,	,,	५	—
१०.	सुन्डा माली	,,	,,	८	—
११.	उदा माली	,,	,,	१	—
१२.	चौथू माली	,,	,,	३	—
१३.	भूरा पुत्र बीजा माली	,,	,,	५	—
१४.	रामचन्द्र	,,	७–४–५८	—	१०० मन
१५.	मोदा जाट	,,	,,	—	१०० मन

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक २५ नवम्बर १९५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
३७८६	१६	झगड हुआ	झगड़ा हुआ
३७८८	७	उहोंने	उन्होंने
३७८९	अन्तिम से ७	अवेदन पत्र	आवेदन पत्र
३८१५–३८१६	शीर्ष	अतारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
३८१८	७	**सकीम**	**स्कीम**
३८२६	१४	या वहां	क्या वहां
३८३३	२५	होक उन्होंने	होकर उन्होंने
३८४५	३	**राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५८**	**राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७**
,,	४	(अगेत्तर	(अग्रेतर
३८४७–३९८४	शीर्ष	राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५८	राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७
३८६६	अन्तिम से ५	ढणियों	ढ़ाणियों
३८७०	३	मिलकार	मिलाकर
,,	२१	म्यूनिसिपेलिटी	म्युनिसिपेलिटी
३८७२	अन्तिम से ६	म्युनिसिपलिज	म्युनिसिपेलिटीज़
३८९०	२३	जब में	जब मैं
३८९७	१४	वृद्धी	वृद्धि
,,	१५	अनुपत	अनुपात
३८९८	१२	आधर	आधार
,,	अन्तिम से ५	करण	कारण
३९००	अन्तिम पंक्ति	म्युनिसिपेलि	म्युनिसिपेलिटी

१	२	३	४
३६०१	१८	हवला	हवाला
३६०६	अन्तिम से १०	पंचयतों	पंचायतों
३६२७	७	परिस्थित	परिस्थिति
३६३६	२६	कग्रेस	काँग्रेस
३६४१	अन्तिम से ६	पनवाई	अनवाई
३६४८	६	अनाश्यक	अनावश्यक
,,	१२	अनावश्वक	अनावश्यक
३६६१	अन्तिम से ११	कमेटी	कमेटी
३६६२	,, ,, ५	सुपवीजन	सुपरविज़न
३६८३	३	श्री उपाध्यथ	श्री उपाध्यक्ष :

————